

दूसरी SECOND

पूरक अनुदान मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए

FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

2023-2024

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसरण में संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) (क)और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है) (Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of

Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

फरवरी, February, 2024

परिचायक टिप्पणी

विषय : पूरक अनुदान मांगों 2023-2024 का दूसरा बैच

वर्ष 2023-24 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरै बैच में 71 अनुदान मांगें और 1 विनियोग है। ₹2,00,299.54 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹78,672.92 करोड़ है और सकल अतिरिक्त व्यय, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों से समतुल्य किया जाएगा, ₹1,21,625.40 करोड़ है। इसके अतिरिक्त नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोग के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए के साथ ₹121 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

2. निवल नकदी व्यय से संबंधित अतिरिक्त व्यय की मदें इस प्रकार हैं:

INTRODUCTORY NOTE

Subject : Second Batch of Supplementary Demands for Grants, 2023-2024.

The second batch of Supplementary Demands for Grants for 2023-24 includes 71 Grants and 1 Appropriation. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹2,00,299.54 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹78,672.92 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹1,21,625.40 crore. Besides, token provision of ₹122 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

		राजस्व	पूंजी	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total

कृशिओर किसान कल्याण मंत्रालय

1 कृंििऔर किसान कल्याण विभाग

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत व्यय को पुरा करने के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹552.08 करोड़) के तहत अतिरिक्त 'सहायता अनुदान सामान्य (₹4157.84 करोड़) और सहायता अनुदान प्रदान करने 2. पीएम-आशा योजना की मूल्य समर्थन योजना (₹1000 करोड़) के तहत सब्सिडी प्रदान करने और 3. (i) 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (पीएमएफबीवाई) योजना के वित्तपोषण के लिए ₹15000 करोड़ 'कृिन अवसंरचना और विकास को-ा' में और (ii) 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (पीएम-किसान) योजना के वित्तपोषण के लिए 'कृ-ि अवसंरचना और विकास को-।' में ₹60000 करोड़ और (iii) कृ-िा अवसंरचना और विकास निधि में ₹3500 करोड़ का अतिरिक्त अंतरण करने के लिए।

2 कृंिाअनुसंधान और शिक्षा विभाग

(i) 'आईसीएआर को सहायता' के तहत अनुसंघान और शिक्षा योजनाएं फसल विज्ञान संस्थानों के सामान्य सहायता अनुदान (₹88.33 करोड़) और 'पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान' (₹62.62 करोड़), (ii) कृिन, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन में सूचना और प्रकाशन निदेशालय सहित आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन के तहत पेंशन संबंधी देनदारियों और अन्य प्रशासनिक खर्चों

MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE

1 Department of Agriculture and Farmers Welfare

For 1. providing additional 'Grants-in-aid General (₹4157.84 crore) and Grants-in-aid General under Tribal Area Sub-Plan (₹552.08 crore) towards meeting expenditure under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi' (PM-KISAN) 2. providing subsidy under Price Support Scheme of PM-Aasha Scheme (₹1000 crore) and 3. transfer of (i) (₹15000 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme 'Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana' (PMFBY) and (ii) (₹60000 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme 'Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi' (PM-KISAN) and (iii) additional transfer to (₹3500 crore and to Agriculture Infrastructure Development Fund.

2 Department of Agricultural Research and Education

For (i) Grants-in-aid General (₹88.33 crore) and 'Grants-for creation of Capital Assets' (₹62.62 crore) of Crop Science Institutes, Research & Education Schemes under 'Assistance to ICAR' (ii) Grants-in-aid General for the meeting of pensionary liabilities and other administrative expenses

1,257.17 - 1,257.17

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पुंजी जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital Grant No. & title and description of items Revenue **Total** की पूर्ति के लिए सहायता अनुदान (₹130.50 under 'ICAR Headquarter Administration करोड़) (iii) कृ-ा, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन including Directorate of Information and में सूचना और प्रकाशन निदेशालय सहित Publication in Agriculture, Intellectual 'आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन' के तहत पूंजीगत Property Rights Management' (₹130.50 परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹2 करोड़) crore) (iii) Grants for Creation of Capital और (iv) आईसीएआर को सहायता के अंतर्गत Assets under 'ICAR Headquarter सहायता सामान्य अनुदान (₹39.09) करोड़) और Administration including Directorate of पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान Information and Publication in Agriculture, (₹78.96 करोड़)। Intellectual Property Rights Management' (₹ 2 crore) and (iv) Grants-in-aid General (₹ 39.09 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹78.96 crore) under 'Assistance to ICAR'. 150.95 150 95 परमाणु ऊर्जा विभाग DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY **Atomic Energy** परमाणु ऊर्जा (क) मेंसर्स टीवीईएल, रूस से केकेएनपीपी के (a) For procurement of Fuel for KKNPP लिए ईंधन की खरीद और आरएपीएस को from M/s TVEL, Russia and arrears बकाया भुगतान के लिए। payment to RAPS. 329.66 329.66 (ख) एनएफसी, हैदराबाद के लिए स्थापना संबंधी (b) For establishment related expenditure व्यय हेतू। for NFC, Hyderabad. 1,120.98 1,120.98 (ग) स्थापना के अंतर्गत भारी जल संयंत्रों के (c) For operation and maintenance of संचालन एवं रखरखाव हेत्। Heavy Water Plants under Establishment. 192.32 192.32 रसायन और उर्वरक मंत्रालय MINISTRY OF CHEMICALS AND **FERTILISERS** रसायन और पेट्रोरसायन विभाग **Department** of Chemicals and **Petrochemicals** एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड को ऋण के लिए loan HIL to (India) Ltd. (₹486.74 करोड़)। 399.18 (₹486.74 crore). 399.18 उर्वरक विभाग **Department of Fertilisers** पीएंड के फर्टिलाइजर्स के लिए पो-ाक आधारित For Nutrient Based Subsidy Scheme for सब्सिडी स्कीम हेतू (₹4900 करोड़)। P&K fertilizers (₹4900 crore). 3,000.00 3,000.00 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 10 वाणिज्य विभाग **Department of Commerce** ब्याज समानीकरण योजना के तहत सब्सिडी (₹768 For Subsidies (₹768 crore) under Interest करोड़) के लिए। Equalisation Scheme. 650.43 650.43 MINISTRY OF COMMUNICATIONS संचार मंत्रालय 13 दूरसंचार विभाग Department of Telecommunications ₹220.63 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पुरा करने For meeting additional expenditure meeting के लिए टेलीकॉम कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम additional expenditure of ₹220.63 crore (टी-सर्ट) (₹96.85 करोड़), संचार वित्त के लिए towards Telecom Computer Emergency प्रशिक्षण संस्थान (₹25 करोड़), बीएसएनएल को Response Team (T-Cert) (₹96.85 crore), सैटेलाइट गेटवे सहायता की स्थापना (₹1.05 Training Institute for Communication करोड़), ट्राई की भवन और संरचना को पूरा Finance (₹25 crore), Establishment of करने के लिए (₹97.55 करोड़)। Satellite Gateway Assistance to BSNL (₹ 1.05 crore), Building and Structures of TRAI (₹97.55 crore). 96.85 96.85

				 पूंजी	s in Crore) जोड़
नुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & t	itle and description of items	राजस्व Revenue	पूजा Capital	Total
पभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 4 उपभोक्ता मामले विभाग	FOOD & 1 14 Department	OF CONSUMER AFFAIRS, PUBLIC DISTRIBUTION nt of Consumer Affairs			
उपभोक्ता संरक्षण प्रको-ठ के लिए कार्यालय व्यय संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए। 5 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	Expenses f	ng expenditure towards Office or Consumer Protection Cell. ent of Food and Public on	17.87	-	17.87
(क) स्थापना के अधीन विज्ञापन और प्रचार संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए	Adver	meeting expenditure towards tising and Publicity under ishment.	152.45	-	152.45
(ख) 1. (i) पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान लेनदेन पर भारतीय खाद्य निगम और अन्य को देय सब्सिडी (₹2,454.03 करोड़) और (ii) पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यानों के विकेंद्रीकृत खरीद पर राज्य सरकार को सब्सिडी (₹6,777 करोड़) 2. 'स्कीम वेयरहाउसिंग एण्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी' के अधीन सामान्य सहायता अनुदान (₹0.99 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने के लिए सब्सिडी।	1. Sub FCI & under I (ii) Su Decer foodgr crore) under Develo	opment and Regulatory Authority			
(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्य भंडारण गोदाम के निर्माण संबंधी व्यय को पूरा करने	(c) For m	crore). neeting expenditure towards uction of Food Storage godowns	9,231.03	-	9,231.03
के लिए।	by FC	[.	-	26.56	26.56
क्षा मंत्रालय 9 रक्षा मंत्रालय (सिविल) (क) सचिवालय सामान्य सेवाओं के तहत वेतन के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए ।	(a) For m toward	f Defence (Civil) eeting additional expenditure ls Salaries under Secretariat	0.05		0.05
(ख) (i) रक्षा मंत्रालय (सचिवालय) (₹49.48 करोड़) और (ii) रक्षा संपदा संगठन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹144.38 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (एसएपी), (₹0.50 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.40 करोड़) और स्थापना संबंधी व्यय (₹12 करोड़) के अधीन ₹206.76 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For mo ₹206.7 Defendent and (ii toward crore), (₹0.50 Capita Establi	al Services. seeting additional expenditure of 76 crore under (i) Ministry of the (Secretariat) (₹49.48 crore) in Defence Estate Organisation and General (₹144.38 Grants in aid General (\$AP), crore), Grants for creation of the Assets (₹0.40 crore) and the ishment related expenditure (₹12).	0.95	-	0.95
(ग) स्थापना संबंधी व्यय (₹7.84 करोड़) और वेतन (₹1.80 करोड़) के अतिरिक्त ₹9.64 करोड़ के व्यय को पूरा करने के लिए।	₹9.64	eeting additional expenditure of crore towards Salary (₹1.80 and Establishment related	186.57	-	186.57
्घ) भत्ते (₹९७७.13 करोड़), ईंधन और स्नेहक (₹52 करोड़) और अन्य प्रशासनिक व्यय (₹29.63 करोड़) के तहत व्यय को पूरा करने के लिए ₹178.76 करोड़ की अतिरिक्त निधि।	(d) For ad toward Allows Lubrid Admir	diture (₹7.84 cr). ditional funds of ₹178.76 crore ds meeting expenditure under ances (₹97.13 Crore), Fuels and cants (₹52 Crore) and Other histrative Expenses (₹29.63	9.64	-	9.64
(ड़) जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के वेतन और भत्तों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने		eeting additional expenditure for and Kashmir Light Infantry	173.32	-	173.32
के लिए।		ls Pay and Allowances.	138.53	-	138.53

(₹259.05 करोड़)।

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पुंजी जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Capital Revenue **Total** (च) सामग्री और आपर्ति और अन्य स्थापना संबंधी (f) For meeting additional expenditure of व्यय के तहत कैंटीन स्टोर विभाग के लिए ₹519 crore for Canteens Store ₹519 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा Department under Material and करने के लिए। Supplies and other Establishment related expenditure. 126.00 126.00 (छ) सड़क रखरखाव के लिए सीमा सड़क संगठन (g) For meeting additional expenditure of के तहत ₹182.75 करोड़ के अतिरिक्त व्यय ₹182.75 crore under Border Road को पूरा करने के लिए (₹1 करोड़), राष्ट्रीय Organization for Road Maintenance राजमार्गों की मरम्मत और रखरखाव (₹37 (₹1 crore), Repair and Maintenance of करोड़), राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य National Highways (₹37 crore), Road सड़क और रखरखाव (₹124.75 करोड़), and Maintenance of other than National सहायता अनुदान सामान्य (₹5 करोड़) और Highways (₹124.75 crore), Grants in पुंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए aid General (₹5 crore) and Grants in aid सहायता अनुदान (₹15 करोड़)। for creation of Capital Assets (₹15 182.75 182.75 crore). (ज) 'बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर' और 'इंफ्रास्ट्रक्चर (h) For meeting additional expenditure of एसेटस' के लिए राजकोषीय सेवाओं पर ₹511.58 crore under Capital Outlay on पूंजीगत परिव्यय के तहत ₹511.58 करोड़ Fiscal Services for 'Building and के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। Structure' and 'Infrastructure Assets'. 241.35 241.35 (झ) रक्षा संपदा संगठन (₹6.97 करोड़) और (i) For meeting additional expenditure of रक्षा मंत्रालय सचिवालय (₹12.94 करोड़) ₹19.91 crore for Defence Estate के लिए ₹19.91 करोड़ के अतिरिक्त व्यय Organization (₹6.97 crore) and Ministry को पूरा करने के लिए। of Defence Secretariat (₹12.94 crore). 17.91 17.91 (ञ) रक्षा प्रदर्शनी संगठन के अंतर्गत अतिरिक्त (j) For meeting additional expenditure व्यय की पूर्ति हेतू। under Defence Exhibition Organization. 5.45 5.45 (ट) ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त व्यय को पुरा (k) For meeting additional expenditure करने के लिए। towards providing the loans. 1.25 1.25 20 रक्षा सेवाएँ (राजस्व) 20 Defence Services (Revenue) (क) 'परिवहन (₹0.20 करोड़), 'पूर्व सैनिक (a) For meeting additional expenditure अंशदायी स्वास्थ्य योजना' (₹0.20 करोड़), towards payments arising out of Court 'स्टोर' (₹3 करोड़), 'वर्क्स' (₹1 करोड़) के Orders for 'Transportation (₹0.20 लिए न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न होने crore), 'Ex-Servicemen Contributory वाले अतिरिक्त व्यय को परा करने के लिए) Health Scheme'(₹0.20 crore), 'Stores' और सेना की 'राष्ट्रीय राइफल्स' (₹2 करोड़)। (₹3 crore), 'Works' (₹1 crore) 'Rashtriya Rifles' (₹2 crore) of Army. 6.40 6.40 (ख) वेतन और भत्ते के लिए अतिरिक्त व्यय को (b) For meeting additional expenditure पूरा करने के लिए- सेना' (₹5160.50 towards Pay & Allowances- Army' करोड़), 'वेतन और भत्ते-सहायक बल (₹5160.50 Crore), 'Pay & Allowances-(₹1,209 करोड़), परिवहन (₹500.10 forces (₹1,209 Crore), करोड़), ' ईसीएचएस' (₹1189.74 करोड़), Transportation (₹500.10 crore), 'ECHS' 'स्टोर' (₹ 956.29 करोड़), 'कार्य' (₹1189.74 Crore), 'Stores' (₹956.29 (₹149.51 करोड़), राष्ट्रीय राइफल्स Crore), 'Works' (₹149.51 Crore), (₹553.58 करोड़) और सेना के लिए 'अन्य Rashtriya Rifles (₹553.58 crore) and व्यय' (₹870.24 करोड़)। 'Other Expenditure' (₹870.24 Crore) for Army. 9,162.36 9,162.36 (ग) 'वेतन और भत्ते-नौसेना' (₹156.06 करोड़), (c) For meeting additional expenditure 'परिवहन' (₹161.50 करोड़), 'मरम्मत और towards 'Pay & Allowances-Navy' रिफिट्स' (₹296 करोड़), 'स्टोर' (₹156.06 crore), 'transportation' (₹1,233.87 करोड़), 'कार्य' (₹43.85 (₹161.50 crore), 'repairs & refits' (₹296 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पुरा करने के crore), 'stores' (₹1,233.87 crore), लिए और नौसेना के लिए 'अन्य व्यय' 'works' (₹43.85 crore), and 'other

expenditure' (₹259.05 crore) for Navy.

1,366.33

1,366.33

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

- 6,000.00

6,000.00

				(करोड़ रुपए Rupees in Cro		
अनुदान	संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	 घ) वायु सेना के लिए 'स्टोर' (₹3,365.52 करोड़) और 'विशेष परियोजनाओं' (₹1.50 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। ड) अनुसंधान विकास संगठन के लिए न्यायालय 		 (d) For meeting additional expenditure towards 'stores' (₹3,365.52 crore) and 'Special Projects' (₹1.50 Crore) for Air Force. (e) For meeting additional expenditure of 	2,928.52	-	2,928.52
(के आदेशों से उत्पन्न भुगतान के लिए ₹1.58 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।		₹1.58 crore towards payments arising out of Court Orders for (Other Expenditure) of Research Development Organisation.	1.50	_	1.50
(*	च) 'वेतन और भत्ते-सिविलियंस (₹200 करोड़), स्टोर्स (₹32.08 करोड़) और अनुसंघान एवं विकास के लिए 'अन्य व्यय' (₹35.32 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।		(f) For meeting additional expenditure towards 'Pay & Allowances-Civilians (₹200 crore), Stores (₹32.08 crore) and 'Other Expenditure' (₹35.32 crore) for			
วว ฮ	क्षा पेंशन	22	Research & Development. Defence Pensions	83.50	-	83.50
पें र प्र	शन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (3882.18 करोड़ जपए), रिवार्डस (5.20 करोड़ रूपए), पेंशन शासनिक रक्षा सेवा (स्पर्श) (3.50 करोड़ रूपए) ज अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	22	For meeting additional expenditure towards Pensions and Other Retirement Benefits (₹3882.18 crore), Rewards (₹5.20 crore) and Systems for Pensions Administrative-Raksha (SPARSH) Services (₹3.50 crore).	3,890.00	-	3,890.00
	मंत्रालय		NISTRY OF EDUCATION			
25 ₹	कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	25	Department of School Education and			
पु (स 3	i) ऑडिट शिक्षा निदेशालय (डीएई) के लिए रस्कार (₹0.02 करोड़) (ii) व्यावसायिक सेवाएं ₹5 करोड़) और समग्र शिक्षा के लिए पूंजीगत iपित के निर्माण के लिए अनुदान (₹2.75 करोड़) गौर (iii) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में iतरण (₹11000 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को रा करने के लिए।	26	Literacy For meeting expenditure towards (i) Rewards for Directorate of Audit Education (DAE) (₹0.02 crore) (ii) Professional Services (₹5 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹2.75 crore) for Samagra Shiksha and (iii) Transfer to Madhyamik and Uchhatar Shiksha Kosh (₹11000 crore). Department of Higher Education	3,668.85	-	3,668.85
	ज्व्यतर शिक्षा विभाग क) (i) विश्व स्तरीय संस्थानों की योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹20 करोड़) और पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹180 करोड़) और (ii) विश्व स्तरीय संस्थान योजना के तहत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा) में		(a) For (i) Grants-in-aid General (₹20 Crore) and Grants for creation of capital assets (₹180 Crore) under the scheme World Class Institutions and (ii) additional transfer to Madhyamik and Uchhtar Shiksha Kosh (University and Higher Education) (₹6500 Crore) under			
(*	अतिरिक्त हस्तांतरण (₹6500 करोड़)। ख) (i) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को सहायता योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹46.50 करोड़) और भारतीय विज्ञान संस्थान को सहायता (₹6.08 करोड़) (ii) भारतीय विज्ञान संस्थान को सहायता स्कीम के तहत पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹25.41 करोड़) और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता (₹47.56 करोड़) और (iii) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में अतिरिक्त हस्तांतरण (₹6,000 करोड़)।		the scheme World Class Institutions. (b) For (i) Grants-in-aid General under the scheme Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (₹46.50 Crore) and Support to Indian Institute of Science (₹6.08 Crore) (ii) Grants for creation of capital assets under schemes of Support to Indian Institute of Science (₹25.41 crore) and Support to Indian Institute(s) of Information Technology (₹47.56 Crore) and (iii) additional transfer to Madhyamik and Uchhtar Shiksha Kosh	6,500.00	-	6,500.00

(₹6,000 Crore).

				(करो	ड़ रुपए Rupe	es in Crore)
अनुव	इान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवर ण	Grant No. & title and	d description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पर्या	वरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF FORESTS AND	ENVIRONMENT, CLIMATE CHANGE			
28	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	28 Ministry of Env Climate Change	ironment, Forests and			
	(i) भोपाल गैस रिसाव आपदा से संबंधित उपचार और अपशि-ट निपटान कार्य एवं रिमेडियेशन (₹126.09 करोड़), भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (₹2.30 करोड़) और समान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (₹1.10 करोड़) और सहायता अनुदान-वेतन (1 करोड़ रूपए) और पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹10 करोड़) के तहत जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान के लिए प्रावधान बढ़ाने के लिए।	For augmenting pro and waste disposa Gas Leak Disa Botanical Survey of National Biodive crore) under Gran GB Pant Him Environment an Grants-in-aid-Sala	ovision for (i) remediation I works related to Bhopal ster (₹126.09 crore), of India (₹2.30 crore) and ersity Authority (₹1.10 ts-in-aid-General and (ii) halayan Institute of d Development under ries (₹1 crore) and Grants oital assets (₹10 crore).	126.09	-	126.09
वित्त	मंत्रालय	MINISTRY OF FINA	ANCE			
30	आर्थिक कार्य विभाग	Output Output Department of E	conomic Affairs			
	वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में अंतरण हेतु।		nior Citizen Welfare Fund.	5,000.00	-	5,000.00
32	वित्तीय सेवाएँ विभाग रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन	promotion of RuP	Incentive scheme for ay Debit Cards and low-			
	योजना पर भुगतान के लिए।	value BHIM-UPI		985.00	-	985.00
35	राजस्व विभाग (क) परिचालन गतिविधि में वृद्धि और नए कार्यालयों की स्थापना के कारण प्रवर्तन निदेशालय के स्थापना संबंधी व्यय के लिए।	of Enforceme of increased	ment related expenditure nt Directorate on account operational activity and to of new offices.	84.12		84.12
	(ख) अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य संबंधित कार्यों के व्यापक कम्प्यूटरीकरण/ डिजिटलीकरण के लिए।	(b) For compreh	ensive computerization/ f the Appellate Tribunal	04.12	7.10	7.10
41	पेंशन अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ता, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन, अवकाश नकदीकरण, अधिशेष घोषित केंद्र सरकार के कर्मचारियों को विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) से उत्पन्न अनुग्रह पेंशन, परिभाषित अंशदान पेंशन योजना, पेंशन शुल्क के संबंध में एनसीटी दिल्ली सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारी और अन्य पेंशन के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additicular Superannuation and Gratuities, Fam Encashment, Exegof special Volunt (VRS) to Central declared as surplus Pension Scheme, respect of retirees	onal expenditure towards and Retirement Allowance, nily Pensions, Leave gratia Pension arising out ary Retirement Scheme Government Employee as, Defined Contribution Pensionary charges in structure of MCT Delhi and Other		7.10	7.10
		Pensions.		3,000.00	-	3,000.00
E^	गृह मंत्रालय मंत्रिमंडल	MINISTRY OF HOM	IE AFFAIRS			
υ	(क) अन्य राजस्व व्यय के अंतर्गत विशेष अतिरिक्त सत्र उड़ान परिचालन के लिए।	Operations 1	Extra Session Flight under Other Revenue	220.41		220.41
	(ख) अन्य पूंजीगत व्यय के तहत विशेष अतिरिक्त सत्र उड़ान परिचालन के लिए।	Expenditure. (b) For Special Operations u	Extra Session Flight under Other Capital	238.41	-	238.41
		Expenditure.	-	-	221.84	221.84

			(करोड़ रुपए Rupees in (
अनु	दान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
58	जम्मू किश्मीर के लिए अंतरण संसाधन अंतर को पाटने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	58 Transfers to Jammu and Kashmir For meeting additional expenditure towards Central Assistance to the UT of Jammu & Kashmir for bridging the Resource Gap.		-	3,000.00
	वे और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
65	विधि और न्याय चुनाव संबंधी व्यय की लंबित देनदारियों को निपटाने के लिए व्यावसायिक सेवाओं के तहत व्यय को पूरा करने के लिए।	65 Law and Justice For meeting expenditure under Professiona Services for clearing the pending liabilities towards election related expenditure.		_	286.92
66	निर्वाचन आयोग (i) आईआईआईडीईएम परिसर के निर्माण के संबंध में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार मध्यस्थता संबंधी निर्णय की शेष राशि का भुगतान (₹18.60 करोड़) और (ii) आईआईआईडीईएम परिसर (₹5.68 करोड़) के निर्माण के संबंध में सीपीडब्ल्यूडी की लंबित देनदारियों को निपटाने के लिए अतिरिक्त व्यय को करने के लिए।	For meeting additional expenditure on (i) payment of balance amount of arbitration award as per the directions of Hon'ble High Court of Delhi in connection with the construction of IIIDEM campus (₹18.60 crore) and (ii) clearing the pending liabilities of the CPWD in connection with the construction of IIIDEM campus (₹5.68)	 	24.28	24.28
67	भारत का उच्चतम न्यायालय (क) (i) वेतन (₹5.88 करोड़), (ii) पुरस्कार (₹0.24 करोड़), (iii) चिकित्सा उपचार (₹2.80 करोड़), (iv) भत्ते (₹4.13 करोड़), (v) अवकाश यात्रा रियायत (₹0.50) करोड़), (vi) प्रशिक्षण व्यय (₹0.03 करोड़), (vii) विदेश यात्रा व्यय (₹1.25 करोड़), (viii) कार्यालय व्यय (₹7 करोड़), (ix) विज्ञापन और प्रचार (₹0.03 करोड़) और (x) व्यावसायिक सेवाएँ (₹4.58 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	crore). 67 Supreme Court of India (a) For meeting additional expenditure under (i) Salaries(₹5.88 crore), (ii) Rewards (₹0.24 crore), (iii) Medica Treatment (₹2.80 crores), (iv) Allowances (₹4.13 crore), (v) Leave Travel Concession (₹0.50 crore), (vi) Training Expenses (₹0.03 crore), (vii) Foreign Travel Expenses (₹1.25 crore) (viii) Office Expenses (₹7 crore), (ix) Advertising and Publicity (₹0.03 crore) and (x) Professional services (₹4.58 crore).		24.28	24.28
	(ख) (i) मोटर वाहन (₹0.14 करोड़), (ii) सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹8.49 करोड़) और (iii) अन्य अचल संपत्ति (₹1.44 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	 (b) For meeting additional expenditure under (i) Motor Vehicle (₹0.14 crore) (ii) Information, Computer Telecommunications (ICT) Equipmen (₹8.49 crore) and (iii) Other Fixed Assets (₹1.44 crore). 		9.56	9.56
	त मंत्रालय खान मंत्रालय राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट निधि में अंतरण हेतु।	MINISTRY OF MINES 69 Ministry of Mines For transfer to National Mineral Exploration Trust Fund.	821.42	-	821.42
	पति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
83	उपराष्ट्रपति सचिवालय (क) कार्यालय व्यय के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	83 Secretariat of the Vice-President(a) For meeting additional expenditure under Office Expenses.	0.50	-	0.50

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पुंजी जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital Grant No. & title and description of items Revenue **Total** (ख) सूचना, कम्प्यूटर, दुरसंचार (आईसीटी) (b) For meeting additional expenditure उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा under Information, Computer, करना। Telecommunication (ICT) Equipment. 0.15 0.15 ग्रामीण विकास मंत्रालय MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 87 ग्रामीण विकास विभाग 87 Department of Rural Development (क) निम्नलिखित के लिए (i) महात्मा गांधी रा-ट्रीय (a) For (i) transfers of funds to National ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत Employment Guarantee Fund under रा-ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को निधि अंतरण Mahatma Gandhi National Rural (6000 करोड़ रूपये) और (ii) महात्मा गांधी Employment Guarantee Scheme रा-ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के (₹6000 crore) and (ii)Grants for अंतर्गत पुंजीगत आस्तियों के सृजन हेत् Creation of Capital Assets under अनुदान (४८४२.६६ करोड़ रूपये)। Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (₹4842.66 crore). 10,798.28 - 10,798.28 (ख) कृ-। अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि (b) For additional transfer to Agriculture को अतिरिक्त अंतरण करने के लिए (12000 Infrastrucutre and Development करोड़ रूपये)। Reserve Fund (₹12000 crore). 2,256.66 2,256.66 (ग) निम्नलिखित के लिए (i) प्रधानमंत्री आवास (c) For (i) Grants for Creation of Capital योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण के अंतर्गत Assets (₹0.01 crore) towards Pradhan प्रधानमंत्री जनजातिय आदिवासी न्याय महा Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha अभियान (पीएम-जन मन) हेत् पूंजीगत Abhiyan (PM-JANMAN) under आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (0.01 करोड़ Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY)-रूपये)और (ii) प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना Rural and (ii) transfers to Agriculture को वित्तपो-ित करने के लिए कृ-ि। अवसंरचना Infrastructure and Development और विकास आरक्षित निधि में अंतरण Reserve Fund (₹170.59 crore) towards (170.59 करोड़ रूपये)। financing of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna. 469.52 469.52 कुल नकद व्यय **Total Cash Outgo** 77,429.12 1,243.80 78,672.92 (करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड

3. अनुदानों की अनुपूरक मांगों के इस बैच में ₹1,21,625.40 करोड़ रुपए के तकनीकी अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों के प्रस्ताव शामिल हैं जो मंत्रालयों/ विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों अथवा तदनुरूपी बचतों से सुपूरित होते हैं। ये मद इस प्रकार से हैं:

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण

3. This batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹1,21,625.40 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

Capital

Total

Revenue

तकनीकी अनुपूरक अनुदान मांगें

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

1 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग

(क) 1 के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (4157.84 करोड़ रूपये) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (552.08 करोड़ रूपये) प्रदान करना।

Technical Supplementary Demands for grants

Grant No. & title and description of items

MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS' WELFARE

- 1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare
 - (a) For 1. providing additional 'Grants-inaid General (₹4157.84 crore) and Grants-in-aid General under Tribal Area Sub-Plan (₹552.08 crore) towards meeting expenditure under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi' (PM-

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

नुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
2. पीएम-आशा योजना की मूल्य समर्थन योजना (1000 करोड़ रुपये) के तहत सब्सिडी प्रदान करना और 3. (i) 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (पीएमएफबीवाई) योजना के वित्तपोषण के लिए 15000 करोड़ रुपये, 'कृषि अवसंरचना और विकास कोष' में और (ii) 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (पीएम-किसान) योजना के वित्तपोषण के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास कोष' में 60000 करोड़ रुपये और (iii) कृषि अवसंरचना और विकास निधि में 3500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अंतरण।	KISAN) 2. providing subsidy under Price Support Scheme of PM-Aash Scheme (₹1000 crore) and 3. transfer of (i) (₹15000 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund towards financing of the scheme 'Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) and (ii) (₹60000 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme 'Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi' (PM-KISAN) and (iii additional transfer to (₹3500 crore to Agriculture Infrastructure and Development Fund.	a r e e e e e e e e e e e e e e e e e e	70	9,133.36
(ख) मृदा और जल संरक्षण के तहत मजदूरी, चिकित्सा उपचार, पुरस्कार आदि के व्यय	(b) For meeting expenditure toward Wages, Medical Treatment, Reward	S	- /3	,,133.30
को पूरा करने के लिए। (ग) योजना- 'संशोधित ब्याज सहायता स्कीम' (एमआईएसएस) (18500.00 करोड़) के वित्तपोषण के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास निधि' में ₹19500 करोड़ के अंतरण के लिए	etc. under Soil and Water Conservation (c) For transfer of ₹19500 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme- 'Modified Interes Subvention Scheme' (MISS)) 1 3 t	-	2.12
(घ) स्कीम - 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' (आरकेवीवाई) के वित्तपोषण के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास निधि' में 686.45 करोड़ रुपये के अंतरण के लिए (186.45 करोड़ रुपये) और (ii) कृषोन्नति योजना के कृषि विपणन के तहत सामान्य अनुदान सहायता प्रदान करना (527 करोड़ रुपये)।	(₹18500.00 crore). (d) For transfer of ₹686.45 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme- 'Rashtriya Krishi Vika Yojna' (RKVY) (₹186.45 crore) and (ii providing Grants-in-aid General unde Agriculture Marketing of Krishonnat	1	- 1.	5,100.00
(ड) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए कृषोन्नति योजना (14.77 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (₹222 करोड़ रुपये) के तहत सहायता अनुदान के लिए व्यय को	Yojana (₹527 crore). (e) For meeting expenditure toward Grants-in-aid General unde Krishonnati Yojna (₹14.77 crore) and Rashtriya Krishi Vikas Yojna (₹22.	r d 2	-	5.52
पूरा करना। (च) स्कीम - 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' के वित्तपोषण के लिए कृषि अवसंरचना और विकास निधि में 5937.85 करोड़ रुपये के अंतरण के लिए	crore) for North Eastern Areas. (f) For transfer of ₹5937.85 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme - 'Rashtriya Krishi Vika	d g	-	236.77
(छ) फसल कार्य पर पूंजीगत परिव्यय के तहत	Yojna'. (g) For meeting expenditure under Capita	5,133.56	- 5	5,133.56
व्यय को पूरा करना। (ज) अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय के तहत व्यय को पूरा करना।	Outlay on Crop Husbandry. (h) For meeting expenditure under Capita Outlay on Other Agricultural	-	27.58	27.58
(झ) अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के तहत व्यय को पूरा करना।	Programmes. (i) For meeting expenditure under Capita Outlay on other General Economic	- 1	3.47	3.47
वारच्यत्र वर राहरा व्यव वर्ग पूरा वर्गा।	Services.	-	7.97	7.97

डालना/माफ करना।

			(करो	s in Crore)	
अनुव	द्मन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कृषि	। और किसान कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS' WELFARE			
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (i) आईसीएआर सहायता' के तहत फसल विज्ञान संस्थानों अनुसंधान और शिक्षा स्क्रीम के लिए सामान्य सहायता अनुदान (88.33 करोड़ रूपये) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (62.62 करोड़ रूपये) (ii) कृषि में सूचना और प्रकाशन निदेशालय सहित आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन के तहत पेंशन देनदारियों और अन्य प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति के लिए सामान्य सहायता अनुदान (130.50 करोड़ रूपये) (iii) आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु जिनमें कृषि, बौद्धिक	Education For (i) Grants-in-aid General (₹88.33 crore) and 'Grants-for creation of Capital Assets' (₹62.62 crore) of Crop Science Institutes, Research & Education Schemes under 'Assistance to ICAR' (ii) Grants-in-aid General for the meeting of pensionary liabilities and other administrative expenses under 'ICAR Headquarter Administration including Directorate of Information and Publication in Agriculture, Intellectual Property Rights Management' (₹130.50 crore) (iii) Grants for Creation of Capital Assets under 'ICAR Headquarter			
	संपदा अधिकार प्रबंधन में सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय शामिल हैं (2 करोड़ रुपये) और (iv) आईसीएआर को सहायता' के तहत सामान्य सहायता अनुदान (39.09 करोड़ रुपये) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (78.96 करोड़ रुपये)।	Administration including Directorate of Information and Publication in Agriculture, Intellectual Property Rights Management' (₹2 crore) and (iv) Grants-in-aid General (₹39.09 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹78.96 crore) under 'Assistance to ICAR'.	0.45	-	0.45
रसा	यन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND			
5	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	FERTILISERS 5 Department of Chemicals and Petrochemicals			
	(क) एचआईएल (इंडिया) लि. (104.25 करोड़ रुपये), एनएसपी स्कीम के लिए सामान्य अनुदान सहायता अर्थात सीपीडीएस (0.75 करोड़ रुपये) और आईपीएफटी के सीसीए घटक (1.50 करोड़ रुपये) के संबंध में बकाया ऋण पर मूलधन और ब्याज को बट्टे खाते में डालने/माफ करने के लिए	(a) For writing off/waiving off principal and interest on outstanding loan in respect of HIL (India) Ltc. (₹104.25 crore), Grants-in-aid General of NSP scheme i.e. CPDS (₹0.75 crore) and CCA component of IPFT (₹1.50 crore).	104.25	-	104.25
	(ख) मशीनरी और उपकरण (0.11 करोड़ रुपये), सूचना कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) (0.64 करोड़ रुपये) और फर्नीचर और फिशर के लिए (0.02 करोड़ रुपये) ।	(b) For Machinery and Equipment (₹0.11 crore), Information Computer Telecommunications (ICT) (₹0.64 crore) and Furniture & Fistures (₹0.02 crore).	-	0.77	0.77
रसा	यन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND			
7	फार्मास्यूटिकल्स विभाग (i) आरडीपीएल (64.25 करोड़ रुपये) और (ii) पीपीडीएस के तहत सामान्य सहायता अनुदान (2 करोड़ रुपये) और फार्मास्यूटिकल्स स्कीम के	FERTILIZERS 7 Department of Pharmaceuticals For (i) write off/waiver off the loan amount of RDPL (₹64.25 crore) and (ii) Grants-in- aid General under PPDS (₹2 crore) and PLI	. .		
	लिए पीएलआई (32 करोड़ रुपये) के तहत सामान्य सहायता अनुदान की ऋण राशि को बट्टे खाते में ज्याना/माफ करना।	for Pharmaceuticals scheme (₹32 crore).	64.25	-	64.25

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
 तागर विमानन मंत्रालय (क) विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो में 'भवन और संरचनाएं' के तहत संयुक्त कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भुगतान के लिए। (ख) (i) नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में स्थापना के लिए (66.10 करोड़ रुपये) और एयरोनॉटिकल निरीक्षण नियंत्रक (डीजीसीए) में स्थापना के लिए (1.10 करोड़ रुपये) और (ii) नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो में भवन और संरचना (स्थापना) के लिए (6.02 करोड़ रुपये) के तहत संयुक्त कार्यालय भवन के निर्माण और अन्य पूंजीगत व्यय के भुगतान 	 8 Ministry of Civil Aviation (a) For payment for construction of combined office building under 'Building and Structures' in Aircraft Accident Investigation Bureau. (b) For payment for construction of combined office building and other capital expenditure under (i) Establishment in Directorate General Civil Aviation (₹66.10 crore) & Establishment in Controller of Aeronautical Inspection (DGCA) 	-	4.88	4.88
के लिए। (ग) विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के लिए मशीनरी और उपकरण के व्यय को पूरा करना।	 (₹1.10 crore) and (ii) Building & Structures (Establishment) in Bureau of Civil Aviation Security (₹6.02 crore). (c) For meeting expenditure towards Machinery and Equipment for Aircraft 	-	73.22	73.22
311(314)(1) 47 344 471 3(47(11)	Accident Investigation Bureau.	-	1.59	1.59
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10 वाणिज्य विभाग ब्याज समानीकरण स्कीम के तहत सब्सिडी के लिए (768 करोड़ रूपये) ।	10 Department of Commerce For Subsidies (₹768 crore) under Interest Equalisation Scheme.	9.44	-	9.44
संचार मंत्रालय 12 डाक विभाग (क) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (₹15.04 करोड़ रुपये) और मोटर वाहन (₹0.59 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	MINISTRY OF COMMUNICATIONS 12 Department of Posts (a) For meeting additional expenditure towards Information and communication Technology (₹15.04 crore) and Motor Vehichle (₹0.59 crore).	_	15.63	15.63
(ख) मोटर वाहनों (₹11.08 करोड़ रुपये), भवन (₹12.40 करोड़ रुपये) और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (₹144.64 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Motor Vehicles (₹11.08 crore), Building (₹12.40 crore) and Information and Communication Technology (₹144.64 crore).	-	168.12	168.12
संस्कृति मंत्रालय 1. (i) अकादमी को सहायता (50 करोड़ रुपये), (ii) बीटीआई एवं स्मारक (4.44 करोड़ रुपये), (iii) संग्रहालय को सहायता (38.42 करोड़ रुपये) और (iv) पुस्तकालयों को सहायता (3.85 करोड़ रुपये) के लिए सामान्य सहायता अनुदान 2. (i) संग्रहालय को सहायता (0.18 करोड़ रुपये) (ii) पुस्तकालय को सहायता (2.50 करोड़ रुपये), (iii) बीटीआई और स्मारक (0.10 करोड़ रुपये) और (iv) अकादिमयों को सहायता (7 करोड़ रुपये) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन	MINISTRY OF CULTURE 18 Ministry of Culture For meeting expenditure towards1. Grants- in-aid General for (i) Support to Akademi (₹50 crore) (ii) BTI & Memorial (₹4.44 crore) (iii) Support to Museum (₹38.42 crore) and (iv) Support to Liabraries (₹3.85 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets for (i) Support to Museum (₹0.18 crore) (ii) Support to Library (₹2.50 crore) (iii) BTI & Memorials (₹0.10 crore) and (iv) Support to Akademies (₹7 crore) 3. Grants- in-aid Salaries for Support to Museum			

		(करे	ोड़ रुपए Ruped	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
हेतु अनुदान 3. संग्रहालय को सहायता के लिए वेतन सहायता अनुदान (2.88 करोड़ रु) 4. शताब्दी और वर्षगाँठ स्कीम (25 करोड़ रूपये) और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (10.50 करोड़ रूपये) के तहत अन्य शी-र्गे के व्यय को पूरा करना।	(₹2.88 crore) 4. Other heads under Centenaries and Anniversaries Scheme (₹25 crore) and Archaeological Survey of India (₹10.50 crore).	35.50	-	35.50
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
19 रक्षा मंत्रालय (सिविल) (क) सामग्री एवं आपूर्ति तथा अन्य स्थापना संबंधी व्यय के अंतर्गत कैंटीन भंडार विभाग के लिए 519 करोड़ रूपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	 Ministry of Defence (Civil) (a) For meeting additional expenditure of ₹519 crore for Canteen Store Department under Material and Supplies and other Establishment related expenditure. 	393.00	_	393.00
(ख) भारत डायनामिक्स लिमिटेड को जारी बोनस	(b) For meeting additional expenditure			
शेयरों के समायोजन की दिशा में अतिस्कि व्यय को पूरा करने के लिए। (ग) वर्ष 2017-18 के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के संबंध में जारी बोनस शेयरों के	towards adjustment of bonus shares issued to Bharat Dynamics Limited. (c) For meeting additional expenditure towards adjustment of Bonus Shares	-	91.64	91.64
समायोजन के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। 20 रक्षा सेवाएं (राजस्व)	issued in respect of Bharat Electronic Limited for the year 2017-18. 20 Defence Services (Revenue)	-	264.36	264.36
वायु सेना के लिए 'स्टोर' (3,365.52 करोड़ रुपये) और 'विशेष परियोजनाओं' के लिए (1.50 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	For meeting additional expenditure towards 'stores' (₹3,365.52 crore) and 'Special Projects' (₹1.50 Crore) for Air Force.	398.00	-	398.00
21 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (0.50 करोड़ रुपये), सेना के लिए निर्माण कार्य (30 करोड़ रूपये), नौसेना के लिए भूमि (0.18 करोड़ रूपये) और वायु सेना के लिए निर्माण कार्य (17.45 करोड़ रूपये) के अदालत के आदेश से उत्पन्न होने वाले व्यय के संबंध में अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	21 Capital Outlay on Defence Services For meeting additional expenditure towards Ex -Servicemen Contributory Health Scheme (₹0.50 crore), Construction Works (₹30 crore) for Army, Land (₹0.18 crore) for Navy and Construction Works (₹17.45 crore) for Air Force towards expenditure arising out of court order.	_	28.87	28.87
22 रक्षा पेंशन पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (3882.18 करोड़ रुपये), पुरस्कार (5.20 करोड़ रुपये) और पेंशन प्रशासनिक-रक्षा (एसपीएआरएसएच) सेवाओं (3.50 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	Persons For meeting additional expenditure towards Pensions and Other Retirement Benefits (₹3882.18 crore), Rewards (₹5.20 crore) and Systems for Pensions Administrative- Raksha (SPARSH) Services (₹3.50 crore).	0.88	-	0.88
वित्त मंत्रालय 42 राज्यों को अंतरण बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ब्लॉक ऋण) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 2950 करोड़ रुपए प्रदान करने हेतु।	 MINISTRY OF FINANCE 42 Transfers to States For providing ₹2950 crore as additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Block Loans). 	_	2,950.00	2,950.00
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING			
45 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) स्कीम के वित्तपोषण के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास कोष' में अंतरित करने हेतु ।	INDUSTRIES 45 Ministry of Food Processing Industries For transfer to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the Scheme Pradhan Mantri Kisan			
The second secon	Sampada Yojana (PMKSY).	745.00	-	745.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पुंजी जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Capital Grant No. & title and description of items Revenue **Total** भारी उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES 48 भारी उद्योग मंत्रालय 48 Ministry of Heavy Industries सचिवालय-आर्थिक सेवाओं के तहत कार्यालय For Office Expenses (₹1.92 crore) under व्यय (1.92 करोड़ रूपये) के लिए। Secretariat- Economic Services. 0.19 0.19 गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs 49 (क) आईसीटी के व्यय को पूरा करने हेतु (a) For meeting expenditure towards ICT. 5.00 5.00 (ख) भूमि की खरीद के लिए सिक्किम सरकार (b) For making payment to Government of को भूगतान करने हेतू। Sikkim towards purchase of land. 2.63 2.63 51 Police (क) आईटीबीपी के तहत अन्य राजस्व व्यय हेत्। (a) For Other Revenue Expenditure under 0.72 0.72(ख) भत्ते (₹२७४० करोड़), वेतन (₹७०० करोड़), (b) For meeting expenditure towards घरेलू यात्रा व्यय (342.15 करोड़ रुपये), Allowances (₹2740 crore), Salaries ईंधन और स्नेहक (100 करोड़ रुपये), पूंजीगत (₹700 crore), Domestic Travel आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (72.11 Expenses (₹342.15 crore), Fuel and करोड़ रुपये) के व्यय को पूरा करने के लिए Lubricants (₹100 crore), Grants for एलपीएआई और पुलिस बलों वेन creation of Capital Assets (₹72.11 आधुनिकीकरण के लिए (2.11 करोड़ रुपये), crore) for LPAI and Modernization of एलपीएआई के लिए सामान्य सहायता अनुदान Police forces (₹2.11 crore), Grants in (₹10 करोड़), कार्यालय व्यय (₹150 करोड़), Aid General for LPAI (₹10 Crore), अन्य राजस्व व्यय (₹100 करोड़), लघु सिविल Office Expenses (₹150 crore), Other और विद्युत कार्य (₹100) करोड़), पेशेवर Revenue Expenditure (₹100 crore), सेवाएँ (₹150 करोड़) और अन्य के लिए Minor Civil and Electrical Works (₹100 किराया (₹233.60 करोड़)। crore), Professional Services (₹150 crore) and Rent for other (₹233.60 439 08 439.08 crore). 53 चंडीगढ 53 Chandigarh (क) आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के भुगतान (a) For meeting additional expenditure for और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों the payment of wages to the outsourced और उच्च न्यायालय के अधिकारियों के चिकित्सा staff and the reimbursement of medical दावों की प्रतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त व्यय को claims of Retired Judges, Judicial परा करने के लिए officers and officials of High Court 4.16 4.16 (ख) चुनाव प्रभार के संबंध में बिलों के लंबित (b) For meeting additional expenditure for भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पुरा the pending payment of bills in respect करने के लिए। Election Charges . 2.10 2.10 (ग) वीवीआईपी और वीआईपी दौरों के लिए वाहनों (c) For meeting additional expenditure for को किराए पर लेने, बुथ स्तर के अधिकारियों payment of hiring vehicles for VVIP को भुगतान और राज्य समारोहों के आयोजन and VIP visits, payment to Booth Level के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। officers and for organizing state 2.40 2.40 functions. (घ) ई-ऑफिस मॉड्यूल के कार्यान्वयन के लिए (d) For meeting additional expenditure for हार्डवेयर की खरीद और जीईएम के माध्यम procurement of hardware for the से केंद्रीय स्टोर में सीमेंट, इस्पात और निर्माण implementation of e-office module and सामग्री की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय procurement of cement, steel and को पूरा करने के लिए। building material in the Central Store 3.98 3.98 through GeM. (ङ) आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं, डिलीवरी किट, For meeting additional expenditure for वैक्सीन और सर्जिकल वस्तुओं की खरीद purchase of essential life savings drugs, के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए delivery kits, vaccine and surgical items

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पुंजी जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Capital Revenue **Total** और सरकारी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में and for claim re-imbursements to the एबी-पीएमजेएवाई के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों empanelled hospitals under AB-में दावा प्रतिपूर्ति के लिए, और सरकारी PMJAY in Government Multispeciality मेडिकल कॉलेज की पुरानी मशीनरी की Hospital, and for repair and मरम्मत और रखरखाव के लिए। maintenance of old machinery of the Government Medical College. 11.04 11.04 (च) बसों के स्पेयर पाटर्स की कीमतों में वृद्धि (f) For meeting additional expenditure for और बस बेड़े (फ्लीट) में वृद्धि के कारण Transport Department due to hike in परिवहन विभाग के अतिरिक्त व्यय को पूरा prices of spare parts of buses and करने के लिए। increase of bus fleet. 3.32 3.32 जल शक्ति मंत्रालय MINISTRY OF JAL SHAKTI 62 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण 62 Department of Water Resources, River विभाग **Development and Ganga Rejuvenation** (क) वेतन, मजदूरी, पुरस्कार, घरेलू और विदेशी (a) For meeting expenditure towards यात्रा आदि पर स्थापना व्यय की पूर्ति के establishment expenditure on Salaries, लिए। Wages, Rewards, Domestic & Foreign Travel etc. 2.14 2.14 (ख) 'नदियों को जोड़ने' की योजना के तहत (b) For transfer of ₹3200 crore to वित्तपोषण के लिए 'कृषि अवसंरचना और 'Agriculture Infrastructure and विकास निधि' में ₹3200 करोड़ के अंतरण Development Fund' towards financing के लिए। under the scheme 'Interlinking of Rivers'. 1,100.00 1,100.00 (ग) अटल भूजल योजना के तहत ईएपी घटक (c) For meeting expenditure towards के तहत और गैर-ईएपी घटक के तहत सामान्य Grants-in-aid General under EAP सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के Component and under Non-EAP लिए। Component under Atal Bhujal Yojana. 497.14 497.14 (घ) अन्य परिवहन सेवाओं के तहत भत्ते, चिकित्सा, (d) For meeting expenditure towards कार्यालय व्यय और व्यावसायिक सेवाओं आदि Allowances, Medical, Office Expenses के व्यय को पूरा करने के लिए। and Professional Services etc. under 4.16 Other Transport Services. 4.16 (ङ) 'राष्ट्रीय गंगा योजना' योजना के वित्तपोषण (e) For transfer of ₹2300 crore to के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास निधि' 'Agriculture Infrastructure and में ₹2300 करोड़ के अंतरण के लिए। Development Fund' towards financing the scheme 'National Ganga Plan'. 705.00 705.00 (च) 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/ (f) For transfer of ₹2900 crore to विशेष परियोजनाओं' योजना के वित्तपोषण 'Agriculture Infrastructure and के लिए 'किष अवसंरचना और विकास निधि' Development Fund' towards financing में ₹2900 करोड़ के अंतरण के लिए। the scheme 'Accelerated Irrigation Benefit Programme and National/ Special Projects'. 1,607.42 1,607.42 63 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 63 Department of Drinking Water and Sanitation सूचना कम्प्यूटर और दूरसंचार उपकरणों की लागत For the cost of Information, Computer and के लिए। Telecommunications Equipment. 1.40 1.40 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE **ENERGY** 71 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय Ministry of New and Renewable Energy केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से संबंधित लंबित For office building expenditure against देनदारियों के संबंध में कार्यालय भवन व्यय के pending liabilities related to Central Public लिए। Works Department. 5.50 5.50

		(करो	ड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 74 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (क) सीबीआई के लिए व्यापक आधुनिकीकरण और भूमि की खरीद/कार्यालय/आवासीय भवनों के निर्माण के लिए। (ख) अवसंरचना में सुधार और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन के लिए (लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी)। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (क) सचिवालय-आर्थिक सेवाओं में 'सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' के तहत मौजूदा वीसी प्रणाली के उन्नयन और अन्य आईटी उत्पादों जैसे पीसी, प्रिंटर की खरीद के लिए।	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 74 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (a) For comprehensive modernisation and purchase of land/construction of office/residence buildings for CBI. (b) For improvement of infrastructure and upgradation of essential facilities (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration). MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS 78 Ministry of Ports, Shipping and Waterways (a) For up-gradation of existing VC system and procurement of other IT products viz PC, Printers under 'Information, Computer and Telecommunication (ICT) Equipment' in Secretariat-Economic Services.		30.47 9.60	30.47 9.60
विद्युत मंत्रालय (i) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग की स्थापना के लिए सहायता अनुदान वेतन (₹0.38 करोड़) (ii) स्मार्ट ग्रिड के लिए क्रमशः सहायता अनुदान (विद्युत प्रणालियों का सुद्दीकरपण) (₹8.49 करोड़) और पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (पीएसडीएफ) (₹86.88 करोड़) (iii) रिफार्म लिंक्ड ड्रिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के आस्ति निर्माण के लिए अनुदान (₹50 करोड़) (iv) केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) योजना के तहत सामान्य अनुदान सहायता (₹17 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹13 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF POWER 79 Ministry of Power For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid Salary (₹0.38 crore) for setting up of Joint Electricity Regulatory Commission for UT of Jammu & Kashmir and Ladakh (ii) Grants-in-aid General for Smart Grids (Strengthening of Power Systems) (₹8.49 crore) and Power System Development Fund (PSDF) respectively (₹86.88 crore) (iii) Grants for Creation of Assets (₹50 crore) for Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM- JANMAN) under Reform Linked Distribution Scheme and (iv) Grants-in-aid General (₹17 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹13 crore) under the scheme Central Electricity Regulatory Commission (CERC).	30.00	_	30.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय 87 ग्रामीण विकास विभाग कृ-ि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि को अतिरिक्त अंतरण के लिए (₹12000 करोड़)। 88 भूमि संसाधन विभाग (क) वाटरशेड विकास घटक-प्रधान मंत्री कृषि संचाई योजना के वित्तपोषण के लिए कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि में अंतरण के लिए (₹212.35 करोड़)।	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 87 Department of Rural Development For additional transfer to Agriculture Infrastrucutre and Development Reserve Fund (₹12000 crore). 88 Department of Land Resources (a) For transfers to Agriculture Infrastructure and Development Reserve Fund under Watershed Development Component-Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (₹212.35)	9,475.51	_	9,475.51
	crore).	58.26	-	58.26

(b) For transfers to

Mantri Krishi

crore).

(₹1491.29 crore).

Grant No. & title and description of items

Infrastructure and Development

Reserve Fund under Watershed

Development Component-Pradhan

Infrastructure and Development Reserve Fund under Watershed

Development Component-Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (₹35.91

(c) For transfers to Agriculture

Sinchai

Agriculture

Yojana

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)
राजस्व पूंजी जोड़
Revenue Capital Total

1,118.36 - 1,118.36

24.32 - 24.32

1,476.20

1,476.20

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण

(ख) वाटरशेड विकास घटक-प्रधानमंत्री किष

(₹1491.29 करोड़) अंतरण के लिए।

(ग) वाटरशेड विकास घटक-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वित्तपोषण के लिए कृषि

> अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि में (₹35.91 करोड़) अंतरण के लिए।

> सिंचाई योजना के वित्तपोषण के लिए कृषि

अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि में

92 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) में ₹2333.33 करोड़ के अंतरण के लिए।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

102 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

1. योजना के तहत सामान्य के लिए (i) युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (सामान्य श्रेणी के तहत ₹8 करोड़, एससी श्रेणी के तहत ₹0.64 करोड़ और एसटी श्रेणी के तहत ₹0.41 करोड़) (ii) राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम (₹4.04 करोड़ सामान्य श्रेणी के तहत, एससी श्रेणी के तहत ₹0.94 करोड़ और एसटी श्रेणी के तहत ₹0.42 करोड़) (iii) खेल में मानव संसाधन विकास (₹1 करोड़) और (iv) खेलो इंडिया (₹66.30 करोड़) 2. जम्मू-कश्मीर में खेल सुविधा में वृद्धि के तहत पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹5 करोड़) 3. योजना के तहत अन्य राजस्व व्यय (i) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) (₹15 करोड़) (ii) राष्ट्रीय सेवा योजना (₹2 करोड़) और (iii) खेलो इंडिया (₹1.80 करोड़) 4. राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत विज्ञापन और प्रचार (₹1 करोड़) 5. (i) व्यावसायिक सेवा राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत (₹2 करोड़) और (ii) खेलो इंडिया (₹2.20 करोड़) 6. राष्ट्रीय खेल विकास निधि के तहत योगदान (₹30 करोड़) और 7. राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत कार्यालय व्यय (₹7 करोड़)।

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT

92 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

AND ENTREPRENEURSHIP

For transfer of ₹2333.33 crore to Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh (MUSK).

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

102 Ministry of Youth Affairs and Sports

For 1. General under the scheme (i) National Programme for Youth and Adolescent Development (₹8 crore under General category, ₹0.64 crore under SC category & ₹0.41 crore under ST category) (ii) National Young Leaders Programme (₹4.04 crore under General category, ₹0.94 crore under SC category & ₹0.42 crore under ST category) (iii) Human Resource Development in Sports (₹1 crore) and (iv) Khelo India (₹66.30 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets under Enhancement of Sports Facility at J&K (₹5 crore) 3. Other Revenue Expenditure under the scheme (i) International Cooperation (IC) (₹15 crore) (ii) National Service Scheme (₹2 crore) and (iii) Khelo India (₹1.80 crore) 4. Advertising and Publicity under the National Service Scheme (₹1 crore) 5. Professional Service under (i) National Service Scheme (₹2 crore) and (ii) Khelo India (₹2.20 crore) 6. Contribution under the National Sports Development Funds (₹30 crore) and 7. Office Expenses under the National Service Scheme (₹7 crore).

3.70 - 3.70

कुल तकनीकी Total Technical 1,17,931.30 3,694.10 1,21,625.40

		(करोड़ रुपए Rupees		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
4 नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में प्रत्येक के लिए 1 लाख रुपये के पूरक अनुदान लेने का भी प्रस्ताव है, जिसके सामने दर्शाया गया व्यय संबंधित अनुदान के राजस्व या पूंजी भाग, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत बचत के पुनर्विनियोजन से पूरा किया जाएगा।	4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also items listed below, the expenditure indicate reappropriation of savings within the Revenue or of the relevant grant.	d against w	hich will b	e met by
अनुदान के लिए सांकेतिक पूरक मांगे	Token Supplementary Demands for grants			
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS' WELFARE			
1 कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare			
3602-संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	26.05	-	26.05
2 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	34.84	-	34.84
आयुष मंत्रालय	MINISTRY OF AYUSH			
 अायुष मंत्रालय 2210-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य 	4 Ministry of AYUSH 2210-Medical and Public Health	10.25	-	10.25
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
5 रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग	5 Department of Chemicals and Petrochemicals			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	0.40	-	0.40
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
8 नागर विमानन मंत्रालय	8 Ministry of Civil Aviation	•••		• • • • •
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	30.00	=	30.00
3053 - नागर विमानन	3053 - Civil Aviation	37.87	-	37.87
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	20.00	-	20.00
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	3475 - Other General Economic Services	0.30	-	0.30
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
12 डाक विभाग	12 Department of Posts			
3201 - डाक सेवाएँ	3201 - Postal Services	233.30	-	233.30
13 दूरसंचार विभाग 3275 - अन्य संचार सेवाएँ	Department of Telecommunications 3275 - Other Communication Services	6,352.27	-	6,352.27
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
18 संस्कृति मंत्रालय	18 Ministry of Culture			
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	-	8.00	8.00

		(कर	ोड़ रुपए Ruped	es in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
21 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	21 Capital Outlay on Defence Services			
4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076 - Capital Outlay on Defence Services	_	8,466.00	8,466.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF		,	,
	NORTH EASTERN REGION			
23 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	23 Ministry of Development of North			
·	Eastern Region			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	2.06	-	2.06
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत	4070 - Capital Outlay on Other			
परिव्यय	Administrative Services	-	0.55	0.55
शिक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF EDUCATION			
25 स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	25 Department of School Education			
Y .	and Literacy			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	7.50	-	7.50
3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601 - Grants-in-aid to State Governments	135.86	-	135.86
3602 - संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता	3602 - Grants-in-aid to Union Territory			
अनुदान	Governments	0.02	-	0.02
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT,			
	FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
28 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	28 Ministry of Environment, Forests and			
	Climate Change			
2406 - वानिकी और वन्य जीवन	2406 - Forestry and Wild Life	16.60	-	16.60
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
29 विदेश मंत्रालय	29 Ministry of External Affairs			
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052 - Secretariat-General Services	11.01	_	11.01
2061 - विदेश मामले	2061 - External Affairs	726.69	-	726.69
0				
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
31 व्यय विभाग	31 Department of Expenditure			
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत	4070 - Capital Outlay on Other			
परिव्यय	Administrative Services	-	0.44	0.44
36 प्रत्यक्ष कर	36 Direct Taxes			
4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	4059 - Capital Outlay on Public Works	-	23.00	23.00
4216 - आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	4216 - Capital Outlay on Housing	-	81.72	81.72
37 अप्रत्यक्ष कर	37 Indirect Taxes			
2037 - सीमा शुल्क	2037 - Customs	600.00	-	600.00
4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4047-Capital Outlay on Other Fiscal Service	s -	388.95	388.95
4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	4059 - Capital Outlay on Public Works	-	3.92	3.92
42 राज्यों को अंतरण	42 Transfers to States			
2245 - प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245 - Relief on account of Natural			
C	Calamities	20.00	-	20.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601 - Grants-in-aid to State Governments	1,100.00	-	1,100.00
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL			
44 पशुपालन और डेयरी विभाग	HUSBANDRY AND DAIRYING A Department of Animal Husbandry and			
44 परापालन जार खबरा विमान	44 Department of Animal Husbandry and			
0400	Dairying	(7.77		(7.77
2403 - पशुपालन	2403 - Animal Husbandry	67.77	-	67.77
2404 - डेयरी विकास	2404 - Dairy Development	10.00	-	10.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पुंजी जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Capital Revenue **Total** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF FOOD PROCESSING **INDUSTRIES** 45 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 45 Ministry of Food Processing Industries 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552 - North Eastern Areas 15.90 15.90 रवास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 46 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग 46 Department of Health and Family Welfare 2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 2210 - Medical and Public Health 128.20 128.20 2211 - परिवार कल्याण 2211 - Family Welfare 50.24 50.24 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552 - North Eastern Areas 526.46 526.46 3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 3601 - Grants-in-aid to State Governments 49.12 49.12 4210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत 4210 - Capital Outlay on Mediacal and परिव्यय 1.27 Public Health 1.27 4211 - परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 4211 - Capital Outlay on Family Welfare 0.01 0.01 भारी उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES 48 भारी उद्योग मंत्रालय Ministry of Heavy Industries 2852 - उद्योग 2852 - Industries 8.24 8.24 MINISTRY OF HOME AFFAIRS गृह मंत्रालय 49 गृह मंत्रालय 49 Ministry of Home Affairs 3053 - नागर विमानन 3053 - Civil Aviation 4.20 4.20 3454 - जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी 3454 - Census Surveys and Statistics 23.27 23.27 51 पुलिस 51 Police 3602 - संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता 3602 - Grants-in-aid to Union Territory Governments 651.59 651.59 अनुदान 4055 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 844.95 844.95 4055 - Capital Outlay on Police 52 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 52 Andaman and Nicobar Islands 3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 3451 - Secretariat-Economic Services 2.14 2.14 2055 - पुलिस 2055 - Police 1.08 1.08 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं 2070 - Other Administrative Services 0.01 0.01 2202 - सामान्य शिक्षा 2202 - General Education 5.97 5.97 2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 2210 - Medical and Public Health 4.33 4.33 2215 - जल आपूर्ति और स्वच्छता 2215 - Water Supply and Sanitation 7.20 7.20 2217 - शहरी विकास 8.00 8.00 2217 - Urban Development 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, 2225 - Welfare of Scheduled Castes, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण Scheduled Tribes, Other Backward Classes 3.32 3.32 and Minorities 2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 2235 - Social Security and Welfare 3.01 3.01 2405 - मत्स्य पालन 2405 - Fisheries 0.41 0.41 2406 - वानिकी और वन्य जीवन 2406 - Forestry and Wild Life 0.02 0.02 2425 - सहयोग 2425 - Co-operation 0.20 0.20 2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2515 - Other Rural Development **Programmes** 7.83 7.83 2702 - लघु सिंचाई 0.20 0.20 2702 - Minor Irrigation 2851 - ग्रामीण और लघु उद्योग 2851 - Village and Small Industries 0.11 0.11 3054 - सड़कें और पुल 3054 - Roads and Bridges 2.06 2.06 4055 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 0.50 4055 - Capital Outlay on Police 0.50 4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 4059 - Capital Outlay on Public Works 0.10 0.10 4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत 4070 - Capital Outlay on Other परिव्यय Administrative Services 2.62 2.62

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुव	इान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	rant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर		4202 - Capital Outlay on Education,			
	पूंजीगत परिव्यय		Sports, Art and Culture	_	8.51	8.51
	4210 - चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर		4210 - Capital Outlay on Medical			
	पूंजीगत परिव्यय		and Public Health	-	1.78	1.78
	4215 - जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत		4215 - Capital Outlay on Water Supply			
	परिव्यय		and Sanitation	-	0.80	0.80
	4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय		4217 - Capital Outlay on Urban			
			Development	-	0.60	0.60
	4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,		4225 - Capital Outlay on Welfare of			
	अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण		Scheduled Castes, Scheduled Tribes,			
	पर पूंजीगत परिव्यय		Other Backward Classes and Minorities	-	0.01	0.01
	4250 - अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत		4250 - Capital Outlay on other Social			
	परिव्यय		Services	-	2.65	2.65
	4405 - मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय		4405 - Capital Outlay on Fisheries	-	0.29	0.29
	4406 -वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय		4406 -Capital Outlay on Forestry and			
			Wild Life	-	2.32	2.32
	4425 - सहयोग पर पूंजीगत परिव्यय		4425 - Capital Outlay on Co-operation	-	0.15	0.15
	4515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत		4515 - Capital Outlay on Other Rural			
	परिव्यय		Development Programmes	-	1.20	1.20
	4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत		4711 - Capital Outlay on Flood Control			
	परिव्यय		Projects	-	0.73	0.73
	4801 - विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय		4801 - Capital Outlay on Power Projects	-	0.65	0.65
	4851 - ग्रामीण और लघु उद्योगों पर पूंजीगत		4851 - Capital Outlay on Village and			
	परिव्यय		Small Industries	-	0.48	0.48
	5053 - नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय		5053 - Capital Outlay on Civil Aviation	-	1.50	1.50
	5054 - सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय		5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	-	6.38	6.38
	5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय		5452 - Capital Outlay on Tourism	-	0.20	0.20
55	लद्दाख	55	Ladakh			
	2014- न्याय प्रशासन		2014-Administration of Justice	0.28	-	0.28
	2205- कला और संस्कृति		2205-Art and Culture	0.82	-	0.82
	2210- चिकित्सा और जन स्वास्थ्य		2210-Medical and Public Health	7.30	-	7.30
	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,		2225-Welfare of Scheduled Castes,			
	अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण		Scheduled Tribes, Other Backward			
			Classes and Minorities	0.21	-	0.21
	2403- पशुपालन		2403-Animal Husbandry	5.94	-	5.94
	4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय		4403-Capital Outlay on Animal Husbandry	-	0.70	0.70
	4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत		4575-Capital Outlay on Other Special			
	परिव्यय		Areas Programmes	-	325.00	325.00
आव	ासन और शहरी कार्य मंत्रालय	MI	NISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS			
60	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	60	Ministry of Housing and Urban Affairs			
60	2217 - शहरी विकास	oo	2217 - Urban Development	2.00	_	2.00
	4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय		4059 - Capital Outlay on Public Works	2.00	193.50	193.50
	4216 - आवासन पर पूंजीगत परिव्यय		4216 - Capital Outlay on Housing	-	100.50	100.50
सूच	ना और प्रसारण मंत्रालय	MI	NISTRY OF INFORMATION AND			
			BROADCASTING			
61	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	61	Ministry of Information and			
	2221 - प्रसारण		Broadcasting 2221 -Broadcasting	8.00	_	8.00
			221 Dioucusting	0.00	_	0.00

		(करो	ड़ रुपए Rupee	s in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
जल शक्ति मंत्रालय	MINISTRY OF JAL SHAKTI			
63 पेयजल और स्वच्छता विभाग	63 Department of Drinking Water and Sanitation			
2215 - जल आपूर्ति और स्वच्छता श्रम और रोजगार मंत्रालय	2215 - Water Supply and Sanitation MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT	1,151.31	-	1,151.31
64 श्रम और रोजगार मंत्रालय 2230 - श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	64 Ministry of Labour and Employment 2230 - Labour, Employment and Skill Development	21.00	-	21.00
विधि और न्याय मंत्रालय 65 विधि और न्याय 2014-न्याय प्रशासन (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹1 करोड़ शामिल हैं)।	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 65 Law and Justice 2014-Administration of Justice (this includes ₹1 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	1.52	-	1.52
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
68 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	68 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र 2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2552-North Eastern Areas 2851-Village and Small Industries	50.00 252.97	-	50.00 252.97
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
71 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2810 - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	71 Ministry of New and Renewable Energy 2810 - New and Renewable Energy	20.00	-	20.00
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
74 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	74 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
2052 - सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2052 - Secretariat - General Services	0.03	-	0.03
2055 - पुलिस 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2055 - Police 2070 - Other Administrative Services	2.00 4.50	-	2.00 4.50
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS			
78 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	78 Ministry of Ports, Shipping and Waterways			
5051 - पत्तनों और लाइट हाउसों पर पूंजीगत	5051 - Capital Outlay on Ports and		2.60	2.60
परिव्यय 5052 - पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Light Houses 5052 - Capital Outlay on Shipping	-	3.60 4.74	3.60 4.74
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
79 विद्युत मंत्रालय	79 Ministry of Power			
4801 - विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4801 - Capital Outlay on Power Projects	-	0.70	0.70

		(कर	ोड़ रुपए Rupe	es in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
81 लोकसभा 2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र विधानमंडल	81 Lok Sabha 2011 - Parliament/State/Union Territory Legislatures	0.63	-	0.63
रेल मंत्रालय 85 रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS 85 Ministry of Railways			
3075 - अन्य परिवहन सेवाएं 5002 - भारतीय रेलवे पर पूंजीगत परिव्यय -	3075 - Other Transport Services 5002 - Capital Outlay on Indian Railways -	2,004.33		2,004.33
वाणिज्यिक लाइनें	Commercial Lines	-	2,300.00	2,300.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
86 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	86 Ministry of Road Transport and Highways			
4552- पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय 5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas 5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	- -	600.00 9,993.00	600.00 9,993.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय 87 ग्रामीण विकास विभाग	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	87 Department of Rural Development2515 - Other Rural Development Programme2552 - North Eastern Areas	s 43.91 310.00	-	43.91 310.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 88 भूमि संसाधन विभाग	3601 - Grants-in-aid to State GovernmentsDepartment of Land Resources	3,691.18	-	3,691.18
2506 - भूमि सुधार	2506 - Land Reforms	44.48	-	44.48
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
89 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 5425 - अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए	89 Department of Science and Technology 5425 - Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research(this includes ₹3.90 crore for recoupment of an advance			
₹3.90 करोड़ शामिल हैं)। 90 जैव प्रौद्योगिकी विभाग	sanctioned from Contingency Fund of India). 90 Department of Biotechnology	-	4.33	4.33
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425 - Other Scientific Research	20.76	-	20.76
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT			
94 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	94 Department of Empowerment of Persons With Disabilities			
	2235 - Social Security and Welfare	70.00	-	70.00
अंतरिक्ष विभाग 95 अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE 95 Department of Space			
3402-अंतरिक्ष अनुसंघान 5402 - अंतरिक्ष अनुसंघान पर पूंजीगत परिव्यय	3402-Space Research 5402 - Capital Outlay of Space Research	3.48	8.75	3.48 8.75
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
98 वस्त्र मंत्रालय 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	98 Ministry of Textiles 2552 - North Eastern Areas	4.94	-	4.94

(कराड़	रुपए Rupees	ın	Crore)	
г	पंत्नी		त्तोद	

	(कराड़ रुपए Rupees in Crore)			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	
Grant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total	
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS				
100 Ministry of Tribal Affairs				
2251 - Secretariat-Social Services	2.74	-	2.74	
2225 - Welfare of Scheduled Castes,				
Scheduled Tribes, Other Backward				
Classes and Minorities	41.18	-	41.18	
3601 - Grants-in-aid to State Governments				
(this includes ₹100 crore for recoupment				
of an advance sanctioned from Contingency				
Fund of India).	501.79	-	501.79	
MINISTRY OF WOMEN AND CHILD				
DEVELOPMENT				
101 Ministry of Women and Child				
Development				
2235 - Social Security and Welfare	9.10	=	9.10	
2552 - North Eastern Areas	62.19	=	62.19	
3601 - Grants-in-aid to State Governments	111.84	-	111.84	
MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND				
SPORTS				
102 Ministry of Youth Affairs and Sports				
2552 - North Eastern Areas	3.40	-	3.40	
Total Token	0.80	0.42	1.22	
	 100 Ministry of Tribal Affairs 2251 - Secretariat-Social Services 2225 - Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities 3601 - Grants-in-aid to State Governments (this includes ₹100 crore for recoupment of an advance sanctioned from Contingency Fund of India). MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT 101 Ministry of Women and Child Development 2235 - Social Security and Welfare 2552 - North Eastern Areas 3601 - Grants-in-aid to State Governments MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS 102 Ministry of Youth Affairs and Sports 2552 - North Eastern Areas 	Grant No. & title and description of itemsRevenueMINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS100 Ministry of Tribal Affairs2251 - Secretariat-Social Services2.742225 - Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities41.183601 - Grants-in-aid to State Governments (this includes ₹100 crore for recoupment of an advance sanctioned from Contingency Fund of India).501.79MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT501.79101 Ministry of Women and Child Development 2235 - Social Security and Welfare 2552 - North Eastern Areas 3601 - Grants-in-aid to State Governments9.10MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS111.84MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS3.40	Grant No. & title and description of itemsRevenueCapitalMINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS 100 Ministry of Tribal Affairs 2251 - Secretariat-Social Services 2225 - Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities 3601 - Grants-in-aid to State Governments (this includes ₹100 crore for recoupment of an advance sanctioned from Contingency Fund of India).41.18-MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT501.79-101 Ministry of Women and Child Development 2235 - Social Security and Welfare 2552 - North Eastern Areas 3601 - Grants-in-aid to State Governments9.10-MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS111.84-MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS3.40-	

104,90,00,000 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि की by 3 Departments/Ministeries. प्रतिपूर्ति शामिल है।

5. अनुदान की पूरक मांगों में 3 विभागों/मंत्रालयों 5. The Supplementary Demands for Grants includes a total of Rs. ₹104,90,00,000 द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि से निकाली गई crore to be recouped to Contigency Fund of India, from which advance were drawn

कुल योग	GRAND TOTAL	1,95,361.22	4,938.32 2,00,299.54
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	77,429.12	1,243.80 78,672.92
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	1,17,931.30	3,694.10 1,21,625.40
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.80	0.42 1.22

विषय सूची CONTENTS

						(₹ :	करोड़ in ₹	crore)
					राजस्व	पूंजी	जोड़	पृष्ट
मांग	संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capital	Total	Page
कृषि	एवं कृषक		MINISTRY OF AGRICULTURE &					
•	कल्याण मंत्रालय		FARMERS WELFARE					
1.	कृषि, सहकारिता और कृषक		1. Department of Agriculture, Cooperation					
	कल्याण विभाग	स्वीकृत	and Farmers Welfare	Voted	100868.51	39.02	100907.53	1-2
2.	कृषि अनुसंधान तथा		2. Department of Agricultural Research					
	शिक्षा विभाग	स्वीकृत	And Education	Voted	151.41		151.41	3
परम	ाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
3.	परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	3. Atomic Energy	Voted	1450.64	192.32	1642.96	4
आयु	ष मंत्रालय		MINISTRY OF AYUSH					
4.	आयुष मंत्रालय	स्वीकृत	4. Ministry of AYUSH	Voted	0.01		0.01	5
रसा	यन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND					
			FERTILIZERS					
5.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग		5. Department of Chemicals and					
		स्वीकृत	Petrochemicals	Voted	104.26	399.95	504.21	6
6.	उर्वरक विभाग	स्वीकृत	6. Department of Fertilizers	Voted	3000.00		3000.00	7
7.	भेषज विभाग	स्वीकृत	7. Department of Pharmaceuticals	Voted	64.25		64.25	8
नाग	र विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
8.	नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	8. Ministry of Civil Aviation	Voted	0.02	79.69	79.71	9-10
वाणि	ाज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND					
			INDUSTRY					
10.	वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	10. Department of Commerce	Voted	659.87		659.87	11
11.	उद्योग संवर्धन और		11. Department for Promotion of Industry					
	आंतरिक व्यापार विभाग	स्वीकृत	and Internal Trade	Voted	0.02		0.02	12
संचा	र मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS					
12.	डाक विभाग	स्वीकृत	12. Department of Posts	Voted	0.01	183.75	183.76	13
13.	दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	13. Department of Telecommunications	Voted	0.01	96.85	96.86	14-15
उपभ	गेक्ता मामले, खाद्य और		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,					
	सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	N				
14.	उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	14. Department of Consumer Affairs	Voted	17.87		17.87	16
15.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण		15. Department of Food and					
	विभाग	स्वीकृत	Public Distribution	Voted	9383.48	26.56	9410.04	17
संस्व	वृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
18.	संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	18. Ministry of Culture	Voted	35.50	0.01	35.51	18
रक्षा	मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
19.	रक्षा मंत्रालय (नागरिक)	भारित	19. Ministry of Defence (Civil)	Charged	0.95		0.95	19-20
		स्वीकृत		Voted	1209.81	621.96	1831.77	
20.	रक्षा सेवाएं (राजस्व)	भारित	20. Defence Services (Revenue)	Charged	7.90		7.90	21-22
		स्वीकृत		Voted	13938.71		13938.71	
21.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	भारित	21. Capital Outlay on Defence Services	Charged		28.87	28.87	23
		स्वीकृत		Voted		0.01	0.01	
22.	रक्षा पेंशन	स्वीकृत	22. Defence Pensions	Voted	3890.88		3890.88	24
उत्तर	र-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय		MINISTRY OF DEVELOPMENT OF					
			NORTH EASTERN REGION					
23	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय		23. Ministry of Development of					
		स्वीकृत	North Eastern Region	Voted	0.01	0.01	0.02	25

					(₹ ₹	करोड़ in ₹	crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़	पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capital	Total	Page
शिक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF EDUCATION					
25. विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता		25. Department of School Education and					
विभाग	स्वीकृत	Literacy	Voted	3668.88		3668.88	26
26. उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	26. Department of Higher Education	Voted	12500.00		12500.00	27
पर्यावरण, वन और जलवायु	Č	MINISTRY OF ENVIRONMENT,					
परिवर्तन मंत्रालय		FORESTS AND CLIMATE CHANGE					
28. पर्यावरण, वन और जलवायु		28. Ministry of Environment, Forests					
परिवर्तन मंत्रालय	स्वीकृत	and Climate Change	Voted	126.10		126.10	28
विदेश मंत्रालय	Č	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
29. विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	29. Ministry of External Affairs	Voted	0.02		0.02	29
वित्त मंत्रालय	C	MINISTRY OF FINANCE					
30. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	30. Department of Economic Affairs	Voted	5000.00		5000.00	30
31. व्यय विभाग	स्वीकृत	31. Department of Expenditure	Voted	•••	0.01	0.01	31
32. वित्तीय सेवाएं विभाग	स्वीकृत	32. Department of Financial Services	Voted	985.00		985.00	32
35. राजस्व विभाग	स्वीकृत	35. Department of Revenue	Voted	84.12	7.10	91.22	33
36. प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	36. Direct Taxes	Voted		0.02	0.02	34
37. अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	37. Indirect Taxes	Voted	0.01	0.02	0.03	35
41. पेंशन	स्वीकृत	41. Pensions	Voted	3000.00		3000.00	36
42. राज्यों को अंतरण	भारित	42. Transfers to States	Charged		2950.00	2950.00	37
	स्वीकृत		Voted	0.02		0.02	
मत्स्यपालन, पशुपालन और	c	MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL					
डेयरी मंत्रालय		HUSBANDRY AND DAIRYING					
44. पशु पालन और डेयरी		44. Department of Animal Husbandry					
विभाग	स्वीकृत	and Dairying	Voted	0.02		0.02	38
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF FOOD PROCESSING	, 0.00	0.02		0.02	20
		INDUSTRIES					
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	45. Ministry of Food Processing Industries	Voted	745.01		745.01	39
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		MINISTRY OF HEALTH AND	, 0.00	, .0.01	•••	, .5.01	
मंत्रालय		FAMILY WELFARE					
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	46. Department of Health and Family Welfare	Voted	0.04	0.02	0.06	40-42
भारी उद्योग मंत्रालय	, , , , , , ,	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES	7000	0.01	0.02	0.00	10 12
48. भारी उद्योग मंत्रालय		48. Ministry of Heavy Industries	Voted	0.20		0.20	43
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS	Voica	0.20	•••	0.20	73
49. गृह मंत्रालय	स्वीकृत	49. Ministry of Home Affairs	Voted	0.02	7.63	7.65	44
50. मंत्रिमंडल	स्वीकृत	50. Cabinet	Voted	238.41	221.84	460.25	45
51. पुलिस	भारित	51. Police	Charged	0.72		0.72	46-47
or. gicin	स्वीकृत	31. Tonce	Voted	439.09	0.01	439.10	-1 0- -1 7
52. अण्डमान और निकोबार	रवाष्ट्ररा	52. Andaman and Nicobar	Voicu	737.07	0.01	437.10	
द्वीप समूह	स्वीकृत	Islands	Voted	0.16	0.19	0.35	48-51
53. चंडीगढ़	स्वीकृत		Voted	27.00		27.00	52-53
55. वहाख 55. लद्दाख	स्वाकृत स्वीकृत	53. Chandigarh55. Ladakh	Voted	0.05	0.02	0.07	54-55
58. जम्मू कश्मीर को अंतरण	स्वीकृत			3000.00		3000.00	56
आवासन और शहरी कार्य	स्पापृग्रा	58. Transfers to Jammu and Kashmir	Voted	3000.00	•••	3000.00	30
मंत्रालय		MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS					
60. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	ग ्रीक न		Voted	0.01	0.02	0.02	57
	स्वीकृत	60. Ministry of Housing and Urban Affairs	Voted	0.01	0.02	0.03	57
सूचना तथा प्रसारण		MINISTRY OF INFORMATION					
मंत्रालय		AND BROADCASTING	3 7 . •	0.01		0.01	70
61. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत	61. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	0.01		0.01	58

		(₹ करोड़				करोड़ in ₹	crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़	पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capital	Total	Page
जल शक्ति मंत्रालय		MINISTRY OF JAL SHAKTI					
62. जल संसाधन, नदी विकास		62. Department of Water Resources, River					
और गंगा संरक्षण विभाग	स्वीकृत	Development and Ganga Rejuvenation	Voted	3915.86		3915.86	59-60
63. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	C	63. Department of Drinking Water					
	स्वीकृत	and Sanitation	Voted	0.01	1.40	1.41	61
विधि और न्याय मंत्रालय	C	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE					
64. श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	64. Ministry of Labour and Employment	Voted	0.01		0.01	62
65. विधि और न्याय	स्वीकृत	65. Law and Justice	Voted	286.93		286.93	63
66. निर्वाचन आयोग	स्वीकृत	66. Election Commission	Voted		24.28	24.28	64
67. उच्चतम न्यायलय	भारित	67. Supreme Court of India	Charged	26.44	9.56	36.00	65
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम		MINISTRY OF MICRO, SMALL AND					
 मंत्रालय		MEDIUM ENTERPRISES					
68. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम		68. Ministry of Micro, Small and					
मंत्रालय मंत्रालय	स्वीकृत	Medium Enterprises	Voted	0.02		0.02	66
खान मंत्रालय	c	MINISTRY OF MINES					
69. खान मंत्रालय	स्वीकृत	69. Ministry of Mines	Voted	821.42		821.42	67
नवीन तथा नवीकरणीय	c	MINISTRY OF NEW AND					
ऊर्जा मंत्रालय		RENEWABLE ENERGY					
71. नवीन तथा नवीकरणीय		71. Ministry of New and					
ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत	Renewable Energy	Voted	0.01	5.50	5.51	68
कार्मिक, लोक शिकायत		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC					
एवं पेंशन मंत्रालय		GRIEVANCES AND PENSIONS					
74. कार्मिक, लोक शिकायत		74. Ministry of Personnel, Public					
एवं पेंशन मंत्रालय	स्वीकृत	Grievances and Pensions	Voted	0.03	40.07	40.10	69
पत्तन, पोत परिवहन एवं	2	MINISTRY OF PORTS, SHIPPING	, 0104	0.00	.0.07	.0.10	0,5
जलमार्ग मंत्रालय		AND WATERWAYS					
78. पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग		78. Ministry of Ports, Shipping					
मंत्रालय	स्वीकृत	and Waterways	Voted		1.42	1.42	70
विद्युत मंत्रालय		MINISTRY OF POWER	roteu	•••	1.12	1.12	,,
79. विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	79. Ministry of Power	Voted	30.00	0.01	30.01	71
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा	(412/11	THE PRESIDENT, PARLIAMENT,	voica	30.00	0.01	30.01	71
आयोग और उपराष्ट्रपति का		UNION PUBLIC SERVICE					
सचिवालय		COMMISSION AND THE					
साववासव		SECRETARIAT OF					
		THE VICE PRESIDENT					
81. लोक सभा	स्वीकृत	81. Lok Sabha	Voted	0.01		0.01	72
83. उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	स्वीकृत	83. Secretariat of the Vice-President	Voted	0.50	0.15	0.65	73
रेल मंत्रालय	रवावट्टरा	MINISTRY OF RAILWAYS	voicu	0.50	0.13	0.03	73
85. रेल मंत्रालय	स्वीकृत	85. Ministry of Railways	Voted	0.01	0.01	0.02	74
सड़क परिवहन और राजमार्ग	रपापट्टरा	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT	voicu	0.01	0.01	0.02	74
मंत्रालय		AND HIGHWAYS					
86. सङ्क परिवहन और							
राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	86. Ministry of Road Transport	Voted		0.02	0.02	75
ग्रामीण विकास मंत्रालय	खायृत	and Highways MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT	voteu		0.02	0.02	13
श्रामाण विकास मित्रालय 87. ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत		Vatad	23000.00		22000.00	76 77
87. ग्रीमाण विकास विमाग 88. भूमि संसाधन विभाग	स्वाकृत स्वीकृत	87. Department of Rural Development	Voted		•••	23000.00	76-77
००. नून संसायन विमान	स्पाकृत	88. Department of Land Resources	Voted	1200.95	•••	1200.95	78-79

					(₹	करोड़ in ₹	crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़	पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capital	Total	Page
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOI	LOGY				
89. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	89. Department of Science and Technology	Voted		0.01	0.01	80
90. जैव प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	90. Department of Biotechnology	Voted	0.01		0.01	81
कौशल विकास और उद्यमशीलता		MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT					
मंत्रालय		AND ENTREPRENEURSHIP					
92. कौशल विकाग और उद्यमशीलता		92. Ministry of Skill Development					
मंत्रालय	स्वीकृत	and Entrepreneurship	Voted	1476.20		1476.20	82
सामाजिक न्याय और		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE					
अधिकारिता मंत्रालय		AND EMPOWERMENT					
94. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग		94. Department of Empowerment of					
	स्वीकृत	Persons With Disabilities	Voted	0.01		0.01	83
अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE					
95. अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	95. Department of Space	Voted	0.01	0.01	0.02	84
वस्त्र मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
98. वस्त्र मंत्रालय	स्वीकृत	98. Ministry of Textiles	Voted	0.01		0.01	85
जनजातीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
100. जनजातीय कार्य मंत्रालय	भारित	100. Ministry of Tribal Affairs	Charged	0.01		0.01	86
	स्वीकृत		Voted	0.02		0.02	
महिला और बाल विकास मंत्रालय	_	MINISTRY OF WOMEN AND					
		CHILD DEVELOPMENT					
101. महिला और बाल		101. Ministry of Women and					
विकास मंत्रालय	स्वीकृत	Child Development	Voted	0.03		0.03	87
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS					
		AND SPORTS					
102. युवा कार्यक्रम और		102. Ministry of Youth Affairs					
खेल मंत्रालय	स्वीकृत	And Sports	Voted	3.71		3.71	88
कुल जोड़		GRAND TOTAL		195361.22	4938.32	200299.54	
-	भारित		Charged	36.02	2988.43	3024.45	
	स्वीकृत		Voted	195325.20	1949.89	197275.09	
अनुबंध	-	ANNEXURE					89-9

मांग संख्या DEMAND NO 1

कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1-2 देखिये) (See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 1-2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

Demands for Grants for the	year 2023-2024)				
				(₹ व	ज्रोड) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	,	ন্য , (মা
		Charged	Voted		Total
। मन्थनरानः	I. ORIGINAL GRANT:	Chargoa .	70.04		1014
l. मूल अनुदान:			445400.07		445400.07
राजस्व स ं प ्रे	Revenue		115489.37		115489.37
प्ंजी - रेड	Capital		42.42		42.42
जोड़	Total		115531.79		115531.79
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व ं २	Revenue		0.02		0.02
प्ंजी	Capital		6.28		6.28
जोड़	Total		6.30		6.30
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:	required:				
राजस्व	Revenue		100868.51		100868.51
प्ंजी	Capital		39.02		39.02
जोड़	Total		100907.53		100907.53
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		216445.62		216445.62
राजस्व	Revenue		216357.90		216357.90
पूंजी	Capital		87.72		87.72
	॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर	र्गत दिखाया जायेगाः			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under		Head		
	in this supplementary states will be associated for all a	भारित			
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	ona god	70.04		1000.
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
नुख्य साम 2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry		80390.53	(= -0)	80390.53
2402-मृदा और जल संरक्षण	2402-Soil and Water Conservation		2.12	(कa) (खb)	2.12
2402-मृदा जार जल सरकाण 2416-कृषि वितीय संस्थान			15100.00		15100.00
2435-अन्य कृषि कार्यक्रम	2416-Agricultural Financial Institutions			(गc)	
	2435-Other Agricultural Programmes		5.52	(ਬd) (ਵਰ)	5.52
2552-पूर्वीतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		236.77	(ਤe) (ਤਨ	236.77
3601-राज्य सरकारों को सहायता	3601-Grants-in-aid to State Governments		5133.56	(चf)	5133.56
अनुदान 3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	2602 Create in aid to Union Torritory Covernments		0.04	(~)	0.04
	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		0.01	(छg)	0.01
सहायता अनुदान	Total (Payanua Saction)		100868.51		100868.51
जोड़ (राजस्व भाग) <i>पूंजी भाग</i>	Total (Revenue Section)	***	100000.51		100000.51
	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		07.50	()	07.50
4401-फसल कार्य पर पूंजीगत	4401-Capital Outlay on Crop Husbandry		27.58	(जh)	27.58
परिव्यय					
4435-अन्य कृषि कार्यक्रमों पर	4435-Capital Outlay on Other Agricultural		3.47	(झi)	3.47
पूंजीगत परिव्यय	Programmes				
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं	5475-Capital Outlay on Other General Economic		7.97	(टj)	7.97
के लिए पूंजीगत परिव्यय	Services				
जोड़ (प्ंजी भाग)	Total (Capital Section)	•••	39.02		39.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		100907.53		100907.53
			, , , , , , ,		
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में	नीचे दर्शाई गयी वस्तिया	को शामिल नहीं किय	ा गया है जि	न्हें व्यय में से
	घटाकर समायोजित किया जाता है !				
	Note: The above estimates of additional requirements do	o not take into accou	nt the recoveries sh	nown belov	v, which are
	adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry		(-)75000.00		(-)75000.00
2416-कृषि वित्तीय संस्थान	2416-Agricultural Financial Institutions		(-)18500.00		(-)18500.00
2435-अन्य कृषि कार्यक्रम	2435-Other Agricultural Programmes		(-)186.45		(-)186.45
3601-राज्य सरकारों को सहायता	3601-Grants-in-aid to State Governments		(-)5937.85		(-)5937.85
अनुदान					
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		(-)26.05		(-)26.05
सहायता अनुदान					
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		(-)99650.35		(-)99650.35

यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (पीएम-किसान) के तहत व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 'सामान्य सहायता अनुदान (4157.84 करोड़ रुपये) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (552.08 करोड़ रुपये) के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना।
 - (ii) पीएम-आशा योजना (1000 करोड़ रुपये) की मूल्य समर्थन योजना के तहत सब्सिडी प्रदान करना।
 - (iii) 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (पीएमएफबीवाई) को वित्तपोषित करने हेतु'कृषि अवसंरचना और विकास निधि' को 15000.00 करोड़ रुपये का अंतरण।
 - (iv) 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (पीएम-किसान) योजना के वितपोषण के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास निधि' को 60,000.00 करोड़ रुपये का अंतरण।
 - (v) कृषि अवसंरचना और विकास निधि को 3500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अंतरण।
 अतिरिक्त वस््तियों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में 1257.17 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।
- (ख) मृदा एवं जल संरक्षण के तहत मजदूरी, चिकित्सा उपचार, पुरस्कार आदि (2.12 करोइ रुपये)। अनुदान में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय पर कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।
- (ग) योजना के वितपोषण के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास निधि' में 19500.00 करोड़ रुपये का अंतरण- 'संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना' (एमआईएसएस) (18500.00 करोड़ रुपये) अनुभाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए शेष राशि रु. 15100.00 करोड़ के लिए अनुपूरक की मांग की गई है।
 - अतिरिक्त वस्लियों को ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।
- (घ) (i) 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' (आरकेवीवाई) योजना के वितपोषण के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास निधि' में 686.45 करोड़ रुपये का अंतरण (186.45 करोड़ रुपये)। इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखने के बाद, शेष राशि 5.52 करोड़ रुपये के लिए अन्पूरक की मांग की गई है।
 - (ii) कृषोन्नति योजना के कृषि विपणन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (527 करोड़ रुपये)
 - अनुदान के एक ही अनुभाग में उपलब्ध मिलान वस्लियों को ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा;
- (इ) पूर्वीत्तर क्षेत्रों के लिए कृष्णोन्नति योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (14.77 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (222.00 करोड़ रुपये)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।
- (च) 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' योजना के वित्तपोषण के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास निधि' में 5937.85 करोड़ रुपये का अंतरण। अनुभाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए शेष राशि 5133.56 करोड़ रुपये के लिए अनुप्रूक की मांग की गई है।
 - अतिरिक्त वस्लियों को ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।
- (छ) 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' (आरकेवीवाई) योजना के वित्तपोषण के लिए 'कृषि
 अवसंरचना और विकास निधि' में 26.05 करोड़ रुपये का अंतरण।
 - अतिरिक्त वस्तियों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।
- (ज) (i) फसल कृषि व्यवस्था पर पूंजीगत परिव्यय के तहत व्यय को पूरा करना (27.58 करोड़ रुपये)। अनदान के दमी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

(h)

- (झ) अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय के तहत व्यय को पूरा करना (3.47 करोड़ रुपये)।
 - अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु एउपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के तहत व्यय को पूरा

करना (रु. 7.97 करोड़)। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु एउपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

(조)

The supplementary Grants are required for:

- (i) providing additional 'Grants-in-aid General (₹ 4157.84 crore) and Grants-in-aid General under Tribal Area Sub-Plan (₹ 552.08 crore) towards meeting expenditure under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi' (PM-KISAN).
 - (ii) providing subsidy under Price Support Scheme of PM-Aasha Scheme (₹ 1000 crore).
 - (iii) Transfer of ₹ 15000 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme 'Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana' (PMFBY).
 - (iv) Transfer of ₹ 60000 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme 'Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi' (PM-KISAN).
 - (v) additional transfer of ₹ 3500 crore to Agriculture Infrastructure and Development Fund.
 - Taking into account the additional recoveries, the above expenditure will entail net cash outgo of ₹ 1257.17 crore.
 - Wages, Medical Treatment, Rewards etc. under Soil and Water Conservation (₹ 2.12 crore).
 - Taking into account the savings available in the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
 - transfer of ₹ 19500.00 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme- 'Modified Interest Subvention Scheme' (MISS) (₹ 18500.00 crore). After taking into account the savings available in the section, supplementary for the balance amount of ₹ 15100.00 crore is sought.
 - Taking into account the additional recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
 - (i) transfer of ₹ 686.45 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme- 'Rashtriya Krishi Vikas Yojna' (RKVY) (₹ 186.45 crore). After taking into account the savings available in the section, supplementary for the balance amount of ₹ 5.52 crore is sought.
 - (ii) providing Grants-in-aid General under Agriculture Marketing of Krishonnati Yojana (₹ 527 crore).
 - Taking into account the additional recoveries of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
 - Grants-in-aid General under Krishonnati Yojna (₹ 14.77 crore) and Grants-in-aid General under Rashtriya Krishi Vikas Yojna (₹ 222.00 crore) for North Eastern Areas.
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
 - transfer of ₹ 5937.85 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme 'Rashtriya Krishi Vikas Yojna'. After taking into account the savings available in the section, supplementary for the balance amount of ₹ 5133.56 crore is sought.
 - Taking into account the additional recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
 - transfer of ₹ 26.05 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme 'Rashtriya Krishi Vikas Yojna' (RKVY)).
 - Taking into account the additional recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
 - (i) meeting expenditure under Capital Outlay on Crop Husbandry (₹ 27.58 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
 - meeting expenditure under Capital Outlay on Other Agricultural Programmes (₹ 3.47 crore).
 - Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
 - meeting expenditure under Capital Outlay on other General Economic Services (₹ 7.97 crore).
 - Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये) (See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

				(t 47 (15) (111 t CI		Ji es)	
		भारित	स्वीकृत		जॊड़		
		Charged	Voted		Total		
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व	Revenue	***	9493.59		9493.59		
पूंजी	Capital		10.41		10.41		
जोड़	Total		9504.00		9504.00		
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:						
राजस्व	Revenue	4.00	217.65		221.65		
पूंजी	Capital						
जोड़	Total	4.00	217.65		221.65		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:						
राजस्व	Revenue		151.41		151.41		
पूंजी	Capital						
जोड़	Total	•••	151.41		151.41		
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4.00	9873.06		9877.06		
राजस्व	Revenue	4.00	9862.65		9866.65		
प्ंजी	Capital	***	10.41		10.41		
	II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	ार्गत दिखाया जायेगा:					
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head						
		भारित	स्वीकृत		जॊड़		
		Charged	Voted		Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
2415-कृषि अनु संधान और शिक्षा	2415-Agricultural Research and Education		151.40	(कa)	151.40		
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	***	0.01	(खb)	0.01		
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		151.41		151.41		

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) 'आईसीएआर को सहायता 'के अंतर्गत फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (88.3262 करोड़ रूपये) और 'पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेत् अनुदान' (62.6238 करोड़ रूपये)।
 - (ii) 'कृषि स्चना और प्रकाशन निर्देशालय, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन सहित आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन ' के अंतर्गत पैंःशन देनदारियों और प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (130.50 करोड़ रूपये)।
 - (iii) 'कृषि सूचना और प्रकाशन निदेशालय, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन सिहत आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन ' के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (2.00 करोड़ रूपये) ।
 - (iv) 'आईसीएआर को सहायता' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान
 - 'आईसीएआर को सहायता' के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (78.96 करोड़ रूपये) ।
 - (vi) 'आईसीएआर को सहायता' के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (0.45 करोड़ रूपये)। अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के समर्पण को ध्यान में रखते हु ए और अनुदान के उसी भाग के भीतर बचत का उपयोग करने के पश्चात उपरोक्त व्यय में 150.95 करोड़ रूपये का नकद व्यय होगा।
- (ख) 'आईसीएआर को सहायता' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (ध (34.84 करोड़ रूपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (i) Grants-in-aid General (₹ 88.33 crore) and 'Grants-for creation of Capital Assets' (₹ 62.62 crore) of Crop Science Institutes, Research & Education Schemes under 'Assistance to ICAR'.
- (ii) Grants-in-aid General for pensionary liabilities and other administrative expenses under 'ICAR Headquarter Administration Including Directorate of Information and Publication in Agriculture, Intellectual Property Rights Management' (₹ 130.50 crore).
- (iii) Grants for Creation of Capital Assets under 'ICAR Headquarter Administration Including Directorate of Information and Publication in Agriculture, Intellectual Property Rights Management' (₹ 2.00 crore).
- (iv) Grants-in-aid General under 'Assistance to ICAR' (₹ 39.09 crore).
- (v) Grants for Creation of Capital Assets under 'Assistance to ICAR' (₹ 78.96 crore).
- (vi) Grants for Creation of Capital Assets under 'Assistance to ICAR' (₹ 0.45 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a net cash outgo of \ref{thm} 150.95 crore

Grants-in-aid General' under 'Assistance to ICAR' (₹ 34.84 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 3

परमाणु ऊर्जा

ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4 देखिये) (See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 4 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

·		,		भारित	<i>(₹ क</i> स्वीकृत		रोंड़) (In ₹ crores जोड़	
				Charged	Voted		Total	
l. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:		J				
राजस्व		Revenue		1.00	17478.46		17479.46	
र् रजी		Capital			17783.03		17783.03	
जोड़		Total	•		35261.49		35262.49	
र्क अनुद	ान:	SUPPLEMENTARY GRANT:						
(- ' 3 '		Revenue		***	600.60		600.60	
जी		Capital		***				
गेड़		Total			600.60		600.60	
स समय आ	वश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the ar	mount now requi					
जस्व	* 3	Revenue	•	***	1450.64		1450.64	
जी		Capital		***	192.32		192.32	
) ोड़		Total		•••	1642.96		1642.96	
गेड़ (मूल औ	र प्रक)	Total (Original plus Supplementar	v)	1.00	37505.05	37506.05		
 जस्व		Revenue	• •	1.00	19529.70		19530.70	
जी		Capital			17975.35		17975.35	
		II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नर्ति	नेकिन माला शीर्षी					
		II. This Supplementary Grants will	•		or Head			
		ii. This Supplementary Grants will	i be accounted i	आरित	माख्य स्वीकृत		जॊड	
				Charged	Voted		Total	
ाजस्व भा	σ	REVENUE SECTION		Chargoa	70.00		10101	
,छार च <i>।।।</i> ख़्य शीर्ष	,	MAJOR HEAD						
_		2801-Power			329.66	(T a)	329.66	
801-विद्युत 852-उद्योग		2852-Industries			1120.98	(कa) (खb)	1120.98	
^{032-3या} । ोड़ (राजस्व	91721\	Total (Revenue Section)		***	1450.64	(ಆರ)	1450.64	
ाड़ (राजस्य <i>ांजी भाग</i>	alial)	·		•••	1430.04		1430.04	
`		CAPITAL SECTION						
ख़्य शीर्ष २०११		MAJOR HEAD			100.00	()	400.00	
	गु ऊर्जा उद्योगों पर प्रंजीगत परिव्यय	4861-Capital Outlay on Atomic Er	nergy Industries		192.32	(गc)	192.32	
ोड़ (प्रक)		Total (Supplementary)		***	1642.96		1642.96	
ഭയക भन	दाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The sunnlem	entary Grants are required	for:			
		के लिए इंधन की खरीद और आरएपीएस (a)		procurement of Fuel for		m M/s	TVFI Russia :	
. ,	को बकाया भ्गतान (329.66 करोड़	•	(=)	arrears payment to RAPS			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।		The above expenditure w				
(ख) एनएफसी, हैदराबाद के लिए स्थापना संबंधी व्यय (1120.98 करोड़ रुपये)।		ा संबंधी व्यय (1120.98 करोड़ रुपये)।	(b)	Establishment related e Hyderabad.		-	8 crore) for N	
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।			The above expenditure w	vill entail a cash	h outgo:		
ग)		न संयत्रों का संचालन और अन्रक्षण	(c)	Operation and Mainter		•	ater Plants un	
,	(192.32 करोड़ रुपये)।	3	\-/	Establishment (₹ 192.32		,		
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।			The above expenditure w	*	h ontao.		
	उत्तराया य्ययं न नयम् य्ययं हाना।			rne above expenditure w	nii entan a casi	ii outgo;		

अन्दानों की पूरक मांगें, 2023-2024 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 4

आयुष मंत्रालय MINISTRY OF AYUSH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये) (See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		((4,4,5) (11) (210)				
		भारित	स्वीकृत	जॊड़		
		Charged	Voted	Total		
I. मू <i>ल</i> अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	***	3641.56	3641.56		
पूंजी	Capital	***	5.94	5.94		
जोड़	Total	•••	3647.50	3647.50		
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	Revenue	***	0.03	0.03		
पूंजी	Capital					
जोड़	Total	•••	0.03	0.03		
इस समय आवश्यक रकम का प्रक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		0.01	0.01		
पूंजी	Capital	***				
जोड़	Total	•••	0.01	0.01		
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3647.54	3647.54		
राजस्व	Revenue		3641.60	3641.60		
पूंजी	Capital		5.94	5.94		
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	र्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	er the following Major Head	d:			
		भारित	स्वीकृत	जॊड़		
		Charged	Voted	Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		0.01	0.01		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) विभिन्न बोर्डो को भुगतान के लिए राष्ट्रीय होमेयोपाथी आयोग के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत— (1.45 करोड़ रुपये) | (ii) दिल्ली और गोवा में नए भर्ती किए गए कर्मचारियों के भुगतान के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के संबंध में वेतन सहायता अनुदान के अंतर्गत (0.80 करोड़ रुपये) । (iii) सीओई घटक के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए आयुर्स्वास्थ्य योजना के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत (8.00 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

(i) Under Grants-in-aid General (₹ 1.45 crore) in respect of National Commission for Homoeopathy for payment to various boards. (ii) Under Grants-in-aid Salary (₹ 0.80 crore) in respect of All India Institute of Ayurveda, New Delhi for payment of newly recruited staff in Delhi and Goa. (iii) Under Grants-in-aid General (₹ 8.00 crore) in respect of Ayurswasthaya Yojana to meet the committed liabilities of ongoing projects under CoE component.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 5

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करॉड़) (In ₹ crores)

		(C S	
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		172.55		172.55	
पूंजी	Capital		0.90		0.90	
जोड़	Total		173.45		173.45	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	Revenue					
पूंजी	Capital					
जोड़	Total		•••		•••	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue	***	104.26		104.26	
पूंजी	Capital	***	399.95		399.95	
जोड़	Total	***	504.21		504.21	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	677.66		677.66	
राजस्व	Revenue	***	276.81		276.81	
पूंजी	Capital		400.85		400.85	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for und		jor Head			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	•				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	•••	0.01	(कa)	0.01	
ू 2852-उद्योग	2852-Industries	•••	104.25	(खb)	104.25	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	104.26	, ,	104.26	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
5 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए पूंजीगत	5475-Capital Outlay on Other General Economic		0.77	(गc)	0.77	
परिव्यय	Services			` ,		
6857-रसायन और भेषज उद्योगों के लिए ऋण	6857-Loans for Chemical and Pharmaceutical		399.18	(घd)	399.18	
-	Industries					
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		399.95		399.95	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		504.21		504.21	

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(ख)

एनएसपी योजना को सामान्य सहायता अनुदान (0.40 करोड़ रुपये) (क) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हू ए सांकेतिक पूरक

की मांग की जाती है।

एचआईएल (भारत लिमिटेड) (104.25 करोड़ रुपये), एनएसपी योजना को सामान्य सहायता अनुदान अर्थात 'सीपीडीएस' (0.75 करोड़ रुपये) और आईपीएफटी के सीसीए घटक (1.5 करोड़ रुपये) को बकाया ऋण पर क्रमशः 40.84 करोड़ रुपये और 63.41 करोड़ रुपये का मूलधन और ब्याज राशि को बट्टे खाते दालना/माफ करना।

अन्दान के राजस्व/पूंजी अन्भाग में उपलब्ध बचत के समर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के उसी अनुभाग के भीतर बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

मशीनरी और उपकरण (0.11 करोड़ रुपये) सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (ग) (आईसीटी) (0.64 करोड़ रुपये) और फर्नीचर एवं फिक्स्चर (0.02 करोड़ रुपये)।

> अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए , उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;

एचआईएल (भारत) लिमिटेड को नया ऋण (486.74 करोड़ रुपये) (ঘ) उपरोक्त व्यय में 399.18 करोड़ रुपये का निवल नकद व्यय शामिल होगा The supplementary Grants are required for:

GIA-General of NSP scheme (₹ 0.40 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

writing off/waiving off principal and interest amounting to ₹ 40.84 crore and ₹ 63.41 crore respectively on outstanding loan in respect of HIL (India) LTD. (₹ 104.25 cr), GIA-General of NSP scheme i.e. 'CPDS' (₹ 0.75 crore) and CCA component of IPFT (₹ 1.5 crore).

> Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

Machinery and Equipment (₹ 0.11 crore), Information, Computer Telecommunications (ICT) (₹ 0.64 crore) and Furniture & Fixtures (₹ 0.02 crore)

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo:

fresh Loan to HIL(India) LTD. (₹ 486.74 crore). (d)

> The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 399.18 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 6

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये) (See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 7 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड) (In ₹ crores

			(₹	कराड़) (In र crores)
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		179125.79	179125.79
पूंजी	Capital		2.69	2.69
जोड़	Total		179128.48	179128.48
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		13350.83	13350.83
पूंजी	Capital	***	***	***
जोड़	Total		13350.83	13350.83
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:		
राजस्व	Revenue		3000.00	3000.00
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		3000.00	3000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		195479.31	195479.31
राजस्व	Revenue		195476.62	195476.62
पूंजी	Capital		2.69	2.69
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के .	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u	inder the following Major H	ead:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry		3000.00	3000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(I) पी एण्ड के उर्वरक के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना (4900 करोड़ रूपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु एइसमें 3000 करोड़ रुपये का नकद ट्यय होगा। The supplementary Grant is required for:

(I) Nutrient Based Subsidy Scheme for P&K fertilizers (₹ 4900 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 3000 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 7

भेषज विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये) (See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			, , ,	.,	,_,
		भारित	स्वीकृत	जॏड़	
		Charged	Voted	Total	
I. मू ल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	3158.87	3158.87	
पूंजी	Capital	***	1.19	1.19	
जोड़	Total	•••	3160.06	3160.06	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital	***	0.01	0.01	
जोड़	Total	***	0.02	0.02	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	! :			
राजस्व	Revenue	***	64.25	64.25	
पूंजी	Capital	***			
जोड़	Total	•••	64.25	64.25	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3224.33	3224.33	
राजस्व	Revenue		3223.13	3223.13	
पूंजी	Capital		1.20	1.20	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	भंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for ur	nder the following Major Head	d:		
		भारित	स्वीकृत	जॏड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	2852-Industries		64.25	64.25	

यह प्रक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आरडीपीएल (64.25 करोड़ रुपये), पीपीडीएस के तहत सामान्य सहायता अनुदान (2 करोड़ रुपये) और औषध योजना के लिए पीएलआई के तहत सामान्य सहायता अनुदान (32 करोड़ रुपये) की ऋण राशि को बट्टे खाते डालना/माफ करना

अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए, और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grant is required for:

write off/waiver off the loan amount of RDPL (₹ 64.25 crore), GIA-General under PPDS (₹ 2 crore) and GIA-General under PLI for Pharmaceuticals scheme (₹ 32 crore) .

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 8

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये) (See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

				(₹ कराड़) (In ₹ cror	res)
		भारित	स्वीकृत		जॏड़	
		Charged	Voted		Total	
I. मू ल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		3026.70		3026.70	
पूंजी	Capital		86.66		86.66	
जोड़ जोड़	Total		3113.36		3113.36	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	Revenue					
पूंजी	Capital		605.49		605.49	
जोड़	Total		605.49		605.49	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now					
. •	required:					
राजस्व	Revenue		0.02		0.02	
पूंजी	Capital		79.69		79.69	
जोड़	Total		79.71		79.71	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3798.56		3798.56	
राजस्व	Revenue		3026.72		3026.72	
प्ंजी	Capital		771.84		771.84	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unc					
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(कa)	0.01	
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation		0.01	(खb)	0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02		0.02	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
उ 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		4.88	(गc)	4.88	
5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	5053-Capital Outlay on Civil Aviation		73.22	(घd)	73.22	
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए पूंजीगत	5475-Capital Outlay on Other General Economic		1.59	(ਤe)	1.59	
परिव्यय	Services					
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		79.69		79.69	
ा १ (पूरक) जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		79.71		79.71	
•						

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मांगा जाता है।

(क)

'सब्सिडी' के तहत वीजीएफ में ऐलायंस एयर (क्षेत्रीय संबद्धता योजना) के व्यय

को पूरा करना (30.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

- (ख) (i) पूर्वीतर क्षेत्र के लिए एएआई को पूजिंगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (15.00 करोड़ रुपये)।
 - (ii) एईआरए को सामान्य सहायता अनुदान (0.28 करोड़ रुपये)।
 - (iii) एईआरए को पूजिंगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (13.43 करोड़ रुपये)।
 - (iv) एई आरए को वेतन सहायता अन्दान (3.17 करोड़ रुपये)।
 - (v) राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (आरजीएनएयू) को वतेन सहायता अनुदान (0.50 करोड़ रुपये)।
 - (vi) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आईजीआरयूए) को सामान्य सहायता अनुदान (1.99 करोड़ रुपये)।
 - (vii) नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो में भूमि एवं भवन हेतु स्थानीय शुल्क, दर और कर (3.50 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक

The supplementary Grants are required for:

meeting expenditure under 'Subsidies' in VGF to Alliance Air (Regional Connectivity Scheme) (₹ 30.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) Grants for creation of Capital Assets to AAI for NE Region(₹ 15.00 crore).
- (ii) Grants-in-aid-General to AERA (₹ 0.28 crore).
- (iii) Grants for Creation of Capital Assets to AERA (₹ 13.43 crore).
- (iv) Grants-in-aid-Salaries to AERA (₹ 3.17 crore).
- (v) Grants-in-aid-Salaries to National Aviation University (RGNAU) ($\stackrel{?}{\text{\footnote{Notation}}}$ 0.50 crore).
- (vi) Grants-in-aid-General to Indira Gandhi Rastriya Uran Academy (IGRUA) (₹ 1.99 crore).
- (vii) Rent, Rates and Taxes for Land and Buildings in Bureau of Civil Aviation Security (₹ 3.50 crore).

(i)

- एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंवेस्टीगेशन ब्यूरो में 'भवन और संरचना' के तहत संयुक्त (ग) कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भुगतान (4.88 करोड़ रुपये)। अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के समर्पण को ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा नागरिक विमानन महानिदेशालय में 'स्थापना' के अंतर्गत संयुक्त कार्यालय (ঘ) (i) (d) भवन और अन्य पूंजीगत व्यय (66.10 करोड़ रुपये) और वैमानिकी निरीक्षण नियंत्रक में स्थापना (1.10 करोड़ रुपये) के लिए भ्गतान। (ii) नागरिक विमानन ब्यूरो में 'भवन और संरचना' (स्थापना) के तहत संयुक्त कार्यालय भवन और अन्य पूंजीगत व्यय के लिए भुगतान (6.02 करोड़ रुपये)। अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के समर्पण को ध्यान में रखते हू एँ उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंवेस्टीगेशन ब्यूरो में 'मशीनरी और उपस्कर' के तहत (량) आर्थिक सेवा के संबद्ध कार्यालय में पूंजीगत व्यय (1.59 करोड़ रुपये)। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।
- payment for construction of combined office building under 'Building and Structures' in Aircraft Accident Investigation Bureau ($\ref{thm:payment}$ 4.88 crore).
- Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- payment for construction of combined office building and other capital expenditure under 'Establishment' in Director General Civil Aviation (₹ 66.10 crore) & Establishment in Controller of Aeronautical Inspection (DGCA) (₹ 1.10 crore).
- (ii) payment for construction of combined office building and other capital expenditure under 'Building & Structures' (Establishment) in Bureau of Civil Aviation Security (₹ 6.02 crore).
 - Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

 - Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 10

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये) (See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 10 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(1.7)	(19) (111 (610165)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.50	5215.93	5216.43
पूंजी	Capital		38.15	38.15
जोड़	Total	0.50	5254.08	5254.58
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		145.01	145.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		145.01	145.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		659.87	659.87
पूंजी	Capital			***
जोड़	Total	•••	659.87	659.87
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	0.50	6058.96	6059.46
राजस्व	Revenue	0.50	6020.81	6021.31
पूंजी	Capital		38.15	38.15
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	त दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	the following Major Hea	d:	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3453-विदेश व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	3453-Foreign Trade and Export Promotion		659.87	659.87

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

ब्याज समकरण योजना के तहत सब्सिडी (768 करोड़ रुपये)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध 9.44 करोड़ रुपये की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए, और अनुदान के इसी भाग में 108.13 करोड़ रुपये की बचतों का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में 650.43 करोड़ रुपये का नकद व्यय शामिल होगा। The supplementary Grant is required for:

Subsidies (₹ 768 crore) under Interest Equalisation Scheme Taking into account the surrender of savings amounting to ₹ 9.44 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings amounting to ₹ 108.13 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 650.43 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 11

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग

DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिये) (See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 11 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

,	,			(₹ करोंड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		6548.93	6548.93
पूंजी	Capital	***	1651.70	1651.70
जोड़	Total		8200.63	8200.63
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.06	0.06
पूंजी	Capital		10.62	10.62
जोड़	Total		10.68	10.68
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		8211.33	8211.33
राजस्व	Revenue		6549.01	6549.01
पूंजी	Capital	•••	1662.32	1662.32
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	ा दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under		Head	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(कa) 0.01
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	···	0.02	0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) पूर्वीतर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2007 के तहत सब्सिडी (20 करोड रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) आईपीआर नीति प्रबंधन के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (0.30 करोड़ रुपये)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

a) Subsidies (₹20.00 crore) under the scheme North East Industrial Investment Promotion Policy, 2007

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants for Creation of Capital Assets (₹0.30 crore) under IPR Policy Management

मांग संख्या DEMAND NO 12

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

				(₹ करों:	ਤੁ) (In ₹ crores
		भारित	स्वीकृत	•	, , ਗੋੜ
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	1.17	39155.26		39156.43
पूंजी	Capital		1396.95		1396.95
जोड़	Total	1.17	40552.21		40553.38
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue				
पूंजी	Capital				
जोड़	Total				
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	i :			
राजस्व	Revenue	***	0.01		0.01
पूंजी	Capital		183.75		183.75
जोड़	Total		183.76		183.76
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.17	40735.97		40737.14
राजस्व	Revenue	1.17	39155.27		39156.44
पूंजी	Capital		1580.70		1580.70
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के 3	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for u		r Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3 201-डाक सेवाएं	3201-Postal Services		0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
 मृख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
- 4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों मेंं पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas		15.63	(खb)	15.63
5201-डाक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5201-Capital Outlay on Postal Services		168.12	(गc)	168.12
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		183.75	, ,	183.75
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		183.76		183.76

(b)

(c)

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
(ख)	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (15.04 करोड़ रुपये) और मोटर वाहन (0.59 करोड़ रुपये) हेतु 15.63 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना
	अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।
(ग)	मोटर वाहन (11.08 करोड़ रुपये), भवन (12.40 करोड़ रुपये) और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (144.64 करोड़ रुपये) हेतु 168.12 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
	अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा ।

व्यावसायिक सेवाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(233.30 करोड़ रुपये)

(क)

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure on Professional Services ($\stackrel{\scriptstyle <}{_{\sim}} 233.30$ crore).

Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure of ₹ 15.63 crore towards Information and Communication Technology (₹ 15.04 crore) and Motor Vehicle (₹ 0.59 crore).

Taking into account savings available in the revenue section of the grant, this will not entail cash outgo.

meeting additional expenditure of ₹ 168.12 crore towards Motor Vehicles (₹11.08 crore), Building (₹12.40 crore) and Information and Communication Technology (₹ 144.64 crore).

Taking into account savings available in the Revenue section of the Grant, this will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 13

दुरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये) (See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

	5_5 _ 5_ · /			(₹ करोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
राजस्व	Revenue		41461.43	41461.43
पूंजी	Capital		66691.82	66691.82
्र जोड़	Total	•••	108153.25	108153.25
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital		8310.77	8310.77
जोड़	Total		8310.78	8310.78
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital		96.85	96.85
जोड़	Total		96.86	96.86
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		116560.89	116560.89
राजस्व	Revenue		41461.45	41461.45
पूंजी	Capital		75099.44	75099.44
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ी	दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the		or Head	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3275-अन्य संचार सेवाएं	3275-Other Communication Services		0.01	(कa) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			•
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5275-अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5275-Capital Outlay on Other Communication Services		96.85	(खb) 96.85
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	•••	96.86	96.86
. 10. 1	· / L- L			

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क)

सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को मुआवजा योजना के तहत प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभिमान (पीएम जनमन) योजना के अंतर्गत सब्सिडी संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करना; निम्नलिखित हेत् व्यय का प्नः वर्गीकरण (i) अन् संधान विकास-प्रौधोगिकी विकास और निवेश संवर्धन (79.5 करोड़ रुपये); (ii) सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता- बांड पर ब्याज का भ्गतान (383.57 करोड़ रुपये); (iii) सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता-सरकार की ब्नियादी परियोजनाओं के लिए पीएसयू को अन्दान (1.51 करोड़ रुपये); (iv) टेलीमेटिक्स के विकास के लिए स्वायत्त निकायों को सहायता (456.66 करोड़ रुपये); (v) निर्देशन और प्रशासन-स्वच्छता कार्य योजना (1.53 करोड़ रुपये); (vi) सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता-इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आईटीआई) बैंगलोर को मुआवजा/वितीय राहत (154.30 करोड़ रुपये); (vii) संचार वित प्रशिक्षण संस्थान (7.47 करोड़ रुपये); (viii) भारतीय दूरसंचार सेवाओं (आईटीएस)/बिल्डिंग वर्क्स सर्विसेज (बीडब्ल्ल्यू एस) अधिकारियों को प्रशिक्षण (3.37 करोड़ रुपये); (ix) उधोगों/कंपनियों को सहायता-चौपियन सेवा क्षेत्र योजना के लिए प्रावधान (68.46 करोड़ रुपये); (x) सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता-पूंजी स्पेक्ट्रम पर जीएएसटी के लिए सामान्य सहायता अन्दान (2218 करोड़ रुपये); (xi) सार्वजनिक क्षेत्र और उपक्रमों को सहायता/स्वेच्छा से सेवानिवृत होने वाले बीएसएनएल और एमटीएनएल कर्मचारियों को वृद्धिशील पेंशन भ्गतान (2977.90 करोड़ रुपये)।

> अन्दान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक अन्पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

meeting additional expenditure on Subsidies under Pradhan Mantri Janiati Adivasi Nyava Maha Abhiyan(PM-JANMAN) under the Scheme 'Compensation to service providers for universal service Re-classification of following expenditure for obligation': (i) Research Development-Technology Development and Investment Promotion (₹ 79.5 crore); (ii) Assistance to Public sector and other undertakings-Payment of Interest on Bonds (₹ 383.57 crore); (iii) Assistance to Public sector and other undertakings-Sub vention to PSUs for Infra Projects of Government (₹ 1.51 crore); (iv) Assistance to Autonomous Bodies-Centre for Development of Telematics (₹ 456.66 crore); (v) Direction and Administration-Swachhta Action Plan (₹ 1.53 crore); (vi) Assistance to Public Sector and other Undertakings-Compensation /Financial Relief to Indian Telephone Industries Limited (ITI) Bangalore (₹ 154.30 crore): (vii) Training Institute for Communication Finance (₹ 7.47 crore); (viii) Training to Indian Telecommunication Services (ITS)/Building Works Services (BWS) Officers (₹ 3.37 crore); (ix) Assistance to Industries/Companies-Provision for Champion Service Sector Scheme (₹ 68.46 crore); (x) Assistance to Public Sector and other Undertakings-Grant for GST on 4G Spectrum -Grant-in-Aid-General (₹ 2218 crore); (xi) Assistance to Public Sector and other Undertakings/Incremental Pension Payment to voluntarily retiring BSNL and MTNL employees (₹ 2977.90 crore) Taking into account savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) टेलीकॉम कंप्यूटर इमर्जेंसी टीम (टी-शर्ट) के लिए 220.63 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (96.85 करोड़ रुपये), संचार वित प्रशिक्षण संस्थान (25 करोड़ रुपये), बीएसएनएल हेतु सैटेलाइट गेटवे सहायता की स्थापना (1.05 करोड़ रुपये), टीआरएआई की भवन और संरचनाएं (97.55 करोड़ रुपये)

अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, अनुदान के उसी खंड में 96.85 करोड़ रुपये का नकद व्यय शामिल होगा। meeting additional expenditure of ₹ 220.63 crore towards Telecom Computer Emergency Response Team (T-Cert) (₹ 96.85 crore), Training Institute for Communication Finance (₹ 25 crore), Establishment of Satellite Gateway Assistance to BSNL (₹ 1.05 crore), Building and Structures of TRAI (₹ 97.55 crore)

Taking into account savings available in the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of $\ref{eq:grant}$ 96.85 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 14

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 14 और वर्ष 2023-2024 की अन्दानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15-16 देखिये) (See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 15-16 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		259.59	259.59
पूंजी	Capital		28.07	28.07
जोड़	Total		287.66	287.66
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		18.39	18.39
प्ंजी	Capital		22.34	22.34
जोड़	Total		40.73	40.73
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		17.87	17.87
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		17.87	17.87
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		346.26	346.26
राजस्व	Revenue		295.85	295.85
प्ंजी	Capital		50.41	50.41
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर	र्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	er the following Major Head	:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3456-नागरिक आपूर्ति	3456-Civil Supplies		17.87	17.87

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

उपभोक्ता सरंक्षण सेल के लिए कार्यालय व्यय के तहत व्यय की पूर्ति के लिए(17.87 करोड़ रूपये)

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure under 'Office Expenses' for Consumer Protection Cell (₹ 17.87 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 15

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 17-18 देखिये) (See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 17-18 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(र करा	<i>ड़) (In ₹ cro</i> जॊड़ Total
'. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
ाजस्व ।जस्व	Revenue		205363.57		205363.57
<u> </u> ंजी	Capital		25150.37		25150.37
गोइ	Total		230513.94		230513.94
(रक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
जस्व	Revenue		6995.41		6995.41
्जी	Capital		25.00		25.00
गोड़	Total		7020.41		7020.41
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
ज र व	Revenue		9383.48		9383.48
<u> </u> زंजी	Capital		26.56		26.56
ोड़	Total		9410.04		9410.04
ोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		246944.39		246944.39
ज स् व	Revenue		221742.46		221742.46
् जी	Capital	•••	25201.93		25201.93
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों वे II. This Supplementary Grants will be accounted fo				
	,	भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
<i>ाजस्व भाग</i> ख्य शीर्ष	REVENUE SECTION MAJOR HEAD	-			
, 451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		152.45	(क a)	152.45
408-खाद्य भंडारण और माल गोदाम	2408-Food Storage and Warehousing		9231.03	(खb)	9231.03
गेड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		9383.48		9383.48
रंजी भाग	CAPITAL SECTION				
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
, 408-खाद्य भंडारण और माल गोदाम पर पूंजीगत	4408-Capital Outlay on Food Storage and		26.56	(गc)	26.56
रिव्यय	Warehousing				
नोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		9410.04		9410.04

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) स्थापना के तहत विज्ञापन और प्रचार (152.45 करोड़ रूपयें) उपरोक्त व्यय में of 152.45 करोड़ रूपये नकद व्यय शामिल होगा।

- (ख) (i) सब्सिडी के तहत पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्न लेनदेन पर एफसीआई और अन्य देय को सब्सिडी (2454.03 करोड़ रूपये)
 - (ii) सब्सिडी के तहत पीएमजीकेएवाई के तहत खााद्यान्न को विकेंद्रीकृत खरीद पर राज्य सरकार को सब्सिडी (6777 करोड़ रूपये)
 - (iii) योजना भडांरण विकास और नियामक प्राधिकरण के तहत सामान्य सहायता अनुदान (0.99 करोड़ रूपये)
 - अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए इसमें नकद 9231.03 करोड़ रूपये का नकद व्यय होगा।
- (ग) एफसीआई के द्वारा निवेश के तहत खाय भड़ांरण गोदामों का निर्माण (26.56 करोड़ रूपये) होगा। उपरोक्त व्यय में 26.56 करोड़ रूपये नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) 'Advertising and Publicity' under Establishment (₹ 152.45 crore).The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 152.45 crore.
- (b) (i) Subsidy payable to FCI & others on foodgrains transactions under PMGKAY under ' Subsidies' ($\ref{2454.03}$ crore).
 - (ii) Subsidy to State Government on Decentralized Procurement of foodgrains under PMGKAY under 'Subsidies' (₹ 6777 crore).
 - (iii) Grants-in-aid-General under 'Scheme Warehousing Development and Regulatory Authority (₹ 0.99 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 9231.03 crore.

Construction of Food Storage godowns by FCI under 'Investment'

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 26.56 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 18

संस्कृति मंत्रालय MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिये) (See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 21 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

				t 4715) (III & CTOI	es)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		3114.25		3114.25	
पूंजी	Capital		285.40		285.40	
जोड़	Total		3399.65		3399.65	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	Revenue		260.35		260.35	
पूंजी	Capital		0.02		0.02	
जोड़	Total		260.37		260.37	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		35.50		35.50	
पूंजी	Capital		0.01		0.01	
जोड़	Total		35.51		35.51	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3695.53		3695.53	
राजस्व	Revenue		3410.10		3410.10	
पूंजी	Capital		285.43		285.43	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गर	त दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under		or Head			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture		35.50	(कa)	35.50	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and		0.01	(खb)	0.01	
परिव्यय	Culture			` '		
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		35.51		35.51	

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

क) (I) क. निम्नलिखित के लिए 96.71 करोड़ रुपये का सामान्य सहायता अनुदान अपेक्षित है। 1. अकादमी को सहायता- 50 करोड़ रुपये 2. बीटीआई और स्मारक-4.44 करोड़ रुपये। 3. संग्रहालय को सहायता- 38.42 करोड़ रुपये 4. पुस्तकालय को सहायता- 3.85 करोड़ रुपये ख. पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु 9.78 करोड़ रुपये का अनुदान अपेक्षित है: 1. संग्रहालय को सहायता- 0.18 करोड़ रुपये। 2. पुस्तकालय को सहायता- 2.50 करोड़ रुपये। 3. बीटीआई और स्मारकों – 0.10 करोड़ रुपये। 4. अकादमी को सहायता- 7 करोड़ रुपये। ग. निम्नलिखित हेतु 2.88 करोड़ रुपये। च. अन्य शीर्ष हेतु- शताब्दी और वर्षगांठ योजना के अंतर्गत 25.00 करोड़ रुपये। अन्य शीर्ष हेतु- शताब्दी और वर्षगांठ योजना के अंतर्गत 25.00 करोड़ रुपये और भारतीय पुरातत्व सर्वक्षण के अंतर्गत 10.50 करोड़ रुपये।

अनुदान के पूजी भाग में उपलब्ध बचत के समर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के उसी अनुभाग के भीतर बचत का उपयोग करने के पश्चात्, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) (II) राष्ट्रीय पुस्तकालय – 8 करोड़ रुपये अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grants are required for:

(a) (I) A Grant-in-aid General of ₹ 96.71cr. is required for:- 1. Support to Akademi - ₹ 50 cr. 2. BTI & Memorial-₹ 4.44 cr. 3. Support to Museum- ₹ 38.42 cr. 4. Support to Libraries- ₹ 3.85 cr. B Grants for Creation of Capital Assets of ₹ 9.78 cr. is required for: - 1. Support to Museum- ₹ 0.18 cr. 2. Support to Library- ₹ 2.50 cr. 3. BTI & Memorials- ₹ 0.10 cr. 4. Support to Akademies- ₹ 7 cr. C Grants for GIA-Salaries of ₹ 2.88 cr. is required for:- 1. Support to Museum- ₹ 2.88 cr. D For Other Heads - ₹ 25.00 crore under Centenaries and Anniversaries Scheme and ₹ 10.50 crore under Archaeological Survey of India

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(b) (II) National Library- ₹ 8 cr. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 19

रक्षा मंत्रालय (सिविल)

MINISTRY OF DEFENCE (CIVIL) दीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनटानों की मांगों का प्रष्ट 19-20 और वर्ष 2023-2024 की अ

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19-20 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 23-24 देखिये) (See page 19-20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 23-24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जोद Charged Voted Total I. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 0.99 37068.72 37069.71 पूंजी Capital 20.00 8829.79 8849.79 जोड 20.99 45898.51 45919.50 Total पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: राजस्व 3198.42 Revenue 0.35 3198.77 पूंजी 1525.00 Capital 2.00 1527.00 जोद Total 2.35 4723.42 4725.77 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: 1209.81 1210.76 राजस्व 0.95 पूंजी Capital 621 96 621 96 जोड 0.95 1831.77 1832.72 Total जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 24.29 52453.70 52477.99 राजस्व Revenue 2.29 41476.95 41479.24 पूंजी 10998.75 Capital 22.00 10976.75 II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads: भारित जॊड़ स्वीकृत Charged Voted Total राजस्व भाग **REVENUE SECTION** म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं 2052-Secretariat-General Services 186.57 (खb) 187.52 0.95 (**क**a) 2014-न्याय प्रशासन 2014-Administration of Justice 9.64 (गc) 9.64 2037-सीमा शुल्क 2037-Customs 173.32 (घd) 173.32 2055-पुलिस 2055-Police 138.53 (ङe) 138.53 2075-विविध सामान्य सेवाएं 2075-Miscellaneous General Services 519.00 (चf) 519.00 ... 3054-सड़क और पुल 3054-Roads and Bridges 182.75 182.75 (छg) जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 1209.81 0.95 1210.76 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत 4047-Capital Outlay on Other Fiscal Services 241.35 (जh) 241.35 परिव्यय 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत 4070-Capital Outlay on Other Administrative Services 17.91 17.91 (झi) परिट्यय 4216-आवासन पर पूंजीगत परिव्यय 4216-Capital Outlay on Housing 5 45 (टi) 5 45 4858-अभियांत्रिक उद्योगों पर पूंजीगत 4858-Capital Outlay on Engineering Industries 91.64 91.64 (ठk) 4859-दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर 4859-Capital Outlay on Telecommunication and 264.36 264.36 (롱) पूंजीगत परिव्यय **Flectronic Industries** 7615-विविध ऋण 7615-Miscellaneous Loans 1.25 1.25 (ढm) जोड़ (पूंजी भाग) **Total (Capital Section)** 621.96 621.96 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 1831.77 1832.72 0.95

यह पूरक अ	ानु दाने ^ग विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:
(क)	सचिवालय सामान्य सेवा के अंतर्गत वेतन के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.95 करोड़ रुपये) इसमें नकद व्यय होगा
(ख)	रक्षा मंत्रालय (सचिवालय) के तहत 206.76 (करोड़ रुपये) रक्षा संपदा संगठन के तहत (49.48 करोड़ रुपये) सामान्य सहायता अनुदान (144.38 करोड़ रुपये), सामान्य सहायता अनुदान (एसएपी), (0.50 करोड़ रुपये), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु (0.40 करोड़ रुपये) और स्थापना संबंधी व्यय (12करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
	अनुदान में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए 186.57 करोड़ रुपये के नकद

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) meeting additional expenditure towards Salaries under Secretariat
 General Services (₹0.95 crore)
 This will entail cash outgo.
 (b) meeting additional expenditure of ₹ 206.76 crore under Ministry of
 Defence (Secretariat) (₹ 49.48 crore) under Defence Estate

Defence (Secretariat) (₹ 49.48 crore) , under Defence Estate Organisation towards Grants in aid General (₹ 144.38 crore), Grants in aid General (SAP)(₹ 0.50 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹ 0.40 crore) and Establishment related expenditure (₹ 12 crore).

Taking into account the savings available in the grant, a cash supplementary of ₹ 186.57 crore is sought.

(ग)	वेतन के लिए (1.80 करोड़ रुपये) और स्थापना संबंधी व्यय (7.84 करोड़ रुपये) के लिए 9.64 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(c)	meeting additional expenditure of ₹ 9.64 crore towards Salary (₹ 1.80 crore) and Establishment related Expenditure (₹ 7.84 crore).
	इसमें नकद व्यय होगा		This will entail cash outgo.
(ঘ)	भर्तो (97.13 करोड़ रुपये), ईंधन और स्नेहक (52 करोड़ रुपये) और अन्य प्रशासनिक व्यय (29.63 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु 178.76 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि।	(d)	Additional funds of ₹ 178.76 crore towards meeting expenditure under Allowances (₹ 97.13 crore), Fuels and Lubricants (₹ 52 crore) and Other Administrative Expenses (₹ 29.63 crore).
	अनुदान में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए उपरोक्त व्यय के लिए 173.32 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।		Taking into account savings available in the Grant, the above expenditure will entail ₹ 173.32 crores as cash outgo.
(ङ)	वेतन और भते के तहत जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के लिए 138.53 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। इसमें नकद व्यय शामिल होगा	(e)	meeting additional expenditure of ₹ 138.53 crore for Jammu and Kashmir Light Infantry towards Pay and Allowances. This will entail cash outgo.
(핍)	सामग्री एवं आपूर्ति एवं अन्य स्थापना संबंधी व्यय के तहत कैंटीन स्टोर विभाग के लिए 519 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(f)	meeting additional expenditure of ₹ 519 crore for Canteen Store Department under Material and Supplies and other Establishment related expenditure.
	मिलान प्राप्तियों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें ₹ 126 करोड़ का नकद भुगतान शामिल होगा।		Taking into account the matching receipts, this will entail cash outgo of ₹ 126 crore.
(ন্ড)	सड़क रखरखाव के लिए सीमा सड़क संगठन के तहत (1 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रखरखाव (37 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य सड़कों और रखरखाव (124.75 करोड़ रुपये), सामान्य सहायता अनुदान (रुपये) 5 करोड़) और प्ंजीगत परिसंपतियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान (15 करोड़ रुपये) के 182.75 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना	(g)	meeting additional expenditure of ₹ 182.75 crore under Border Road Organization for Road Maintenance (₹ 1 crore), Repair and Maintenance of National Highways (₹ 37 crore), Road and Maintenance of other than National Highways (₹ 124.75 crore), Grants in aid General (₹ 5 crore) and Grants in aid for creation of Capital Assets (₹ 15 crore).
	इसमें नकद व्यय शामिल होगा		This will entail cash outgo.
(ज)	'भवन और संरचना' और 'अवसंरचना आस्तियों ' के लिए राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के तहत 511.58 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(h)	meeting additional expenditure of ₹ 511.58 crore under Capital Outlay on Fiscal Services for 'Building and Structure' and 'Infrastructure Assets'.
(21)	अनुदान में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त में नकद व्यय के रूप में 241.35 करोड़ रुपये खर्च होगे। रक्षा संपदा संगठन (6.97 करोड़ रुपये) और रक्षा मंत्रालय सचिवालय (12.94	(:)	Taking into account savings available in the Grant, the above expenditure will entail ₹ 241.35 crore as cash outgo.
(軒)	करोड़ रुपये) के लिए 19.91 रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(i)	meeting additional expenditure of Rs 19.91 crore for Defence Estate Organization (₹ 6.97 crore) and Ministry of Defence Secretariat (₹ 12.94 crore).
	अनुदान में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त में नकद व्यय के रूप में 17.91 करोड़ रुपये खर्च होगे।		Taking into account savings available in the Grant, the above expenditure will entail ₹ 17.91 crore as cash outgo.
(ट)	रक्षा प्रदर्शनी संगठन के तहत 5.45 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। इसमें नकद व्यय शामिल होगा	(j)	meeting additional expenditure of ₹ 5.45 crore under Defence Exhibition Organization. This will entail cash outgo.
(ত)	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को जारी किए गए बोनस शेयरों के समायोजन के लिए (91.64 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के एक ही अनुभाग में उपलब्ध मिलान वस्लियों को ध्यान में रखते	(k)	meeting additional expenditure of (₹ 91.64 crore) towards adjustment of bonus shares issued to Bharat Dynamics Limited. Taking into account the matching recepits available in the Grant,
	हु ए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा;		the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ਝ)	वर्ष 2017-18 के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को जारी किये गये बोनस शेयरों के समायोजन के लिए 264.36 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(1)	meeting additional expenditure of ₹ 264.36 crore towards adjustment of Bonus Shares issued in respect of Bharat Electronic Limited for the year 2017-18.
	अनुदान के एक ही अनुभाग में उपलब्ध मिलान वस्तियों को ध्यान में रखते		Taking into account the matching receipts available in the Grant,
(T)	हु ए. उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा;	()	the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ভ)	ऋण के तहत 1.25 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। इसमें नकद व्यय शामिल होगा	(m)	meeting additional expenditure of ₹ 1.25 crore towards providing the loans.
	इतन गम्भ प्यय सामिल हागा इतन गम्भ प्यय सामिल हागा		This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 20

रक्षा सेवा (राजस्व)

DEFENCE SERVICES (REVENUE)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 25-26 देखिये) (See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 25-26 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

,,	,	भारित	स्वीकृत	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	101.62	276931.99	277033.61
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	101.62	276931.99	277033.61
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	7.10	14992.90	15000.00
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	7.10	14992.90	15000.00
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now			
पूरक अनुमान:	required:			
राजस्व	Revenue	7.90	13938.71	13946.61
प्ंजी	Capital			
जोड़	Total	7.90	13938.71	13946.61
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	116.62	305863.60	305980.22
राजस्व	Revenue	116.62	305863.60	305980.22
प्ंजी	Capital	•••	•••	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be		following Major Heads:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2076-रक्षा सेवाएं-थल सेना	2076-Defence Services - Army	6.40	(क a) 9162.36	(खb) 9168.76
2077-रक्षा सेवाएं-नौ सेना	2077-Defence Services - Navy	***	1366.33	(गc) 1366.33
2078-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	2078-Defence Services - Air Force	***	3326.52	(घd) 3326.52
2080-रक्षा सेवाएं- अनु संधान	2080-Defence Services - Research and	1.50	(se) 83.50	(चf) 85.00
और विकास	Development			
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	7.90	13938.71	13946.61
		गों में नीचे दर्शाई गयी वस्लियों	ं को शामिल नहीं किया गया ह	है जिन्हें व्यय में से घटाकर
	Note: The above estimates of additional requirement in reduction of expenditure.	ts do not take into accour	nt the recoveries shown b	pelow, which are adjusted
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2076-रक्षा सेवाएं-थल सेना	2076-Defence Services - Army		(-)67.64	(-)67.64

यह पूरक अनुदा	में विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:
(क)	न्यायालयी आदेश से उत्पन्न 'परिवहन (0.20 करोड़ रुपये)', 'सेवा निवृत्त

(ख)

न्यायालया आदशे स उत्पन्न 'पारवहन (0.20 कराइ रुपये)', 'सवा निवृत्त (a अंशदान स्वास्थ्य योजना (0.20 करोइ रुपये)', 'अंडार (3 करोइ रुपये)', 'कार्य' (1 करोड़ रुपये) और सेना के 'राष्ट्रीय राइफल्स' (2 करोड़ रुपये) के (6.40 करोड़

रुपये) के अतिरिक्त व्यय के भुगतान को पूरा करने के लिए। इसमें 6.40 करोड़ रुपये का व्यय में नकद व्यय शामिल होगा

वेतन एवं भत्ते-सेना '(5160.50 करोड़ रुपये), वेतन एवं भत्ते-एयूएक्स फोर्सेज (1209 करोड़ रुपये), परिवहन (500.10 करोड़ रुपये), 'ईसीएचएस' (1189.74 करोड़), 'भंडार' (956.29 करोड़ रुपये), 'कार्य' (149.51 करोड़ रुपये), सेना के राष्ट्रीय राइफल्स (553.58 करोड़ रुपये और 'अन्य व्यय' (870.24 करोड़ रुपये) के लिए 10588.96 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

इसी खंड में उपलब्ध प्रतिपूर्तियों और बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें 9,162.36 करोड़ रुपये का नकद व्यय शामिल होगा।

(ग) 'पीएंडए-नौसेना (156.06 करोड़ रुपये) ' परिवहन' (161.50 करोड़ रुपये), 'मरम्मत एवं दुरुस्तीकरण' (296.00 करोड़ रुपये), 'झंडार' (1,233.87 करोड़ रुपये), 'कार्य' (43.85 करोड़ रुपये), और नौसेना के 'अन्य व्यय' (259.05 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय 2150.33 करोड़ रुपये को पूरा करने के लिए।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) meeting additional expenditure of ₹ 6.40 crore towards payments arising out of Court Orders for Transportation (₹ 0.20 crore), Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (₹ 0.20 crore), Stores (₹ 3 crore), Works (₹ 1 crore) and Rashtriya Rifles (₹ 2 crore) of Army. This will entail a cash out go for ₹ 6.40 crore.

Meeting additional expenditure of ₹ 10588.96 crore, Pay & Allowances- Army (₹ 5160.50 crore), Pay & Allowances-Aux forces (₹ 1209 crore), Transportation (₹ 500.10 crore), Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (₹ 1189.74 crore), Stores (₹ 956.29 crore), Works (₹ 149.51 crore), Rashtriya Rifles (₹ 553.58 crore and Other Expenditure (₹ 870.24 crore) for Army.

Taking into account additional recoveries and saving available in the same section, this will entail a cash outgo for ₹ 9,162.36 crore. Meeting additional expenditure of ₹ 2150.33 crore, P&A-Navy (₹ 156.06 crore) transportation (₹ 161.50 crore), repairs & refits (₹ 296.00 crore), stores (₹ 1,233.87 crore), works (₹ 43.85 crore), and other expenditure (₹ 259.05 crore) for Navy.

	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, इसमें 1,366.33 करोड़ रुपये का नकद व्यय शामिल होगा।		Taking into account savings available in the same section of the grant, this will entail cash out go for ₹ 1,366.33 crore.
(ঘ)	` ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	(d)	meeting additional expenditure of ₹ 3367.02 crore, stores
	करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय 3367.02 करोड़ रुपये को पूरा करने के लिए।		(₹ 3,365.52 crore) and Special Projects (₹ 1.50 crore) for Air Force.
	इसी खंड में उपलब्ध अतिरिक्त प्राप्तियों और बचतों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें 2928.52 करोड़ रुपये का नकद व्यय शामिल होगा।		Taking into account the additional receipts and savings available in the same section, this will entail a cash outgo for ₹ 2928.52 crore.
(량)	न्यायालयी आदेशों से उत्पन्न अनुसंधान विकास संगठन के (अन्य व्यय) के ((e)	Meeting additional expenditure of ₹ 1.58 crore towards payments
	लिए 1.58 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के भुगतान को पूरा करने के लिए।		arising out of Court Orders for (Other Expenditure) of Research Development Orgainisation.
	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, इसमें (1.50 करोड़ रुपये) का नकद व्यय शामिल होगा।		Taking into account savings available in the same section, this will entail cash out go for (₹ 1.50 crore).
(च)	'पीएंडए-सिविलियनों (200 करोड़ रुपये) ' 'भंडार' (32.08 करोड़ रुपये) और (1	(f)	Meeting additional expenditure of ₹ 267.40 crore, P&A-Civilians (₹
	अनु संधान एवं विकास के 'अतिरिक्त व्यय' (35.32 करोड़ रुपये) के लिए		200 crore), Stores (₹ 32.08 crore) and Other Expenditure (₹ 35.32
	अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।		crore) for Research & Development.
	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, इसमें (83.50 करोड़ रुपये) का नकद व्यय शामिल होगा।		Taking into account savings available in the same section this will entail cash out go (₹ 83.50 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 21

रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 27 देखिये) (See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 27 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

Demands for Grants for the year	2020-2024)					
					(₹ कर	ौड़) (In ₹ crores
		भारित		स्वीकृत		जॊड़
		Charged		Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue					
पूंजी	Capital	115.42		162484.58		162600.00
जोड़	Total	115.42		162484.58		162600.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	Revenue					
पूंजी	Capital	1.00		0.01		1.01
जोड़	Total	1.00		0.01		1.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue					***
पूंजी	Capital	28.87		0.01		28.88
जोड़	Total	28.87		0.01		28.88
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>145.29</i>		162484.60		162629.89
राजस्व	Revenue			•••		
पूंजी	Capital	145.29		162484.60		162629.89
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गर	त दिखाया जायेग	Π:			
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be acco			owing Major H	leads:	
		भारित		स्वीकृत		जॊड़
		Charged		Voted		Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
्. मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076-Capital Outlay on Defence Services	28.87	(कa)	0.01	(खb)	28.88
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						

यह पूरक अनुदाने विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (0.50 करोड़ रुपये), सेना के लिए निर्माण कार्य (30 करोड़ रुपये), नौसेना के लिए भूमि (0.18 करोड़ रुपये) और न्यायालय के आदेश से उत्पन्न निर्माण कार्यों (वायु सेना के लिए 17.45 करोड़ रुपये) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए 48.13 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में और स्वीकृत भाग में उपलब्ध 28.87 करोड़ रूपये के मिलान बचत को ध्यान में रखते हु ए, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) भूमि (75.86 करोड़ रूपये), रोलिंग स्टॉक (37 करोड़ रूपये), सेना की राष्ट्रीय राइफल्स (36 करोड़ रूपये), अन्य उपकरण (5700 करोड़ रूपये), नौसेना का नौसेना बेड़ा (245 करोड़ रूपये) भूमि (121.84 करोड़ रूपये), विमान और एयरोइंजन (391.55 करोड़ रूपये) वायु सेना के अन्य उपकरण (1715.90 करोड़ रुपये) और अनुसंधान एवं विकास की मशीनरी और उपकरण (142.85 करोड़ रुपये) रूपये के अंतर्गत 8466 करोड़ रूपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grants/Appropriations are required for:

Meeting additional expenditure of ₹ 48.13 crore for Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (₹ 0.50 crore), Construction Works (₹ 30 crore) for Army, Land (₹ 0.18 crore) for Navy and Construction Works (₹ 17.45 crore) for Air Force towards expenditure arising out of court order.

Taking into account matching savings available in the same section of the grant and $\ref{eq:condition}$ crore in the voted section, this will not entail cash outgo.

meeting additional expenditure of ₹ 8466 crore under Land (₹ 75.86 crore), Rolling Stock (₹ 37 crore), Rashtriya Rifles (₹ 36 crore) of Army, Other equipment (₹ 5700 crore), Naval Fleet (₹ 245 crore) of Navy, Land (₹ 121.84 crore), Aircraft & Aeroengines (₹ 391.55 crore) Other Equipment (₹ 1715.90 crore) of Air Force and Machinery & Equipment (₹ 142.85 crore) of Research & Development.

मांग संख्या DEMAND NO 22

रक्षा पेंशन

DEFENCE PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

			(₹	करोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.88	138203.12	138205.00
पूंजी	Capital		•••	
जोड़	Total	1.88	138203.12	138205.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		3890.88	3890.88
प्ंजी	Capital			
जोड़	Total		3890.88	3890.88
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.88	142094.00	142095.88
राजस्व	Revenue	1.88	142094.00	142095.88
पूंजी	Capital		•••	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्ग	ति दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for unde		ead:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			

2071-Pensions and other Retirement Benefits

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाओं (3882.18 करोड़ रुपये), पारितोष (5.20 करोड़ रुपये) और पेंशन प्रशासन -रक्षा (स्पर्श) सेवाएं (3.50 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु 3890.88 करोड़ रुपये।

अनुदान के भारित भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए , उपरोक्त 3,890 करोड़ रुपए का अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure of $\overline{\xi}$ 3890.88 crore towards Pensions and Other Retirement Benefits ($\overline{\xi}$ 3882.18 crore), Rewards ($\overline{\xi}$ 5.20 crore) and Systems for Pensions Administration-Raksha (SPARSH) Services ($\overline{\xi}$ 3.50 crore).

3890.88

3890.88

Taking into account the savings available in the charged section of the grant, this will entail cash outgo of $\ref{thm:properties}$ 3,890 crore;

मांग संख्या DEMAND NO 23

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिये) (See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 28 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

				(र कराड़) (In ₹ crore	<i>∋s)</i>
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
l. मू ल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		1798.75		1798.75	
पूंजी	Capital		4093.25		4093.25	
जोड़	Total		5892.00		5892.00	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	Revenue	***	***			
पूंजी	Capital	***	0.01		0.01	
जोड़	Total		0.01		0.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		0.01		0.01	
पूंजी	Capital		0.01		0.01	
जोड़	Total		0.02		0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		5892.03		5892.03	
राजस्व	Revenue		1798.76		1798.76	
प्ंजी	Capital	•••	4093.27		4093.27	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	ा दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under		jor Head			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(कa)	0.01	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
नुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services		0.01	(खb)	0.01	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.02	•	0.02	
•						

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) पूर्वीत्तर परिषद की स्कीमों के अधीन (i) वित वर्ष 2023-24 के दौरान सिक्किम खनन निगम के ऋगों पर छूट देने के लिए 0.54 करोड़ रुपये के समाशोधन; और (ii) पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति और एरियर के भुगतान के लिए 1.52 करोड़ रुपये।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) पूर्वीतर परिषद सचिवालय में पूर्वीतर संसाधन केन्द्र (एनईआरसीईएन) के लिए नई मशीनरी और उपस्कर (0.31 करोड़ रुपये) और नए कम्प्यूटर (0.24 करोड़ रुपये) की लागत के निमत।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

(a) (i) ₹ 0.54 crore towards accounting adjustment for waiver of loan of Sikkim Mining Corporation during financial year 2023-24; and
 (ii) ₹ 1.52 crore towards payment of scholarships and arrears to eligible students under the Schemes of North-East Council.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Towards cost of new machinery and equipment (₹ 0.31 crore) and new computers (₹ 0.24 crore) for North East Resource Centre (NERCEN) in North-East Council Secretariat.

मांग संख्या DEMAND NO 25

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिये) (See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 31 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

Demands for Grants for the year 20	23-2024)				
				(₹ करॉ	इ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		104804.30		104804.30
पूंजी	Capital		0.55		0.55
जोड़	Total		104804.85		104804.85
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		0.04		0.04
पूंजी	Capital		0.10		0.10
जोड़	Total		0.14		0.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now				
	required:				
राजस्व	Revenue		3668.88		3668.88
प्ंजी	Capital				
जोड़	Total		3668.88		3668.88
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		108473.87		108473.87
राजस्व	Revenue		108473.22		108473.22
पूंजी	Capital		0.65		0.65
	II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर	र्गत दिखाया जायेगा	:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for und				
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
- 2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education		3668.85	(क a)	3668.85
2552-पूर्वीत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(गc)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		0.01	(ঘd)	0.01
अनुदान					
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		3668.88		3668.88

(c)

यह प्रक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(ग)

(क) प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डीएई) की योजना में पुरस्कार (0.02 करोड़ रुपये), समग्र शिक्षा योजना में व्यवसायिक सेवा (5.00 करोड़ रुपये), समग्र शिक्षा योजना में पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (2.75 करोड़ रुपये), माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में अंतरण (11000 करोड़ रुपये)।

> समान बचत को ध्यान में रखते हु ए, इसमें केवल (3668.85 करोड़ रुपये) का नकद व्यय होगा।

(ख) समग्र शिक्षा योजना में सामान्य सहायता अनुदान (0.90 करोड़ रुपये). समग्र शिक्षा योजना में पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (6.60 करोड़ रुपये)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

समग्र शिक्षा योजना में सामान्य सहायता अनुदान (1.50 करोड़ रुपये), समग्र शिक्षा योजना में प्ंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (134.36 करोड़ रुपये)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

समग्र शिक्षा योजना में सामान्य सहायता अनुदान (0.01 करोड़ रुपये), समग्र
 शिक्षा योजना में पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (0.01 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

(a) Rewards in the Scheme of Directorate of Adult Education (DAE) (₹ 0.02 crore), Professional Services in the Scheme of Samagra Shiksha (₹ 5.00 crore), Grants for creation of Capital Assets in the Scheme of Samagra Shiksha (₹ 2.75 crore), Transfer to Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh of (₹ 11000 crore)

Taking into account the matching Savings, there will only be a Cash outgo of (₹ 3668.85 crore)

Grants-in-Aid General in the Scheme of Samagra Shiksha (₹ 0.90 crore), Grants for creation of Capital Assets in the scheme of Samagra Shiksha (₹ 6.60 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-Aid General in the Scheme of Samagra Shiksha (₹ 1.50 crore), Grants for creation of Capital Assets in the scheme of Samagra Shiksha (₹ 134.36 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-Aid General in the Scheme of Samagra Shiksha (₹ 0.01 crore), Grants for creation of Capital Assets in the Scheme of Samagra Shiksha (₹ 0.01 crore)

मांग संख्या DEMAND NO 26

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 33 देखिये) (See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 33 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

	o=o =o= .,			/∌ কন	ोड़) (In ₹ crores)
		भारित		(\ 4)\(1)	
		**	स्वीकृत		जोड़ •
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		50082.10		50082.10
पूंजी	Capital		12.52		12.52
जोड़	Total		50094.62		50094.62
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		649.88		649.88
पूंजी	Capital		•••		***
जोड़	Total		649.88		649.88
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		12500.00		12500.00
पूंजी	Capital		•••		***
जोड़	Total		12500.00		12500.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		63244.50		63244.50
राजस्व	Revenue		63231.98		63231.98
पूंजी	Capital	•••	12.52		12.52
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	ति दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under		Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education		6500.00	(कa)	6500.00
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education		6000.00	(खb)	6000.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		12500.00		12500.00

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(ख)

(क) विश्व स्तरीय संस्थान योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (20 करोड रूपये)

विश्व स्तरीय संस्थान योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (180 करोड़ रूपये)।

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष को अतिरिक्त अंतरण (6,500 करोड़ रूपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें 6500.00 करोड़ रूपये का निवल नकद व्यय होगा।

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (46.50 करोड़ रूपये) और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता (6.08 करोड़ रूपये)।

भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता योजनाओं के अंतर्गत पूजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (25.41 करोड़ रूपये) और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता (47.56 करोड़ रूपये)।

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष को अतिरिक्त अंतरण (6000 करोड़ रूपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु एइसमें 6000.00 करोड़ रूपये का निवल नकद व्यय होगा। The supplementary Grants are required for:

(a) Grants-in-aid General under scheme of World Class Institutions
[₹ 20 Crore]

Grants for creation of capital assets under scheme of World Class Institutions [₹ 180 Crore]

Additional transfer to Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh (₹ 6,500 Crore).

Taking into Account the savings available in the same section of the grant this will entail a net cash outgo of Rs 6500.00 crore

Grants-in-aid General under scheme of Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER) [₹ 46.50 Crore] and Support to Indian Institute of Science (IISc) [₹ 6.08 Crore]

'Grants for creation of capital assets under schemes of Support to Indian Institute of Science (IISc) [$\stackrel{?}{}$ 25.41 crore] and Support to Indian Institute(s) of Information Technology [$\stackrel{?}{}$ 47.56 Crore], Additional transfer to Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh ($\stackrel{?}{}$ 6,000 Crore).

Taking into Account the savings available in the same section of the grant this will entail a net cash outgo of Rs 6000.00 crore

मांग संख्या DEMAND NO 28

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिये) (See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 37 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जोद Charged Voted Total I. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 3576.27 3576.27 पूंजी 145.38 Capital 145.38 ... जोड 3721.65 3721.65 Total पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: राजस्व Revenue 92.57 92.57 पूंजी Capital 0.03 0.03 जोद Total 92.60 92.60 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: Revenue 126.10 126.10 पूंजी Capital जोड 126.10 126.10 Total जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 3940.35 3940.35 ... 3794.94 3794.94 राजस्व Revenue पूंजी Capital 145.41 145.41 ॥. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head जॊड़ स्वीकृत Charged Voted Total राजस्व भाग **REVENUE SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2406-वानिकी और वन्य जीवन 2406-Forestry and Wild Life 0.01 0.01 (**कa**) 3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण 126.09 3435-Ecology and Environment 126.09 (खb) ... जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 126.10 126.10

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

की मांग की जाती है।

(क) निम्निलिखित हेतु प्रावधान को बढ़ाना (i) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत भारतीय वाणिकी अनुसंधान परिषद और प्रशिक्षण संस्थान (आईसीएफआरई) (5.00 करोड़ रूपये) (ii) वेतन सहायता अनुदान के अंतर्गत भारतीय वन्य जीवन संस्थान (1.60 करोड़ रूपये) और (iii) सामान्य सहायता (9.95 करोड़ रूपये) और वेतन सहायता अनुदान (0.05 करोड़ रूपये) के अंतर्गत केनद्रीय चिडियाघर प्राधिकरण को सहायता। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हू ए सांकेतिक पूरक

(ख) निम्नलिखित हेतु प्रावधान को बढ़ाना (i) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत भोपाल गैस रिसाव आपदा से संबंधित उपचार और अपशिष्ट निपटान कार्य (126.09 करोड़ रूपये) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (2.30 करोड़ रूपये) और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (1.10 करोड़ रूपये) को सहायता। (ii) वेतन सहायता अनुदान (1.00 करोड़ रूपये) और पूंजीगत आस्तियों के स्जन हेतु अनुदान (10.00 करोड़ रूपये) के अंतर्गत जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान को सहायता।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु एइसमें नकद व्यय होगा। The supplementary Grants are required for:

augmenting provision for (i) Indian Council of Forestry Research and Training Institute (ICFRE) under Grants-in-aid-General (₹ 5 crore) (ii) Wildlife Institute of India under Grants-in-aid-Salaries (₹ 1.60 crore) and (iii) Central Zoo Authority under Grants-in-aid-General (₹ 9.95 crore) and Grants-in-aid-Salaries (₹ 0.05 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

augmenting provision for (i) remediation and waste disposal works related to Bhopal Gas Leak Disaster (₹ 126.09 crore), Botanical Survey of India (₹ 2.30 crore) and National Biodiversity Authority (₹ 1.10 crore) under Grants-in-aid-General and (ii) GB Pant Himalayan Institute of Environment and Development under Grants-in-aid-Salaries (₹ 1 crore) and Grants for creation of capital assets (₹ 10 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 29

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिये) (See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 39 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

				(₹ करों.	ड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	0.03	16534.76		16534.79
पूंजी	Capital		1520.21		1520.21
जोड़	Total	0.03	18054.97		18055.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue	•••	10616.16		10616.16
पूंजी	Capital	•••	9513.74		9513.74
जोड़	Total		20129.90		20129.90
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue	***	0.02		0.02
पूंजी	Capital				
जोड़	Total	···	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.03	38184.89		38184.92
राजस्व	Revenue	0.03	27150.94		27150.97
प्ंजी	Capital	•••	11033.95		11033.95
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for ur		Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services		0.01	(कa)	0.01
2061-विदेशी मामले	2061-External Affairs		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02	•	0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) मुद्राण और प्रकाशन के तहत पुस्तकालय के लिए खरीदी गई ऑनलाइन पुस्तकों का भुगतान (4.51 करोड़ रुपये) और (ii) सीपीडब्ल्यूडी और जवाहरलाल नेहरू भवन के रखरखाव के लिए (6.50 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) दावों की प्रतिपूर्ति (4.17 करोड़ रुपये), विवेकाधीन अनुदान के लिए धनराशि (672.52 करोड़ रुपये) और अन्य राजस्व व्यय के तहत युद्ध और नागरिक अशांति के कारण विदेशों से भारतीयों को निकालने के लिए आवश्यक धनराशि (50 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

(a) payment (i) of online books purchased for library (₹ 4.51 crore) under Printing and Publication and (ii) to CPWD and maintenance of Jawaharlal Nehru Bhawan (₹ 6.50 crore).

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

reimbursement of claims (₹ 4.17 crore), funds for discretionary grants (₹ 672.52 crore) and funds required for evacuation of Indians from abroad due to war and civil disturbance (₹ 50 crore) under Other Revenue Expenditure.

मांग संख्या DEMAND NO 30

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिये) (See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

			(, ,	(1) / (111 (CI OI CS)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		6909.09	6909.09
पूंजी	Capital		8227.45	8227.45
जोड़	Total		15136.54	15136.54
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		1438.46	1438.46
पूंजी	Capital		6840.03	6840.03
जोड़	Total		8278.49	8278.49
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	:		
राजस्व	Revenue		5000.00	5000.00
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		5000.00	5000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		28415.03	28415.03
राजस्व	Revenue		13347.55	13347.55
पूंजी	Capital		15067.48	15067.48
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अ	तर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for un		ad:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	2250-Other Social Services		5000.00	5000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में अंतरण (5000.00 करोड़ रुपये) उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा। The supplementary Grant is required for:

transfer to Senior Citizen Welfare Fund (₹ 5000.00 crore). The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 31

व्यय विभाग

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 43 देखिये) (See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 43 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

			1	¢ / (\ c. c. c.)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		389.26	389.26
पूंजी	Capital		128.08	128.08
जोड़	Total	•••	517.34	517.34
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total	•••	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		***	
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total	•••	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		517.36	517.36
राजस्व	Revenue		389.26	389.26
पूंजी	Capital		128.10	128.10
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत टि	खाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the		lead:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर प्ंजीगत परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सरकारी वाहनों की खरीद (0.44 करोड़ रूपये)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

purchase of official vehicles (₹ 0.44 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 32

वितीय सेवाएं विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिये) (See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 44 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(₹ 9	r(iș) (in ? crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मू <i>ल</i> अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	1112.35	1112.35
पूंजी	Capital		262.31	262.31
जोड़	Total	***	1374.66	1374.66
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		1992.68	1992.68
प्ंजी	Capital		8329.54	8329.54
जोड़	Total		10322.22	10322.22
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		985.00	985.00
प्ंजी	Capital			
जोड़	Total		985.00	985.00
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		12681.88	12681.88
राजस्व	Revenue		4090.03	4090.03
पूंजी	Capital		8591.85	8591.85
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the	he following Major He	ead:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं	3465-General Financial and Trading Institutions		985.00	985.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

" रूपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य की भीम-यूपीआई लेन देनों (पी2एम) के बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना" को भुगतान (985 करोड़ रुपये)। उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा। The supplementary Grant is required for:

payment on "Incentive scheme for promotion of RuPay Debit Cards and low-value BHIM-UPI transactions (P2M)" (₹ 985 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 35

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 38 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये) (See page 38 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 47 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

						(₹ कर	ोड़) (In ₹ crores,
				भारित	स्वीकृत		जॊड़
				Charged	Voted		Total
।. मूल अनु	दान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue			189707.53		189707.53
पूंजी		Capital		***	119.84		119.84
जोड़		Total			189827.37		189827.37
पूरक अनुदा	ान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व -		Revenue			344.14		344.14
पूंजी		Capital		***	179.82		179.82
जोड़		Total			523.96		523.96
इस समय आ	वश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the arr required:	nount now				
राजस्व		Revenue			84.12		84.12
पूंजी		Capital			7.10		7.10
जोड़		Total			91.22		91.22
जोड़ (मूल औ	र प्रक)	Total (Original plus Supplementary	y)		190442.55		190442.55
राजस्व		Revenue			190135.79		190135.79
पूंजी		Capital			306.76		306.76
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलि	नेखित म्ख्य शी	र्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
		II. This Supplementary Grants will	•				
				भारित	स्वीकृत		जॊड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	au	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2047-अन्य र	राजकोषीय सेवाएं	2047-Other Fiscal Services			84.12	(कa)	84.12
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4047-अन्य र	राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत	4047-Capital Outlay on Other Fisc	al Services		7.10	(खb)	7.10
परिव्यय							
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			91.22		91.22
यह परक अन	पुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:		The supplem	nentary Grants are require	d for:		
(क)		और नए कार्यालयों की स्थापना के लिए	(a)	establishment related		f Enfor	cement Directorate
. /	प्रवर्तन निदेशालय (84.12 करोड़ रु		\-/	(₹ 84.12 crore) on accessablishment of new of	count of increas		
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल						
	उपराक्त व्यय म नकद व्यय शामल	हागा।		The above expenditure	wiii entaii a cas	n outao:	

Tribunal and other related work.

The above expenditure will entail a cash outgo;

संबंधित कार्य।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

मांग संख्या DEMAND NO 36

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 48 देखिये) (See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 48 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

·	,	भारित	स्वीकृत	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जॊड
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	omangou.	70.00	
राजस्व	Revenue	•••	8282.87	8282.87
पूंजी	Capital		1610.00	1610.00
जोड़	Total	•••	9892.87	9892.87
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		535.42	535.42
प्ंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		535.43	535.43
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital		0.02	0.02
जोड़	Total		0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	10428.32	10428.32
राजस्व	Revenue		8818.29	8818.29
पूंजी	Capital		1610.03	1610.03
	II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for ur		Head	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		0.01	(कa) 0.01
4216-आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		0.02	0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद (23.00 करोड रुपये)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) (i) लखनऊ में आवासीय भवन के निर्माण हेतु भूमि की खरीद हेतु (74.46 करोड़ रुपये) (ii) आयकर विभाग के लिए सेक्टर 39बी चंडीगढ़ में दो खाली प्लॉट्स की खरीद हेतु (7.04 करोड़ रुपये) और (iii) जैसलमेर में प्लॉट्स बी2 में भूमि की खरीद हेतु नगरपालिका जैसलमेर को भृगतान (0.22 करोड़ रुपए)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grants are required for:

(a) purchase of land for construction of Office Building at Vijayawada(A.P)[₹ 23.00 crore].

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Purchase of land for construction of residential building at Lucknow [$\ref{thm:purchase}$ 74.46 crore] (ii) purchase of two vacant plots in Sector - 39B Chandigarh for the Income Tax Department [$\ref{thm:purchase}$ 7.04 crore] and (iii) additional payment to Nagarpalika Jaisalmer for land purchased at Plot B2 [$\ref{thm:purchase}$ 0.22 crore] in Jaisalmer.

मांग संख्या DEMAND NO 37

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिये) (See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 49 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

Demands for Grants for the year 2023	-2024)				
				(₹ करोड	r) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		, जोड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		36305.58		36305.58
पूंजी	Capital		2205.00		2205.00
जोड़	Total		38510.58		38510.58
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue				
पूंजी	Capital		2.66		2.66
जोड़	Total		2.66		2.66
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01		0.01
पूंजी	Capital		0.02		0.02
जोड़	Total		0.03		0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		38513.27		38513.27
राजस्व	Revenue		36305.59		36305.59
पूंजी	Capital	•••	2207.68		2207.68
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for un		ajor Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2037-सीमा शुल्क	2037-Customs		0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
- 4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4047-Capital Outlay on Other Fiscal Services		0.01	(खb)	0.01
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		0.01	(गc)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		0.02		0.02
जोड़ (पूर्क)	Total (Supplementary)		0.03		0.03

(b)

यह प्रक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) चालू वर्ष में स्क्रॉल की जा रही पिछली देनदारियों के कारण निर्यातित उत्पादों पर शुक्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी वर्तमान) हेतु 600.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) अनुदान के पूंजीगत भाग के तहत स्थापना संबंधी व्यय अर्थात, मोटर वाहन, मशीनरी एवं उपकरण, अन्य पूंजीगत व्यय, आईसीटी उपकरण, फर्नीचर एवं फिक्सचर्स एवं अन्य निर्धारित आस्तियों को पूरा करने के लिए 388.95 करोड़ रुपये की निधि की अतिरिक्त आवश्यकता।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ग) डीजीजीआई लखनऊ के लिए भूमि की खरीद हेतु (3.91 करोड़ रुपये) और डीजीजीआई, भोपाल के लिए भूमि की खरीद हेतु (0.01 करोड़ रुपये) की अतिरिक्त आवश्यकता

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grants are required for:

additional requirement of ₹ 600.00 crores for Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP Current) on account of past liabilities being scrolled in current year.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Additional requirement of funds of ₹ 388.95 crore for meeting establishment related expenditure i.e., Motor Vehicle, Machinery & Equipment,Other Capital Expenditure, ICT equipments, Furniture & Fixtures and other Fixed Assets under Capital Section of the Grant. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

additional requirement of funds for procurement of Land for DGGI Lucknow (₹ 3.91 crore) and land for DGGI, Bhopal (0.01 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 41

पेंशन

PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(₹ 9	rriș) (III r crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	400.00	72301.00	72701.00
पूंजी	Capital		•••	***
जोड़	Total	400.00	72301.00	72701.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital			
जोड़	Total			•••
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		3000.00	3000.00
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		3000.00	3000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	400.00	75301.00	75701.00
राजस्व	Revenue	400.00	75301.00	75701.00
पूंजी	Capital	•••		•••
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	र्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under		ad:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits		3000.00	3000.00

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

अधिवषता और सेवानिवृत्ति भता, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन, अवकाश नकदीकरण, अधिशेष के रूप में घोषित केंद्र सरकार के कर्मचारी (सीजीई) को विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) से उत्पन्न अनुग्रह पेंशन, परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों के संबंध में पेंशन प्रभार और अन्य पेंशनों (3,000 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

उपरोक्त व्यय में 3000 हजार करोड़ रूपये का नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards Superannuation and Retirement Allowance, Gratuities, Family Pensions, Leave Encashment, Ex-gratia Pension arising out of special Voluntary Retirement Scheme (VRS) to Central Government Employee (CGE) declared as surplus, Defined Contribution Pension Scheme (DCPS), Pensionary charges in respect of retirees/deceased employees of Govt. of NCT Delhi and Other Pensions (₹ 3,000 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 3,000 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 42

राज्यों को अंतरण TRANSFERS TO STATES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड Total Charged Voted ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व 39340.01 204820.01 Revenue 165480 00 पूंजी 26650.00 128000.02 154650.02 Capital जोद 167340.03 359470.03 Total 192130.00 इस समय आवश्यक रकम का Supplementary Estimate of the amount now पूरक अनुमान required: राजस्व Revenue 0.02 0.02 पूंजी Capital 2950.00 2950.00 जोड Total 2950.00 0.02 2950.02 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 195080.00 167340.05 362420.05 राजस्व Revenue 165480.00 39340.03 204820.03 पूंजी 157600.02 128000.02 Capital 29600.00 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads: भारित स्वीकृत जॊड Total Charged Voted REVENUE SECTION राजस्व भाग मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2245-प्राकृतिक आपदा राहत 2245-Relief on account of Natural Calamities 0.01 (**क**a) 0.01 3601-राज्य सरकारों को 3601-Grants-in-aid to State Governments 0.01 (खb) 0.01 सहायता अनुदान जोड़ (राजस्व भाग) **Total (Revenue Section)** 0.02 0.02 पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 7601-राज्य सरकारों को ऋण 7601-Loans and Advances to State Governments 2950.00 2950.00 (गc) और अग्रिम 0.02 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 2950 00 2950.02 टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure. राजस्व भाग REVENUE SECTION 3601-राज्य सरकारों को 3601-Grants-in-aid to State Governments (-)2000.00(-)2000.00

यह पूरक अनुदाने विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सहायता अन्दान

(क) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) को 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का अन्तरण ।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) (i) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए विशेष सहायता के रूप में सामान्य सहायता अनुदान के रूप में 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय और (ii) विदेशी सहायता परियोजनाओं (अनुदान) हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए 100 करोड़ रुपये

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों और अतिरिक्त वस््लियों को ध्यान में रखते हु एइसमें नकद व्यय नहीं होगा। विदेशी महायता परियोजनाओं (एकमशत ऋण) हेत अतिरिकत केनदीय

(ग) विदेशी सहायता परियोजनाओं (एकमुश्त ऋण) हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 2950 करोड़ रुपये प्रदान करना। इस राशि का मिलान 2326.52 करोड़ रुपये की प्राप्तियों से किया जायेगा। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचत की समतुल्य राशि को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई नकद व्यय शामिल नहीं होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) Additional amount of ₹ 20 crore for transfer to National Disaster Response Fund (NDRF).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Additional expenditure of ₹ 1000 crore towards Special
Assistance as grants in aid for creation of capital assets; and
 (ii) ₹ 100 crore towards additional Central Assistance for Externally
Aided Projects (Grants).

Taking into account the savings available and additional recoveries in the same section of the Grant, this will not entail cash outgo.

Providing ₹ 2950 crore as additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Block Loans). This will be matched with Receipts amounting to ₹ 2326.52 crore.

Taking into account equivalent amount of savings available under voted section of the grant, this will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 44

पशुपालन और डेयरी कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 52-53 देखिये) (See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 52-53 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

				(₹ करोड़) (In ₹ crores,
		<i>भारित</i>	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		4649.09	4649.09
पूंजी	Capital		38.76	38.76
जोड़	Total		4687.85	4687.85
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी	Capital		147.32	147.32
्र जोड़	Total		147.34	147.34
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amo	ount now required:		
राजस्व	Revenue	·	0.02	0.02
पूंजी	Capital			
्र जोड़	Total		0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4835.21	4835.21
राजस्व	Revenue		4649.13	4649.13
पूंजी	Capital		186.08	186.08
	•	 खेत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
		e accounted for under the following Maj	or Head	
	ii. This supplementary stante will b	च वडव्डवाराज्य रहा वार्यका साठ रहा है। सार्व भारित	स्वीकृत स्वीकृत	जৌड
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	G		
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2403-पश् पालन	2403-Animal Husbandry		0.01	(कa) 0.01
2404-डेयरी विकास	2404-Dairy Development		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02	0.02
,				
यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	(00.77 ->	The supplementary Grants are require		16 01 11 10 : 5 :
	ा सामान्य सहायता अनुदान (62.77 करोड़		` ,	nd for Scheduled Caste Sub
रुपये) तथा अनुसूचित जाति उ		Plan (₹ 5 crore) under	•	
अनुदान क इसा भाग में उपलब्ध	। बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पुरक	Taking into account th	ne savinas availa	able in the same section of

(b)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) नई मद शीर्ष के लिए डेयरी विकास के तहत सब्सिडी (10 करोड़ रुपये)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Subsidies under Dairy Development for new object head (₹ 10 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 45

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 54-55 देखिये) (See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 54-55 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

Supplementary Demand	ds for Grants for the year 2023-2024)			
				(₹ करोड़) (In ₹ crore
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	···	3285.19	3285.19
पूंजी	Capital	···	2.46	2.46
जोड़	Total	···	3287.65	3287.65
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़ जोड़	Total	***	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now required:	:		
पूरक अनुमान:	,			
राजस्व	Revenue	···	745.01	745.01
पूंजी	Capital	···		
जोड़	Total	···	745.01	745.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	···	4032.69	4032.69
राजस्व	Revenue		4030.22	4030.22
पूंजी	Capital	•••	2.47	2.47
	॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के 3	तर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for u			
		भारित	स्वीकृत	जॊड
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मृख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य भंडारण और माल	2408-Food Storage and Warehousing		745.00	(कa) 745.00
गोदाम	2.00 r ood otorage and marchodoling			(14)
2552-पूर्वीतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		745.01	745.01
		में नीने दर्शार्द गयी वस्त्रियों को शादि	मेत्र नहीं किया गया है	: जिन्हें त्याय में मे घटाकर
	समायोजित किया जाता है !	गणाय प्रताञ्चाचा चर्ताराचा नगराता	1010101141411	1 1010 (1 044 01 (1 4014)(
	Note: The above estimates of additional requirements	do not take into account the re	coveries shown h	elow, which are
	adjusted in reduction of expenditure.	and the second tribite		,
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2408-खाद्य भंडारण और माल	2408-Food Storage and Warehousing		(-)745.00	(-)745.00
येक्टान्य महारण आर माल गोदाम	2400-1 000 Storage and wateriousing		(-)145.00	(- <i>)14</i> 3.00

यह प्रक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(ख)

क) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के वित्तपोषण के लिए कृषि अवसंरचना और विकास निधि में 745 करोड़ रूपये का अन्तरण अनुदानके एक ही भाग में उपलब्ध बचत।

> अनुदान के एक ही भाग में उपलब्ध मिलान वस्लियों को ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;

सुक्ष्म खाय प्रसंस्करण उद्यमों की पीएम औपचारिकता योजना के तहत 'उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर)' के लिए सामान्य सहायता अनुदान (15.90 करोड़ रूपये)

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

a) transfer of ₹ 745 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme- 'Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY).

Taking into account the matching recoveries available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

Grants-in-aid General for 'North Eastern Region (NER)' under the scheme PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (₹ 15.90 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 46

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिये) (See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 56 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

	·	•			(₹ करॉ	ड़ि) (In ₹ crores)
			भारित	स्वीकत	,	
			**	=		•
स्वातंत्र संवतंत्र संवतंत्य संवतंत्र संवतंत्र संवतंत्र संवतंत्र संवतंत्र संवतंत्र संवतंत्र	l. म ल अनदान:	I. ORIGINAL GRANT:	ea.gea			
पूजी तांचा	· •			99382.66		99382.66
जेड़						
प्रक अनुदान:		·		104683.00		104683.00
सजस्व	पुरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
নার		Revenue		0.07		0.07
নার	पूंजी	Capital		0.04		0.04
पड़ान स्वाप्त वि: पड़ान				0.11		0.11
स्वन्नव स्वाप्त व स्वाप्त को सहायता अनुदान को हिसाब निम्नविवित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगाः ॥ के 5300.40 के 5300.40 व	इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now				
एंजी Capital 0.02 0.02 जोड़ Total 0.06 0.06 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 104683.17 104683.17 एंजी Revenue 99382.77 99382.77 एंजी Capital 5300.40 5300.40 II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्निलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: III. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्निलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: III. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्निलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: III. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्निलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: III. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्निलिखत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: III. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्निलिखत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: III. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्निलिखत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: III. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्निलिखत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: III. इस पूरक पूरक पूरक पूरक पूरक पूरक पूरक पूरक		required:				
जोड़ (पृल और प्रक) Total (Original plus Supplementary) 104683.17 104683.17 104683.17 राजस्व Revenue 99382.77 99382.77 पूंजी Capital 99382.77 99382.77 पूंजी 5300.40 5300.40 5300.40 1 इस पूल अनुदान का हिसाब निम्नतिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head आरित स्वीकृत जोड़ Charged Voted Total एक्ट्रिय शीर्ष के अनुदान का हिसाब निम्नतिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: III. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head आरित स्वीकृत जोड़ Charged Voted Total राजस्व आग स्वर्थ शीर्ष MAJOR HEAD 0.01 (क्व.)		Revenue		0.04		0.04
जोड़ (पृल और प्रक) Total (Original plus Supplementary) 104683.17 104683.17 104683.17 राजस्व Revenue 99382.77 99382.77 पूंजी Capital 99382.77 99382.77 पूंजी 5300.40 5300.40 5300.40 1 इस पूल अनुदान का हिसाब निम्नतिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head आरित स्वीकृत जोड़ Charged Voted Total एक्ट्रिय शीर्ष के अनुदान का हिसाब निम्नतिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: III. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head आरित स्वीकृत जोड़ Charged Voted Total राजस्व आग स्वर्थ शीर्ष MAJOR HEAD 0.01 (क्व.)	पूंजी	Capital		0.02		0.02
संबन्ध	जोड़	Total		0.06		0.06
पूंजी	जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		104683.17		104683.17
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नितिखत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: III. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head शारित स्वीकृत जोड़ Charged (Voted Total) Total (राजस्व श्राग सिम्प्रण शिष्ट श्राण सिम्प्रण श्री सिम्प्रण सिम्प्रण सिम्प्रण श्री सिम्प्रण सिम्प्रण श्री सिम्प्रण श्री सिम्प्रण	राजस्व	Revenue		99382.77		99382.77
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head अगरित स्वीकृत जोड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 2210-Medical and Public Health 0.01 (कa) 0.01 2211-परिवार कल्याण 2211-Family Welfare 0.01 (खb) 0.01 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-Vूर्वोत्तर क्षेत्र 3601-दाज्य सरकारों को सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Governments 0.01 (घd) 0.01 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Governments 0.04 पूजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत 4210-Capital Outlay on Medical and Public Health 0.01 (še) 0.01 परिव्यय	पूंजी	Capital		5300.40		5300.40
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head अगरित स्वीकृत जोड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 2210-Medical and Public Health 0.01 (कa) 0.01 2211-परिवार कल्याण 2211-Family Welfare 0.01 (खb) 0.01 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-Vूर्वोत्तर क्षेत्र 3601-दाज्य सरकारों को सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Governments 0.01 (घd) 0.01 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Governments 0.04 पूजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत 4210-Capital Outlay on Medical and Public Health 0.01 (še) 0.01 परिव्यय		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जायेग	Π:		
राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 2210-Medical and Public Health 0.01 (कa) 0.01 2211-परिवार कल्याण 2211-Family Welfare 0.01 (खb) 0.01 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0.01 (णि) 0.01 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Governments 0.01 (णि) 0.01 जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.04 0.04 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD						
सुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 2210-Medical and Public Health 0.01 (कa) 0.01 2211-पिरवार कल्याण 2211-Family Welfare 0.01 (खb) 0.01 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0.01 (गс) 0.01 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Governments 0.01 (घd) 0.01 जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.04 0.04 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD			भारित	स्वीकृत		जॊड़
मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2210-विकित्सा और जन स्वास्थ्य 2210-Medical and Public Health 0.01 (कa) 0.01 2211-पिरवार कल्याण 2211-Family Welfare 0.01 (खb) 0.01 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0.01 (गट) 0.01 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Governments 0.01 (घd) 0.01 जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.04 0.04 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4210-विकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत 4210-Capital Outlay on Medical and Public Health 0.01 (se) 0.01 परिटयय			Charged	Voted		Total
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 2210-Medical and Public Health 0.01 (कa) 0.01 2211-पिरवार कल्याण 2211-Family Welfare 0.01 (खb) 0.01 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0.01 (गट) 0.01 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Governments 0.01 (घd) 0.01 जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.04 0.04 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत 4210-Capital Outlay on Medical and Public Health 0.01 (še) 0.01 परित्यय	राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2211-पिरवार कल्याण 2211-Family Welfare 0.01 (खb) 0.01 2552-पूर्वीतर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0.01 (गट) 0.01 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Governments 0.01 (घd) 0.01 जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.04 0.04 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत 4210-Capital Outlay on Medical and Public Health 0.01 (ङe) 0.01 परित्यय	मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0.01 (गट) 0.01 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Governments 0.01 (घट) 0.01 जोड़ (राजस्व भाग) 70tal (Revenue Section) 0.04 0.04 पूंजी भाग CAPITAL SECTION 430R HEAD 4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत 4210-Capital Outlay on Medical and Public Health 0.01 (ङe) 0.01 परित्यय	2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		0.01	(कa)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Governments 0.01 (घd) 0.01 जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.04 0.04 पूजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत 4210-Capital Outlay on Medical and Public Health 0.01 (ङe) 0.01 परिव्यय	2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.04 0.04 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत 4210-Capital Outlay on Medical and Public Health 0.01 (se) 0.01 परिव्यय	2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(गc)	0.01
पूंजी भागCAPITAL SECTIONमुख्य शीर्षMAJOR HEAD4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत4210-Capital Outlay on Medical and Public Health0.01(ङe)0.01परिव्यय	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(ঘd)	0.01
MAJOR HEAD 4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत 4210-Capital Outlay on Medical and Public Health 0.01 (ङe) 0.01 परिव्यय	जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.04		0.04
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत 4210-Capital Outlay on Medical and Public Health 0.01 (se) 0.01 परिव्यय	पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
परिव्यय	मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4244 Capital C		4210-Capital Outlay on Medical and Public Health		0.01	(ਝe)	0.01
42 । - पारवार कल्याण पर पूजानत पारव्यय 42 । 1-Capital Outlay on Family Wellare 0.01 (या) 0.01	4211-परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	4211-Capital Outlay on Family Welfare		0.01	(चf)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 0.02 0.02		Total (Capital Section)		0.02		0.02
जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 0.06 0.06		Total (Supplementary)		0.06		0.06

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

- (i) अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹92.39 करोड़) 1. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (₹86.03 करोड़) सामान्य घटक के लिए ₹ 67.89 करोड़ एससी के लिए घटक ₹ 18.14 करोड़ 2. टेलीमेडिसिन (₹ 6.24 करोड़) 3. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (₹ 0.12 करोड़)।
- (ii) राष्ट्रीय नशा मुक्ति कार्यक्रम के लिए (२०.७० करोड़) पूंजीगत संपित के निर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिएअनुदान (२०.७० करोड़)।
- (iii) 1. आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए लचीले पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन (र 11.29 करोड़) के संबंध में सहायता अनुदान के अलावा अतिरिक्त व्यय (र 35.11 करोड़) को पूरा करने के लिए पुरस्कार (र 0.01 करोड़) भता (र 7.20 करोड़) अवकाश यात्रा रियायत (र 0.11 करोड़) प्रशिक्षण व्यय (0.01 करोड़) दूसरों के लिए किराया (र 0.05 करोड़) डिजिटल उपकरण (र 0.11 करोड़) मरम्मत और रखरखाव (र 3.80 करोड़) 2. स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक (र 0.16 करोड़) पुरस्कार के लिए (र 0.15 करोड़) अन्य राजस्व व्यय (र 0.01 करोड़) 3. मेडिकल स्टोर डिपो (र 2.34 करोड़) पुरस्कार के लिए (र 0.29 करोड़) डिजिटल उपकरण (र 1.89 करोड़) मरम्मत और रखरखाव (र 0.16 करोड़) 4. सफदरजंग

The supplementary Grants are required for:

(i) Cranto

- (i) Grants in aid General for meeting additional requirement (₹ 92.39 crore) for 1. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) National Health Authority(₹ 86.03 crore) for General component ₹ 67.89 crore for SC component ₹ 18.14 crore 2. Telemedicine (₹ 6.24 crore) 3. National Mental Health Programme (₹ 0.12 crore).
- (ii) Grants for Creation of Capital Assets for meeting additional requirement ($\P0.70$ Crore) for National Drugs De-addiction Programme ($\P0.70$ Crore).
- (iii) For meeting additional expenditure (₹ 35.11 Crore) on other than Grants-in-aid in respect of 1. Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission (₹ 11.29 crore) for Rewards (₹ 0.01 Crore) Allowance (₹ 7.20 Crore) Leave Travel Concession (₹ 0.11 crore) Training Expenses (0.01 crore) Rent for Others (₹0.05 Crore) Digital Equipment (₹ 0.11 Crore) Repairs and Maintenance (₹ 3.80 Crore) 2. Director General of Health Services (₹ 0.16 Crore) for Rewards (₹ 0.15 Crore) Other revenue Expenditure (₹ 0.01 Crore) 3. Medical Store Depot (₹ 2.34 Crore) for Reward

(b)

अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 2.45 करोड़) - पुरस्कार (₹ 2.45 करोड़) 5. केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची (₹ 0.01 करोड़) - प्रस्कार के लिए (₹ 0.01 करोड़) 6. अखिल भारतीय संस्थानऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, म्ंबई (₹ 0.01 करोड़) - प्रस्कार के लिए (₹ 0.01 करोड़) 7. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती एस.के. अस्पताल (₹ 0.01 करोड़) के लिए -पुरस्कार (₹ 0.01 करोड़) 8. राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नई दिल्ली (₹ 0.05 करोड़) के लिए - प्रशिक्षण व्यय (₹ 0.01 करोड़) - अन्य के लिए किराया (₹ 0.04 करोड़) 9. हवाई अड्डा संगठन सहित बंदरगाह स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (₹ 0.06 करोड़) - अन्य राजस्व व्यय (₹ 0.06 करोड़) 10. राष्ट्रीय टी.बी. प्रशिक्षण संस्थान, बेंगलुरु (₹ 0.01 करोड़) - पुरस्कार के लिए (₹ 0.01 करोड़) 11. केंद्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनु संधान संस्थान, चेंगलपट्सू (₹ 0.01 करोड़) - पुरस्कार के लिए (₹ 0.01 करोड़) 12. क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनु संधान संस्थान, रायप्र (₹ 0.01 करोड़) - प्रस्कार के लिए(₹ 0.01 करोड़) 13. क्षेत्रीय क्ष प्रशिक्षण और अनु संधान संस्थान, गौरीप्र (₹ 0.01 करोड़) - प्रस्कार के लिए (₹ 0.01 करोड) 14. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र) , दिल्ली (₹ 0.01 करोड़) - प्रस्कार के लिए(₹ 0.01 करोड़) 15. प्रधान मंत्री आय्ष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएमएबीएचआईएम) (₹ 2.80 करोड़) - छोटे सिविल और इलेक्ट्रिक कार्यों के लिए (₹ 2.80 करोड़) 16. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (₹ 0.03 करोड़) - ईंधन और स्नेहक (₹ 0.03 करोड़) 17. बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई (₹ 0.01 करोड़) -प्रस्कार के लिए(₹ 0.01 करोड़) 18. केंद्रीय अन् संधान संस्थान, कसौली (₹ 0.20 करोड़) - पुरस्कार के लिए (₹ 0.20 करोड़) 19. इंस्टीट्यूट ऑफ सेरोलॉजी, कोलकाता (₹ 0.01 करोड़) - पुरस्कार के लिए (₹ 0.01 करोड़) 20. अखिल भारतीय स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (₹ 0.51 करोड़) - पुरस्कार के लिए(₹ 0.01 करोड़) - एसएपी - अन्य राजस्व व्यय (₹ 0.50 करोड़) 21. बाल देखभाल प्रशिक्षण केंद्र, सिंग्र (₹ 0.01 करोड़) -प्रस्कार के लिए (₹ 0.01 करोड़) 22. केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, एन. दिल्ली (₹ 0.01 करोड़) - पुरस्कार के लिए (₹ 0.01 करोड़) 23. ट्रॉमा सेंटरों के लिए क्षमता निर्माण के लिए सहायता (₹ 0.10 करोड) - प्रशिक्षण व्यय (₹ 0.10 करोड़) 24. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य स्रक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) - (ईएपी) (₹ 15.00 करोड) - व्यावसायिक सेवाओं के लिए (₹ 15.00 करोड) ।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(i) एनआरएचएम (* 37.99 करोड़) के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए दिशा-निर्देश और प्रशासन के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (* 37.99 करोड़)

(ख)

(ग)

(ii) 1. बुनियादी ढांचे के रखरखाव के संबंध में सहायता अनुदान के अलावा अतिरिक्त व्यय (₹ 12.25 करोड़) को पूरा करने के लिए - विधायिका के बिना केंद्रशासित प्रदेश (₹ 10.75 करोड़) - पुरस्कार (₹ 0.05 करोड़) - भता (₹ 10.60 करोड़) - अवकाश यात्रा रियायत (₹0.08 करोड़) - प्रशिक्षण व्यय (0.02 करोड़) 2. पीएम-एबीएचआईएम का राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन - व्यावसायिक सेवाओं के लिए (₹ 1.50 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(i) 1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान (६ 526.46 करोड़)।आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन (६ 400.00 करोड़) 2. आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत - (६2.86 करोड़) - सामान्य घटक के लिए - १ 1.92 करोड़ - एससी घटक के लिए - १ 0.35 करोड़ 3. अवसंरचना का रखरखाव (१ 38.30 करोड़) - सामान्य घटक के लिए १ 8.10 करोड़ - एसटी घटक के लिए १ 8.10

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(घ) (i) सामान्य सहायता अनुदान - 1. एफडब्ल्यू-इंफ्रास्ट्रक्चर रखरखाव के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (45.29 करोड़ रुपये) जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के तहत - प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के लिए - (इ 12.28 करोड़) 2. आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए लचीला पूल - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के तहत - प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के लिए - (इ 33.01 करोड़)।

(₹ 0.29 Crore) - Digital Equipment (₹ 1.89 Crore) - Repair and Maintenance (₹ 0.16 Crore) 4. Safdarjung Hospital, New Delhi (₹ 2.45 Crore) for - Rewards (₹ 2.45 Crore) 5. Central Institute of Psychiatry, Ranchi (₹ 0.01 Crore) for - Rewards (₹ 0.01 Crore) 6. All India Inst. of Physical Medicine & Rehabilitation, Mumbai (₹ 0.01 Crore) for - Rewards (₹ 0.01 Crore) 7. Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital (₹ 0.01 Crore) for - Rewards (₹ 0.01 Crore) 8. Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi (₹ 0.05 Crore) for - Training Expenses (₹ 0.01 Crore) - Rent for others (₹ 0.04 Crore) 9. Port Health Establishment including Airport Organisation (∓ 0.06 Crore) for - Other revenue Expenditure (₹ 0.06 Crore) 10. National T.B. Training Institute, Bengaluru (₹ 0.01 Crore) for - Rewards (₹ 0.01 Crore) 11. Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu (₹ 0.01 Crore) for -Rewards ($\ \ 0.01 \ \ Crore)$ 12. Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur (₹ 0.01 Crore) for - Rewards (₹ 0.01 Crore) 13. Regional Leprosy Training and Research Institute, Gauripur (₹ 0.01 Crore) for - Rewards (₹ 0.01 Crore) 14. National Institute of Communicable Diseases (National Centre for Disease Control), Delhi (₹ 0.01 Crore) for - Rewards (₹ 0.01 Crore) 15. Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PMABHIM) (₹ 2.80 Crore) for - Minor Civil and Electric Works (₹ 2.80 Crore) 16. Central Drugs Standards Control Orgnisation (₹ 0.03 Crore) for - Fuels and lubricants (₹ 0.03 Crore) 17. B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai (₹ 0.01 Crore) for - Rewards (₹ 0.01 Crore) 18. Central Research Institute, Kasauli (₹ 0.20 Crore) for - Rewards (₹ 0.20 Crore) 19. Institute of Serology, Kolkata (₹ 0.01 Crore) for - Rewards (₹ 0.01 Crore) 20. All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata (₹ 0.51 Crore) for -Rewards (₹ 0.01 Crore) - SAP - Other Revenue Expenditure (₹ 0.50 Crore) 21. Child Care Training Centre, Singur (₹ 0.01 Crore) for - Rewards (₹ 0.01 Crore) 22. Central Health Education Bureau, N. Delhi (₹ 0.01 Crore) for - Rewards (₹ 0.01 Crore) 23. Assistance for Capacity Building for Trauma Centres (₹ 0.10 Crore) for - Training Expenses (₹ 0.10 Crore) 24. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) - (EAP) (₹ 15.00 Crore) for -Professional Services (₹ 15.00 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants in aid General for meeting additional requirement (₹ 37.99 crore) under Direction and Administration- for Strengthening National Programme Management of the NRHM (₹ 37.99 crore)

(ii) For meeting additional expenditure (₹ 12.25 crore) other than Grants-in-aid in respect of 1. Infrastructure Maintenance – UTs without legislature (₹ 10.75 crore) for - Rewards (₹ 0.05 Crore) - Allowance (₹ 10.60 Crore) - Leave Travel Concession (₹ 0.08 crore) - Training Expenses (0.02 crore) 2. National Programme Management of the PM-ABHIM – for Professional Services (₹ 1.50 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants in aid General for meeting additional requirement (₹ 526.46 crore) under 1. RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission (₹ 400.00 Crore) 2. Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) – National Health Authority (₹ 2.86 crore) – for General component – ₹ 1.92 crore – for SC component – ₹ 0.59 crore – for ST component – ₹ 0.35 crore 3. Infrastructure Maintenance (₹ 38.30 crore) – ₹ 8.10 crore for General component – ₹ 30.20 crore for ST component 4. Strengthening of Health Infrastructure in the State – EAP –(PM-ABHIM) (₹ 85.30 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grant in Aid General - for meeting additional requirement (₹ 45.29 Crore) for 1. FW-Infrastructure Maintenance - under Tribal Area Sub Plan - for Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) - (₹ 12.28 crore) 2. Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission - under Tribal Area Sub Plan - for Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) - (₹ 33.01 crore).

(ii) प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान के लिए जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के तहत आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुद्दीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए लचीले पूल के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (* 3.83 करोड़) को पूरा करने के लिए पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (पीएम-जनमन)- (*3.83 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

- (ङ) अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 1.27 करोड़) 1. पोर्ट हेल्थ अथॉरिटी (₹ 1.17 करोड़) के लिए - मोटर वाहन (₹ 1.17 करोड़) 2. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 0.10 करोड़) के लिए - आईसीटी उपकरण (₹ 0.10 करोड़)
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (च) (i) क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालयों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.01 करोड़) को पूरा करने के लिए फर्नीचर और फिक्स्चर (₹ 0.01 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ii) Grants for creation of Capital Assets for meeting additional requirement (₹ 3.83 Crore) for Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission – under Tribal Area Sub Plan - for Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) – (₹ 3.83 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

For meeting the additional requirement (1.27 crore) for 1. Port Health Authority (1.17 crore) for - Motor Vehicle (1.17 Crore) 2. Safdarjung Hospital, New Delhi (0.10 Crore) for - ICT Equipment (0.10 Crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) For meeting the additional requirement (₹ 0.01 crore) for Regional Health Offices for- Furniture & Fixture (₹ 0.01 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 48

भारी उदयोग विभाग

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 61 देखिये) (See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 61 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

Bomando for Granto for the year 2	,			(₹ करोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	্যার ভার
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		6145.32	6145.32
पूंजी	Capital		26.31	26.31
जोड़	Total		6171.63	6171.63
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		244.01	244.01
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total	•••	244.02	244.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.20	0.20
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.20	0.20
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		6415.85	6415.85
राजस्व	Revenue		6389.53	6389.53
पूंजी	Capital		26.32	26.32
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for und		Head	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
- 3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		0.19	(क a) 0.19
2852-उद्योग	2852-Industries		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	···	0.20	0.20

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) सचिवालय-आर्थिक सेवाओं के तहत कार्यालय व्यय (1.92 करोड़ रुपये)

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध 0.19 करोड़ रुपये की राशि की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग के भीतर 1.73 करोड़ रुपये की बचतों के उपयोग के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यम को सहायता के तहत सामान्य सहायता अनुदान (8.24 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

(a) Office Expenses (₹ 1.92 crore) under Secretariat- Economic Services

Taking into account the surrender of savings amounting to $\stackrel{?}{_{\sim}}$ 0.19 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings $\stackrel{?}{_{\sim}}$ 1.73 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

Grant in Aid General (₹ 8.24 crore) under Support to Central Public Sector Enterprises.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 49

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिये) (See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 62 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड Charged Voted Total I. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 5472.44 5472.44 पूंजी Capital 428.87 428.87 जोड़ 5901.31 5901.31 Total SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: राजस्व 0.08 0.08 Revenue पूंजी Capital 243.77 243.77 ... जोड Total 243.85 243.85 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 0.02 0.02 Revenue पूंजी Capital 7 63 7 63 जोड Total 7.65 7.65 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 6152.81 6152.81 राजस्व Revenue 5472.54 5472.54 पूंजी Capital 680.27 680.27 II. इस पुरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head जॊड भारित स्वीकृत Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION MAJOR HEAD मुख्य शीर्ष 3053-नागर विमानन 3053-Civil Aviation 0.01 (**क**a) 0.01 3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी 3454-Census Surveys and Statistics 0.01 0.01 (खb) जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.02 0.02 पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 4070-Capital Outlay on Other Administrative 5.00 (गc) 5.00 Services 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए पूंजीगत 5475-Capital Outlay on Other General Economic 2.63 2.63 परिव्यय Services जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 7.63 7.63 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 7.65 7.65 यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: हैलीकॉप्टर सेवाओं के लिए सब्सिडी (4.20 करोड़ रुपये)। (क) Subsidies for Helicopter services (₹4.20 crore). अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हू ए सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of मांगा जाता है। the Grant, a token supplementary is sought. सामान्य सहायता अनुदान के तहत असम में एनआरसी संबंधित गतिविधियां NRC related activities in Assam under GiA General (₹ 23.27 crore). (ख) (b) (23.27 करोड रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हू ए सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of मांगा जाता है। the Grant, a token supplementary is sought. आईसीटी (5 करोड रुपये)। ICT (₹ 5 crores). (ग) (c) अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए Taking into account the surrender of savings available in the उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo; भूमि की खरीद के लिए सिक्किम सरकार को भुगतान करना (ঘ) making payment to Government of Sikkim towards purchase of (2.63 करोड़ रुपये)। land (₹2.63 crore). अन्दान के राजस्व/भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए, Taking into account the surrender of savings available in the उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo

मांग संख्या DEMAND NO 50

मंत्रिमंडल

CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 64 देखिये) (See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 64 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जॊड Charged Voted Total I. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 969.18 969.18 पूंजी Capital 289.50 289.50 जोड़ 1258.68 1258.68 Total SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: राजस्व 44.08 44.08 Revenue पूंजी Capital 40.00 40.00 जोड Total 84.08 84.08 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 238.41 238.41 पूंजी Capital 221.84 221.84 जोड Total 460.25 460.25 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 1803.01 1803.01 1251.67 राजस्व 1251.67 Revenue पूंजी 551.34 551.34 Capital II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2013-मंत्रि परिषद 2013-Council of Ministers 238.41 238.41 (कa) पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 4070-Capital Outlay on Other Administrative Services 221.84 (खb) 221.84 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 460.25 460.25 यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: अन्य राजस्व व्यय के तहत विशेष अतिरिकृत सत्र उड़ान संचालन (क) (a) Special Extra Session Flight Operations under Other Revenue (238.41 करोड़ रूपये) Expenditure (₹ 238.41 crore). उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा। The above expenditure will entail a cash outgo अन्य पूंजीगत व्यय के तहत विशेष अतिरिक्त सत्र उड़ान संचालन (ख) (b) Special Extra Session Flight Operations under Other Capital (221.84) करोड़ रूपये) Expenditure (₹ 221.84 cr). उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा। The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 51

पुलिस POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 65 देखिये) (See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 65 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

Demands for Grants for the year 20	023-2024)				
				(₹ करोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	7.69	117774.96	1	117782.65
पूंजी	Capital	5.57	11839.30		11844.87
जोड़	Total	<i>13.26</i>	129614.26	1	129627.52
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue	4.09	0.02		4.11
पूंजी	Capital	0.90	0.01		0.91
जोड़	Total	4.99	0.03		5.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now				
	required:				
राजस्व	Revenue	0.72	439.09		439.81
पूंजी	Capital		0.01		0.01
जोड़	Total	0.72	439.10		439.82
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	18.97	130053.39		130072.36
राजस्व	Revenue	12.50	118214.07	1	118226.57
पूंजी	Capital	6.47	11839.32		11845.79
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीष	र् ों के अंतर्गत दिखाया जा	येगा:		
	II. This Supplementary Grants/Appropriations wi	Il be accounted for ur		or Heads:	
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2055-पुलिस	2055-Police	0.72	(कa) 439.08	(खb)	439.80
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता	3602-Grants-in-aid to Union Territory		0.01	(गc)	0.01
अनुदान	Governments				
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.72	439.09		439.81
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4055-पुलिस पर प्ंजीगत परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police		0.01	(ঘd)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.72	439.10		439.82

यह पूरक अनुदाने विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(ख)

(क) आईटीबीपी के तहत अन्य राजस्व व्यय (0.72 करोड़ रुपये)।
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए,
उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।

भते (2740 करोड़ रुपये), वेतन (700.00 करोड़ रूपये), घरेलू यात्रा व्यय (342.15 करोड़ रूपये), ईंधन एवं स्नेहक (100.00 करोड़ रूपये), पूंजीगत आस्तियों केनिर्माण के लिए अनुदान (72.11 करोड़ रूपये) एलपीएआई और पुलिस बल के आधुनिकरण के लिए (2.11 करोड़ रूपये), एलपीएआइ के लिए सामान्य सहायता अनुदान (10.00 करोड़ रूपये), कार्यालय व्यय (150.00 करोड़ रूपये), अन्य राजस्व व्यय (100.00 करोड़ रूपये), लघु सिविल एवं विद्युत कार्य (100.00 करोड़ रूपये), पेशेवर सेवाएं (150.00 करोड़ रूपये) और अन्य किराया (233.60 करोड़ रूपये)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए और अनुदान के इसी भाग के भीतर बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

(ग) एसआरई (जम्मू कश्मीर) के अंतर्गत (235.40 करोड़ रूपये) और जम्मू कश्मीर (आर एण्ड आर) (416.19 करोड़ रूपये) सामान्य सहायता अनुदान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) Other Revenue Expenditure under ITBP (₹ 0.72 Crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

Allowances (₹ 2740 Crore), Salaries (₹ 700.00 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 342.15 crore), Fuel and Lubricants (₹ 100.00 Crore), Grants for creation of Capital Assets (₹ 72.11 Crore) for LPAI and Modernization of Police forces (₹ 2.11 crore), Grants in Aid General for LPAI (₹ 10.00 Crore), Office Expenses (₹ 150.00 crore), Other Revenue Expenditure (₹ 100.00 crore), Minor Civil and Electrical Works (₹ 100.000 crore), Professional Services (₹ 150.00 crore) and Rent for other (₹ 233.60 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

Grants-in-aid-General under SRE (J&K) (₹ 235.40 crore) and J&K (R&R) (₹ 416.19 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. (घ) भवन एवं संरचनाएं (161.50 करोड़ रूपये), फर्नीचर एवं फिक्सचर (32.00 करोड़ रूपये), सूचना, कम्प्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) (200.00 करोड़ रूपये), ढांचागत आस्तियां (5.00 करोड़ रूपये), भूमि (220 करोड़ रूपये), मशीनरी एवं उपस्कर (200.45 करोड़ रूपये), अन्य पूंजी व्यय (25.00 करोड़ रूपये) और अन्य अचल आस्तियां (1.00 करोड़ रूपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। Buildings and Structures (₹ 161.50 Crore), Furnitures & Fixtures (₹ 32.00 Crore), Information, Computer, Telecommunication (ICT) (₹ 200.00 Crore), Infrastructural Assets (₹ 5.00 Crore), Land (₹ 220.00 Crore), Machinery & Equipments (₹ 200.45 crore), Other capital expenditure (₹ 25.00 crore) and Other fixed assets (₹ 1.00 crore) .

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 52

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 67 देखिये) (See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 67 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

Demands for Grants for the year 202	23-2024)			(₹ குரੋਟ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	((4/(15	जोड जोड
		Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	0.01	5541.95		5541.96
पूंजी	Capital		505.18		505.18
जोड	Total	0.01	6047.13		6047.14
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		6.75		6.75
पूंजी	Capital		46.14		46.14
जोड़	Total		52.89		52.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:	•••	02.00		02.00
राजस्व	Revenue		0.16		0.16
पूंजी	Capital		0.19		0.19
जोड	Total	•••	0.35		0.35
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	6100.37		6100.38
राजस्व	Revenue	0.01	5548.86		5548.87
पूंजी	Capital		551.51		551.51
Kon .	•		331.31		331.31
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत		or Hood		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under t	ne iollowing iviajo <i>भारित</i>	ग ⊓ead स्वीकृत		ਗੋੜ
		न।।रत Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	Criaryeu	Voted		Iolai
मृख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		0.01	(कa)	0.01
2055-पुलिस	2055-Police		0.01	(खb)	0.01
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services		0.01	(गc)	0.01
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education		0.01	(घd)	0.01
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	***	0.01	(ਤe)	0.01
2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation	***	0.01	(चf)	0.01
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development		0.01	(<mark>ড</mark> g)	0.01
2225-अनु सूचित जाति, अनु सूचित जनजाति,	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes,		0.01	(जh)	0.01
अन्य पिछड़े वर्गी और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Other Backward Classes and Minorities			,	
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	•••	0.01	(झi)	0.01
2405-मत्स्य पालन	2405-Fisheries		0.01	(टj)	0.01
2406-वानिकी और वन्य जीवन	2406-Forestry and Wild Life	•••	0.01	(ठk)	0.01
2425-सहकारिता	2425-Co-operation		0.01	(롱)	0.01
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes		0.01	(ढm)	0.01
2702-लघु सिंचाई	2702-Minor Irrigation		0.01	(णn)	0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries		0.01	(त०)	0.01
3054-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges		0.01	(थ p)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.16		0.16
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4055-पुलिस पर प्जीगत परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police		0.01	(दq)	0.01
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	***	0.01	(धr)	0.01
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर प्र्जीगत परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services		0.01	(नs)	0.01
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and		0.01	(पt)	0.01
परिव्यय	Culture			, ,	
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	•••	0.01	(फu)	0.01
4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत	4215-Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	***	0.01	(ৰv)	0.01
परिट्यय	4217 Capital Outlay on Linhan Davidannant		0.04	(97)	0.01
4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	4217-Capital Outlay on Urban Development		0.01	(HW)	0.01
4225-अनु सूचित जाति, अनु सूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण	4225-Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes,		0.01	(ਸx)	0.01
जन्य १४७६ वर्गा जार जल्पसंख्यका के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Scheduled Tribes , Other Backward Classes and Minorities				
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत	4250-Capital Outlay on other Social Services		0.01	(١٠/١٦)	0.01
४२५०-जन्य सामाजिक संपाजा पर पूजागत परिट्यय	4200 Dapital Outlay of Other Doular Dervices		0.01	(यy)	0.01

4405-मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	4405-Capital Outlay on Fisheries		0.01	(₹z)	0.01
4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत	4406-Capital Outlay on Forestry and Wild Life		0.01	(क1A1)	0.01
परिव्यय					
4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	4425-Capital Outlay on Co-operation		0.01	(ख1B1)	0.01
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत	4515-Capital Outlay on Other Rural Development		0.01	(ग1C1)	0.01
परिव्यय	Programmes				
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत	4711-Capital Outlay on Flood Control Projects		0.01	(घ1D1)	0.01
परिव्यय					
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects	***	0.01	(ङ1E1)	0.01
4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries		0.01	(च1F1)	0.01
5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	5053-Capital Outlay on Civil Aviation		0.01	(छ1G1)	0.01
5054-सड़क और पुलों के लिए पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges		0.01	(ज1H1)	0.01
5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	5452-Capital Outlay on Tourism		0.01	(झ1 I1)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		0.19		0.19
जोड़ (प्रक)	Total (Supplementary)		0.35		0.35

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(朝)

(조)

(ठ)

(क) यह पूरक अनुदान निम्निलिखित हेतु अपेक्षित हैं: (क) ईईएसएल, एएनआईआईडीसीओ आदि वाहनों के किराए के भुगतान (2.12 करोड़ रुपये) और सरकारी विदेशी दौरे (0.02 करोड़ रुपये) के व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) मोटर वाहनों की मरम्मत और अनुरक्षण (1.08 करोड़ रुपये) से संबंधित व्यय को पूरा करना अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

 (ग) सरकारी विदेशी दौरे से संबंधित व्यय को पूरा करना (0.01 करोड़ रुपये) ।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(घ) कॉलेज बस की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए व्यय (0.01 करोड़ रुपये), नियमित कर्मचारियों के वेतन को पूरा करने के लिए भते (1.30 करोड़ रुपये), नेताजी सुभाष चंद्र बोस उच्च शिक्षा संस्थान (एनएससीबीआईएचएल) सम विश्वविद्यालय (0.50 करोड़ रुपये) से संबंधित पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान, वेतन सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय (4.16 करोड़ रुपये) को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ङ) वेतन सहायता अनुदान(0.04 करोड़ रुपये), सामान्य सहायता अनुदान (4.29 (करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(च) सामान्य सहायता अनुदान (7.20 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(छ) वेतन सहायता अनुदान (8.00 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ज) सामान्य सामान्य अनुदान(3.32 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक

की मांग की जाती है।

डीआरएम के वेतन का भुगतान (2.91 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनुदान(0.10 करोड़ रुपये) के व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु एसांकेतिक पूरक

अनुदान के इसा भाग में उपलब्ध बंचत का ध्यान में रखत हु एसाकातक पूर्क की मांग की जाती है।

सामान्य सहायता अनुदान (0.40 करोड़ रुपये) और सरकारी विदेशी दौरे (0.01 करोड़ रुपये) से संबंधित व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बंचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

लघु सिविल और विद्युत निर्माण कार्य (0.02 करोड़ रुपये) के अंतर्गत व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(इ) सब्सिडी हेतु अतिरिक्त व्यय (0.20 करोड़ रुपये) को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ढ) सामान्य सहायता अनुदान(5.83 करोड़ रुपये), वेतन सहायता अनुदान (2.00 (करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure towards payment of hiring charges of vehicles of EESL, ANIIDCO etc. (₹ 2.12 crore) and official foreign tour (₹ 0.02 crore).

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards repair & maintenance of motor vehicles (₹ 1.08 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) meeting expenditure on official foreign tour (₹ 0.01 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards repair & maintenance of college bus (₹ 0.01 crore), allowances to meet salary of regular staffs (₹ 1.30 crore), grants for creation of capital assets in respect of Netaji Subhash Chandra Bose Institute of Higher learning (NSCBIHL) deemed-to-be-University (₹ 0.50 crore), additional expenditure towards Grant-in-Aid Salaries (₹ 4.16 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Grant-in-Aid Salaries (\mathfrak{T} 0.04 crore) and Grant-in-Aid General (\mathfrak{T} 4.29 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Grant-in-Aid General ($ext{ ($7.20 crore)}$).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Grant-in-Aid Salaries (\mathfrak{F} 8.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Grant-in-Aid General

Taking into account the savings available in the same section of

the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards payment of wages to DRMs

(₹ 2.91 crore) and Grant-in-Aid Salaries (₹ 0.10 crore). Taking into account the savings available in the same section of

the Grant, a token supplementary is sought. meeting expenditure under Grant-in-Aid General (\ref{total} 0.40 crore) and official foreign tour (\ref{total} 0.01 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure under Minor Civil and Electrical Works (₹ 0.02 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards subsidies (₹ 0.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Grant-in-Aid General (₹ 5.83 crore) and Grant-in-Aid Salaries (₹ 2.00 crore).

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ण)	सब्सिडी के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.20 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु एसांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(n)	meeting additional expenditure towards subsidies (₹ 0.20 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(त)	सामान्य सहायता अनुदान (0.11 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना	(0)	meeting additional expenditure towards Grant-in-Aid General (₹ 0.11 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(থ)	पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय को पूरा करना (2.06 करोड़ रुपये)।	(p)	meeting expenditure towards Grant for creation of Capital Assets (₹ 2.06 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(द)	सौर इन्वर्टर, सौर पैनलों की खरीद और स्थापना शुल्क और पुलिस समुद्री बल नौकाओं, डोंगी आदि की खरीद के लिए व्यय को पूरा करना (0.50 करोड़ रुपये)।	(q)	meeting expenditure towards purchase and installation charges of solar inverter, solar panels and purchase of police marine force boats, dinghies etc. (₹ 0.50 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(법)	भवनों और संरचनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.10 करोड़ रुपये)।	(r)	meeting additional expenditure towards buildings and structures ($\stackrel{?}{ \sim} 0.10 \text{ crore}$).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(न)	रूफटॉप सौर पैनलों की स्थापना (0.50 करोड़ रुपये), मशीनरी और उपकरण (0.05 करोड़ रुपये), भवन और संरचनाएं (1.94 करोड़ रुपये), आईसीटी उपकरण (0.13 करोड़ रुपये) हेतु व्यय को पूरा करना।	(s)	meeting expenditure towards purchase and installation of rooftop solar panels ($₹$ 0.50 crore), machinery & equipment ($₹$ 0.05 crore), buildings & structures ($₹$ 1.94 crore) and ICT equipment ($₹$ 0.13 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु एसांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(Y)	कंप्यूटर उपकरण (0.16 करोड़ रुपये), फर्नीचर और फिक्स्चर (0.05 करोड़ रुपये), मशीनरी और उपकरण (0.50 करोड़ रुपये), भवन और संरचनाएं (6.32 करोड़ रुपये), आईसीटी उपकरण (0.55 करोड़ रुपये), फर्नीचर और फिक्स्चर	(t)	meeting expenditure towards purchase of computer equipments ($\stackrel{?}{{\sim}}$ 0.16 crore), furnitures & fixtures ($\stackrel{?}{{\sim}}$ 0.05 crore), machinery & equipments ($\stackrel{?}{{\sim}}$ 0.50 crore), buildings & structures ($\stackrel{?}{{\sim}}$ 6.32 crore),
	(0.46 करोड़ रुपये), अन्य अचल आस्तियों (0.47 करोड़ रुपये) की खरीद के लिए व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु एसांकेतिक पूरक		ICT equipments (₹ 0.55 crore), furnitures & fixtures (₹ 0.46 crore) and other fixed assets (₹ 0.47 crore). Taking into account the savings available in the same section of
(फ)	की मांग की जाती है। भवनों और संरचनाओं हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (1.78 करोड़ रुपये)।	(u)	the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure towards buildings and structures
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		(₹ 1.78 crore). Taking into account the savings available in the same section of
(ৰ)	अवसंरचनागत आस्तियों (0.80 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(v)	the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure towards Infrastructural assets (₹ 0.80 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(원)	अवसंरचनागत आस्तियों (0.60 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(w)	meeting additional expenditure towards Infrastructural assets (₹ 0.60 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(म)	भवन और संरचनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.01 करोड़ रुपये)।	(x)	meeting additional expenditure towards buildings and structures ($\stackrel{?}{\scriptstyle \sim}$ 0.01 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु एसांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(य)	मोटर वाहनों (0.01 करोड़ रुपये) और भवनों और संरचनाओं (2.64 करोड़ रुपये) की खरीद के लिए व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुएसांकेतिक पूरक	(y)	meeting expenditure towards purchase of motor vehicles (₹ 0.01 crore) and buildings & structures (₹ 2.64 crore). Taking into account the savings available in the same section of
(T)	की मांग की जाती है।	(-)	the Grant, a token supplementary is sought.
(₹)	भवनों और संरचनाओं के लिए व्यय (0.29 करोड़ रुपये) हेतु व्यय को पूरा करना।	(z)	meeting expenditure towards buildings & structures (₹ 0.29 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु एसांकेतिक प्रक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(क1)	मशीनरी और उपकरणों (0.04 करोड़ रुपये) भवनों और संरचनाओं (2.28 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु एसांकेतिक पूरक	(A1)	meeting additional expenditure towards machinery & equipment (₹ 0.04 crore) and buildings & structures (₹ 2.28 crore). Taking into account the savings available in the same section of
(1 214)	की मांग की जाती है।	(B4)	the Grant, a token supplementary is sought.
(ख1)	निवेश हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.15 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु एसांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(B1)	meeting additional expenditure towards investment (₹ 0.15 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग1)	मोटर वाहनों (0.15 करोड़ रुपये) और भवनों और संरचनाओं (1.05 करोड़ रुपये) की खरीद हेतु व्यय को पूरा करना।	(C1)	meeting expenditure towards purchase of motor vehicles ($₹$ 0.15 crore) and buildings & structures ($₹$ 1.05 crore).

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक		Taking into account the savings available in the same section of
	की मांग की जाती है।		the Grant, a token supplementary is sought.
घ1)	अवसंरचनागत अस्तियों हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.73 करोड़ रुपये)।	(D1)	meeting additional expenditure towards infrastructural assets ($ \ref{ 0.73 crore} $).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ਝ1)	भवनों और संरचनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.65 करोड़ रुपये)	(E1)	meeting additional expenditure towards buildings and structures (\mathfrak{T} 0.65 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ਬ1)	नए उप-शीर्ष भवन के अंतर्गत नए वस्तु शीर्ष भवनों और संरचनाओं को खोलने के लिए व्यय को पूरा करना (0.05 करोड़ रुपये) और भवन निर्माण उप-शीर्ष के अंतर्गत भवनों और संरचनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.43 करोड़ रुपये)।	(F1)	meeting expenditure for opening of new object head buildings & structures under sub-head building ($ \mathfrak{T} $ 0.05 crore) and additional expenditure towards buildings & structures under sub-head construction of buildings ($ \mathfrak{T} $ 0.43 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
ত্ত 1)	अवसंरचनागत आस्त्तियों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (1.50 करोड़ रुपये)	(G1)	meeting additional expenditure towards infrastructural assets ($\stackrel{\scriptstyle \star}{}$ 1.50 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज1)	अवसंरचनागत आस्त्तियों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (6.38 करोड़ रुपये)।	(H1)	meeting additional expenditure towards infrastructural assets (₹ 6.38 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु एसांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(झ1)	कंप्यूटरों की खरीद के लिए व्यय को पूरा करना (0.20 करोड़ रुपये)।	(11)	meeting expenditure towards procurement of computers (₹ 0.20 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु एसांकेतिक प्रूक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 53

चंडीगढ

CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 71 देखिये) (See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 71 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

Demands for Grants for the year 20	23-2024)				
				(₹ करोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	444.81	4920.26		5365.07
पूंजी	Capital	50.00	672.03		722.03
जोड़	Total	494.81	5592.29		6087.10
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue	66.55	556.80		623.35
पूंजी	Capital		40.09		40.09
जोड़	Total	66.55	596.89		663.44
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		27.00		27.00
पूंजी	Capital				***
जोड़	Total	•••	27.00		27.00
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>561.36</i>	6216.18		6777.54
राजस्व	Revenue	<i>511.36</i>	5504.06		6015.42
पूंजी	Capital	50.00	712.12		762.12
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	ति दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unde	er the following Major I	Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice		4.16	(कa)	4.16
2015-चुनाव	2015-Elections		2.10	(खb)	2.10
2053-जिला प्रशासन	2053-District Administration		2.40	(गc)	2.40
2059-लोक निर्माण कार्य	2059-Public Works		3.98	(घd)	3.98
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		11.04	(ਝe)	11.04
3055-सड़क परिवहन	3055-Road Transport		3.32	(चf)	3.32
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		27.00		27.00

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) आउटसोर्सड स्टॉफ की मजदूरी के भुगतान और सेवानिवृत्त न्यायाधीशाँ, न्यायिक अधिकारियों और उच्च न्यायालय के पदधारियों के मेडिकल दावों की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (4.16 करोड़ रुपये)

> अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए, . उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा

(ख) चुनाव प्रभारों के संबंध में लंबित बिलों के भुगतान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (2.10 करोड़ रुपये)

> अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए, , उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा

(ग) अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों और अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरों के लिए वाहन किराए पर लेने के भुगतान, बूथ स्तर के अधिकारियों के भुगतान और राज्य के समारोह के आयोजन के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (2.40 करोड़ रुपये)

अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए, , उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा

(घ) ई-ऑफिस मॉडयूल के कार्यान्वयन हेतु हाईवेयर की खरीद और जीईएम के माध्यम से केंद्रीय स्टोर में सीमेंट, इस्पात और निर्माण सामग्री की खरीद के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (3.98 करोड़ रुपये) अनुदान के राजस्व/प्ंजी अनुभाग में उपलब्ध बचत के समर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा

The supplementary Grants are required for:

meeting additional expenditure for the payment of wages to the outsourced staff and the reimbursement of medical claims of Retired Judges, Judicial officers and officials of High Court (₹ 4.16 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

meeting additional expenditure for the pending payment of bills in respect of Election Charges (₹ 2.10 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

meeting additional expenditure for payment of hiring the vehicles for VVIP and VIP visits, payment to Booth Level officers and for organizing state functions (₹ 2.40 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

meeting additional expenditure for procurement of hardware for the implementation of e-office module and procurement of cement, steel and building material in the Central Store through GeM (₹ 3.98 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

(इ) सरकारी बहु-विशेषज्ञता अस्पताल में एबी-पीएमजेएवाई के तहत आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों, डिलिवरी किट, वैक्सीन और सर्जिकल मदों की खरीद और पैनल में शामिल अस्पतालों को प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान तथा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय की पुरानी मशीनों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (11.04 करोड़ रुपये)।

> अनुदान के पूजीगत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए, , उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा

(च) बसों के पुर्जों के मूल्यों में वृद्धि के कारण और बसों के बेड़े में वृद्धि के लिए परिवहन विभाग के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (3.32 करोड़ रुपये)

> अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए, , उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा

meeting additional expenditure for purchase of essential life savings drugs, delivery kits, vaccine and surgical items and for claim re-imbursements to the empanelled hospitals under AB-PMJAY in Government Multispeciality Hospital and for repair and maintenance of old machinery of the Government Medical College (₹ 11.04 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

meeting additional expenditure for Transport Department due to hike in prices of spare parts of buses and increase of bus fleet (₹ 3.32 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 55

लद्दाख

LADAKH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 78 देखिये) (See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 78 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		गर्दा∪ जोड़ otal
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	Chargea	Vollog		ottai
जस्व	Revenue		2818.33	281	18.33
जी	Capital		3149.92		49.92
ो ड़	Total	•••	5968.25		68.25
रक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
उ जस्व	Revenue		0.04		0.04
जी	Capital		0.05		0.05
इ	Total		0.09		0.09
। समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
जस् व	Revenue		0.05		0.05
नी	Capital		0.02		0.02
इ	Total		0.07		0.07
इ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		5968.41	596	68.41
ज स् व	Revenue		2818.42	281	18.42
नी	Capital		3149.99	314	49.99
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हि II. This Supplementary Grants will be accounted for under th	ne following Major <i>भारित</i>	स्वीकृत		जोड़ otal
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ne following Major			जोड़ otal
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ne following Major <i>भारित</i>	स्वीकृत		•
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under th	ne following Major <i>भारित</i>	स्वीकृत		•
व्य शीर्ष 14-न्याय प्रशासन	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the REVENUE SECTION	ne following Major <i>भारित</i>	स्वीकृत		•
व्य शीर्ष 14-न्याय प्रशासन 05-कला और संस्कृति	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2014-Administration of Justice 2205-Art and Culture	ne following Major भारित <i>Charged</i>	स्वीकृत Voted 0.01 0.01	To	0.01 0.01
ड्य शीर्ष 14-न्याय प्रशासन 05-कला और संस्कृति 10-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2014-Administration of Justice 2205-Art and Culture 2210-Medical and Public Health	ne following Major <i>भारित</i> <i>Charged</i> 	स्वीकृत Voted 0.01	(কa) (खb) (गc)	0.01 0.01 0.01
त्य शीर्ष 14-न्याय प्रशासन 05-कला और संस्कृति 10-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 25-अनु स्चित जाति, अनुस्चित जनजाति, अन्य	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2014-Administration of Justice 2205-Art and Culture	ne following Major भारित Charged 	स्वीकृत Voted 0.01 0.01	T d (কa) (खb)	0.01 0.01
इ य शीर्ष 14-न्याय प्रशासन 05-कला और संस्कृति 10-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 25-अनु सूचित जाति, अनु सूचित जनजाति, अन्य छड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2014-Administration of Justice 2205-Art and Culture 2210-Medical and Public Health 2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes,	ne following Major #ਸਿरਿਜ Charged 	स्वीकृत Voted 0.01 0.01 0.01	(কa) (खb) (गc)	0.01 0.01 0.01
इ य शीर्ष 14-न्याय प्रशासन 05-कला और संस्कृति 10-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 25-अनु सूचित जाति, अनु सूचित जनजाति, अन्य छड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण 03-पशु पालन	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2014-Administration of Justice 2205-Art and Culture 2210-Medical and Public Health 2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities 2403-Animal Husbandry	ne following Major #πRत Charged 	स्वीकृत Voted 0.01 0.01 0.01 0.01	(কa) (खb) (गc) (ঘd)	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
इय शीर्ष 14-न्याय प्रशासन 05-कला और संस्कृति 10-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 25-अनु सूचित जाति, अनु सूचित जनजाति, अन्य छड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण 03-पशु पालन इ (राजस्व भाग)	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2014-Administration of Justice 2205-Art and Culture 2210-Medical and Public Health 2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	ne following Major #πRत Charged 	स्वीकृत Voted 0.01 0.01 0.01 0.01	(কa) (खb) (गc) (ঘd)	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ड्य शीर्ष 114-न्याय प्रशासन 105-कला और संस्कृति 1:10-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 1:25-अनु सूचित जाति, अनु सूचित जनजाति, अन्य छड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण 0:3-पशु पालन इ (राजस्व भाग)	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2014-Administration of Justice 2205-Art and Culture 2210-Medical and Public Health 2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities 2403-Animal Husbandry Total (Revenue Section)	ne following Major #πRत Charged 	स्वीकृत Voted 0.01 0.01 0.01 0.01	(কa) (खb) (गc) (ঘd)	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
इय शीर्ष 14-न्याय प्रशासन 05-कला और संस्कृति 10-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 25-अनु सूचित जाति, अनु सूचित जनजाति, अन्य छड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण 03-पशु पालन इ (राजस्व भाग) जी भाग इय शीर्ष	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2014-Administration of Justice 2205-Art and Culture 2210-Medical and Public Health 2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities 2403-Animal Husbandry Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION	ne following Major #πRत Charged 	स्वीकृत Voted 0.01 0.01 0.01 0.01	(কa) (खb) (गc) (ঘd)	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
इय शीर्ष 14-न्याय प्रशासन 05-कला और संस्कृति 10-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 25-अनु स्चित जाति, अनु स्चित जनजाति, अन्य छड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण 03-पशु पालन इ (राजस्व भाग) जी भाग इय शीर्ष 03-पशुपालन पर पूंजीगत परिच्यय	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2014-Administration of Justice 2205-Art and Culture 2210-Medical and Public Health 2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities 2403-Animal Husbandry Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD	ne following Major אוזרה Charged 	स्वीकृत Voted 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	(কa) (खb) (गc) (ঘd) (se)	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
इय शीर्ष 14-न्याय प्रशासन 05-कला और संस्कृति 10-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 25-अनु सूचित जाति, अनु सूचित जनजाति, अन्य छड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण 03-पशु पालन इ (राजस्व भाग) जी भाग इय शीर्ष 03-पशुपालन पर पूंजीगत परिच्यय 75-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2014-Administration of Justice 2205-Art and Culture 2210-Medical and Public Health 2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities 2403-Animal Husbandry Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4403-Capital Outlay on Animal Husbandry	ne following Major אורה Charged 	स्वीकृत Voted 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05	(কa) (অb) (গc) (ঘd) (Se)	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05
जस्व भाग इय शीर्ष 114-न्याय प्रशासन 105-कला और संस्कृति 110-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 125-अनु सूचित जाति, अनु सूचित जनजाति, अन्य छड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण 103-पशु पालन इ (राजस्व भाग) जी भाग इय शीर्ष 103-पशुपालन पर प्ंजीगत परिव्यय 175-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर प्ंजीगत रोव्यय	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2014-Administration of Justice 2205-Art and Culture 2210-Medical and Public Health 2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities 2403-Animal Husbandry Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4403-Capital Outlay on Animal Husbandry 4575-Capital Outlay on Other Special Areas	ne following Major אורה Charged 	स्वीकृत Voted 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05	(কa) (অb) (গc) (ঘd) (Se)	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05

(क)	सहायता अनुदान सामान्य के तहत लद्दाख पीडित प्रतिपूर्ति के लंबित बिलों (0.10 करोड़ रुपये) और जीआईए वेतन के तहत बकाया वेतन के लंबित बिलों (0.18 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना	(a)
(-)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	4.
(평)	सहायता अनुदान सामान्य के तहत उमलिंग-ला फैशन शो के लंबित बिलों (0.75 करोड़ रुपये) और सहायता अनुदान वेतन की अपेक्षित अतिरिक्त निधि (0.07 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना	(b)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	
(ग)	भतों के मद में अतिरिक्त व्यय की निधि की आवश्यकता को पूरा करना (7.30 करोड़ रुपये)	(c)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	
(ঘ)	सहायता अनुदान सामान्य के के लंबित बिलों के निपटान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.21 करोड़ रुपये)	(d)

(a) meeting additional expenditure for clearing pending bills of Ladakh victim compensation under Grant-in-Aid General (₹ 0.10 crore) and pending bills of salaries arrear under Grant-in-Aid Salaries (₹ 0.18 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure for clearing pending bills of Umling la fashion show under Grant-in-Aid General (₹ 0.75 crore) and additional funds required towards Grant-in-Aid Salaries (₹ 0.07 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards allowances (₹ 7.30 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Grant-in-Aid General for clearing pending bills (₹ 0.21 crore).

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक		Taking into account the savings available in the same section o
	की मांग की जाती है।		the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	भतों के मद में अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (5.94 करोड़ रुपये)	(e)	meeting additional expenditure towards allowances (₹ 5.94 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक		Taking into account the savings available in the same section o
	की मांग की जाती है।		the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	कारगिल में सौर जल उत्थापन हेतु लंबित बिलों के निपटान के अतिरिक्त व्यय	(f)	meeting additional expenditure for clearing pending bills for solar
	को पूरा करना (0.70 करोड़ रुपये)		water lifting at Kargil (₹ 0.70 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक		Taking into account the savings available in the same section o
	की मांग की जाती है।		the Grant, a token supplementary is sought.

मशीनरी और उपस्कर (15.00 करोड़ रुपये), भूमि प्रतिपूर्ति (10.00 करोड़ (छ) रुपये) के तहत किए गए कार्य के लंबित बिलों के निपटान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अवसंरचनीय आस्तियों (128.83 करोड़ रुपये), फयांग और डिस्केट (नुब्रा) संरचना लाईन में जंगल/भूमि प्रतिपूर्ति (116.15 करोड़ रुपये) और किए गए कार्य की देनदारियों (55.02 करोड़ रुपये) के तहत सीमा सड़क संगठन हेतु विशेष विकास पैकेज के तहत अतिरिक्त निधियां अपेक्षित हैं।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

meeting additional expenditure for clearing pending bills of work done under machinery & equipment (₹ 15.00 crore), land compensation (₹ 10.00 crore). Additional funds are required under special development package for Border Road Organization under Infrastructural Assets (₹ 128.83 crore), forest/land compensation at Phayang and Disket (Nubra) transmission Line (₹ 116.15 crore) and clearing liabilities of work already carried out (₹ 55.02 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 58

जम्मू और कश्मीर को अंतरण

TRANSFERS TO JAMMU AND KASHMIR

(कंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 82 देखिये) (See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 82 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

			(<i>₹</i> 9)	RIȘ) (IN R Crores)
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	35581.44	35581.44
पूंजी	Capital			•••
जोड़	Total		35581.44	35581.44
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		3170.00	3170.00
प्ंजी	Capital			•••
जोड़	Total		3170.00	3170.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		3000.00	3000.00
प्ंजी	Capital			•••
जोड़	Total		3000.00	3000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		41751.44	41751.44
राजस्व	Revenue		41751.44	41751.44
प्ंजी	Capital			
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत 1	दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under th	e following Major	Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3602-संघ राज्य -क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		3000.00	3000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

संसाधनों की कमी को पूरा करने हेतु जम्मू और कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र को 3,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की पूर्ति। उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional Central Assistance of $\ref{thmostate}$ 3,000 crore to UT of Jammu & Kashmir for bridging the resource gap. The above expenditure will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 60

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 84 देखिये) (See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 84 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

Demands for Grants for the year 20	25-2024)				
				(₹ करोड़	₹) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत Voted		जॊड़ Total
		Charged	votea		rotar
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	117.72	50474.60		50592.32
प्ंजी	Capital	38.23	29568.05		29606.28
जोड़	Total	<i>155.95</i>	80042.65		80198.60
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue	20.00	0.09		20.09
पूंजी	Capital	4.09	700.01		704.10
जोड़	Total	24.09	700.10		724.19
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01		0.01
पूंजी	Capital		0.02		0.02
जोड़	Total		0.03		0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	180.04	80742.78		80922.82
राजस्व	Revenue	137.72	50474.70		50612.42
प्ंजी	Capital	42.32	30268.08		30310.40
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	ार्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unc	• .	r Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development		0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		0.01	(खb)	0.01
4216-आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing		0.01	(गc)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		0.02		0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.03		0.03
* ** *					

प्रक अनुदानें निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क) शहरी परिवहन योजना तथा मैट्रो और गैर मैट्रो परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (2.00 करोड़ रूपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक

की मांग की जाती है।

(ख) जीपीओए- अन्य मंत्रालय से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में चल रहे कई कार्यों के लिए भवन एवं संरचना अर्थात ऑडिट,सीबीडीटी/सीबीसीईसी (20 करोड़ रूपये) तथा आईसीसीसी वाराणसी के लिए ईएपी के संबंध में बाहरी रूप से वित्तपोषित (जीका अनुदान ईएपी) सीएए की लेखांकन आवश्यकता के लिए (173.50 करोड़ रूपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ग) माननीय सांसदों के लिए बीकेएस मार्ग, नई दिल्ली में 184 एमएस फ्लैटों के निर्माण के लिए भवन और संरचनाएं, भांडुप, मुबंई में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारी क्वाटेर का निर्माण तथा ऑडिट सीबीईसी/सीबीडीटी के तहत अन्य परियोजनाएं (20 करोड़ रूपये), उपराष्ट्रपति एनक्लेव का निर्माण और दिल्ली व पूरे देश में जीपीआरए भवन निर्माण के संबंध में चल रहे कई कार्य (80 करोड़ रूपये) तथा सीपीडब्ल्यूडी की विभिन्न बजटीय इकाइयों /फीलड़ कार्यालयों से प्राप्त मांग के लिए (0.50 करोड़ रूपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grants are required for:

Grants-in-Aid General under Urban Transport Planning and Capacity Building for Metro and Non-Metro Projects ((₹2 crore).

Taking into account the savings available in the same section of

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Buildings and Structures for the several ongoing work in respect of GPOA-Other Ministry related projects i.e. Audit, CBDT/CBEC (₹20 crore) and for accounting requirement of the CAA for Externally funded (JICA Grant) in respect of EAP for ICCC Varanasi (₹173.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Buildings and Structures for the construction of 184 MS Flats for Hon'ble MPs at BKS Marg, New Delhi, construction of staffs quarters for Indian Audit and Accounts Department at Bhandup, Mumbai and other projects under Audit, CBEC/CBDT (₹20 crore), construction of Vice President's Enclave and several ongoing work in respect of GPRA Building in Delhi and all over the country (₹80 crore) and for demands received from various budgetary units/field offices of CPWD (₹0.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 61

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 79 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 87 देखिये) (See page 79 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 87 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

			(190	RIŞ) (III R CIOLES)	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़	
		Charged	Voted	Total	
I. मू <i>ल अनुदान:</i>	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		4661.16	4661.16	
पूंजी	Capital	***	30.84	30.84	
जोड़	Total	***	4692.00	4692.00	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		0.04	0.04	
पूंजी	Capital	***	8.00	8.00	
जोड़	Total		8.04	8.04	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	d:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
प्ंजी	Capital				
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		4700.05	4700.05	
राजस्व	Revenue	•••	4661.21	4661.21	
पूंजी	Capital	***	38.84	38.84	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	भंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u	nder the following Major Head	d:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2221-प्रसारण	2221-Broadcasting		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

विभिन्न निविदाओं से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए 'प्रसारण अवसंरचना एवं नेटवर्क विकास (बी.आई.एन.डी.)' के तहत सामान्य सहायता अनुदान (8 करोड़ रूपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

'Grants-in-Aid General' under 'Broadcasting Infrastructure & Network Development (BIND)' ($\overline{\ast}8$ crore) to meet expenditure related to various tenders.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 62

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 89-90 देखिये) (See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 89-90 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

,,	,			(₹ करोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		19738.21	19738.21
पूंजी	Capital		380.48	380.48
जोड़	Total		20118.69	20118.69
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	0.05	0.05
पूंजी	Capital	***	0.02	0.02
जोड़	Total	•••	0.07	0.07
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now required:			
पूरक अनुमान:				
राजस्व	Revenue		3915.86	3915.86
पूंजी	Capital			•••
जोड़	Total		3915.86	3915.86
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		24034.62	24034.62
राजस्व	Revenue	•••	23654.12	23654.12
प्ंजी	Capital		380.50	380.50
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	r the following Major Hea	ıd	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		2.14	(কa) 2.14
2700-वृहत सिंचाई	2700-Major Irrigation		1100.00	(खb) 1100.00
2701-वृहत और मध्यम सिंचाई	2701-Major and Medium Irrigation	***	497.14	(गс) 497.14
3075-अन्य परिवहन सेवाएं	3075-Other Transport Services		4.16	(घd) 4.16
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment		705.00	(롱e) 705.00
3601-राज्य सरकारों को	3601-Grants-in-aid to State Governments		1607.42	(च f) 1607.42
सहायता अनुदान				
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		3915.86	3915.86
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में न समायोजित किया जाता है!			
	Note: The above estimates of additional requirements do	not take into account the	e recoveries snown	below, which are
	adjusted in reduction of expenditure.			
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		/ \	()
2700-वृहत सिंचाई	2700-Major Irrigation	•••	(-)1400.00	(-)1400.00
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment		(-)1500.00	(-)1500.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		(-)1500.00	(-)1500.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		(-)4400.00	(-)4400.00

पूरक अनुदानें निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) सचिवालय- आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत वेतन, मजदूरी, पुरम्कार, घरेलू और विदेश यात्रा आदि के लिए स्थापना व्यय (2.14 करोड़ रूपये)।

> अतिरिक्त वस्तियों को ध्यान में रखते हु ए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) 'नदियों को जोड़ने' के संबंधित योजना का वित्तपोषण करने के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास निधि' में 3200.00 करोड़ रुपये का अंतरण। इस भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, इसके लिए 1100.00 करोड़ रूपये की पूरक अनुदान मांगी गई है।

The supplementary Grants are required for:

(a) Establishment Expenditure on Salaries, Wages, Rewards, Domestic & Foreign Travel etc. under Secretariat - Economic Services (₹ 2.14 crore).

Taking into account the additional recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

transfer of ₹ 3200.00 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme- 'Interlinking of Rivers'. After taking into account the savings available in the section, supplementary for the balance amount of ₹ 1100.00 crore is sought.

	अतिरिक्त वस्लियों को ध्यान में रखते हु ए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा ।		Taking into account the additional recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ग)	अटल भूजल योजना के अंतर्गत ईएपी घटक और गैर-ईएपी घटक के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (497.14 करोड़ रुपये)। अतिरिक्त वस्तियों को ध्यान में रखते हु ए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(c)	Grants-in-aid General under EAP Component and under Non-EAP Component under Atal Bhujal Yojana (₹ 497.14 crore). Taking into account the additional recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ঘ)	अन्य परिवहन सेवाओं के अंतर्गत भते, चिकित्सा, कार्यालय व्यय और पेशेवर सेवाएँ आदि। (4.16 करोड़ रुपये)। अतिरिकृत वस्तियों को ध्यान में रखते हु ए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिकृत नकद व्यय नहीं होगा।	(d)	Allowances, Medical, Office Expenses and Professional Services etc. under Other Transport Services. (₹ 4.16 crore). Taking into account the additional recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(롱)	'राष्ट्रीय गंगा योजना' स्कीम का वितपोषण करने के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास निधि' में 2300.00 करोड़ रुपये का अंतरण। इस भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए इसके लिए 705.00 करोड़ रूपये की पूरक अनुदान मांगी गई है।	(e)	transfer of ₹ 2300.00 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme- 'National Ganga Plan'. After taking into account the savings available in the section, supplementary for the balance amount of ₹ 705.00 crore is sought.
	अतिरिक्त वसूलियों को ध्यान में रखते हु ए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद वयय नहीं होगा ।		Taking into account the additional recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(च)	'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएं' योजना का वितपोषण करने के लिए 'कृषि अवसंरचना और विकास निधि' में 2900 करोड़ रुपये का अंतरण। इस भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसके लिए 1607.42 करोड़ रुपये की पूरक अनुदान मांगी गई है।	(f)	transfer of ₹ 2900.00 crore to 'Agriculture Infrastructure and Development Fund' towards financing of the scheme - 'Accelerated Irrigation Benefit Programme and National/Special Projects'. After taking into account the savings available in the section, supplementary for the balance amount of ₹ 1607.42 crore is sought.
	अतिरिक्त वसूलियों को ध्यान में रखते हु ए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा ।		Taking into account the additional recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 63

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 91 देखिये) (See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 91 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

				(₹ करौड़	T) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		77221.80		77221.80
पूंजी	Capital		1.20		1.20
जोड़	Total		77223.00		77223.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		0.02		0.02
पूंजी	Capital				
जोड़	Total	***	0.02		0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now				
	required:				
राजस्व	Revenue	•••	0.01		0.01
पूंजी	Capital	***	1.40		1.40
जोड़	Total	***	1.41		1.41
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		77224.43		77224.43
राजस्व	Revenue	•••	77221.83		77221.83
पूंजी	Capital		2.60		2.60
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जायेगा			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unc				
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation		0.01	(क a)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
ू मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए पूंजीगत	5475-Capital Outlay on Other General Economic		1.40	(खb)	1.40
परिव्यय	Services			/	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	•••	1.41		1.41
	V 11	***			

यह प्रक अनुदानें निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क) सामान्य सहायता अनुदान के रूप में व्यय को पूरा करना (i) सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) गांवों/बस्तियों के लिए हर घर नल की लागत के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए 105.95 करोड़ रूपये और (ii) जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकारों को जारी करने के लिए 1045.36 करोड़ रूपये।

अनुदान के एक ही भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, एक सांकेतिक अनुपूरक की मांग की जाती है।

(ख) स्वा, कंप्यूटर और दूरसंचार उपकरण की लागत हेतु 1.60 करोड़ रूपये का प्रावधान।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध 0.20 करोड़ रूपये की बचत और अनुदान के राजस्व भाग में 1.40 करोड़ रूपये के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए इसमें अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure as grants-in-aid general (i) ₹ 105.95 crore for Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM JANMAN) towards the cost of Har Ghar Nal for all Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG) villages/ habitations; and (ii) ₹ 1045.36 crore for releases to State Governments under Jal Jeevan Mission.

Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

provision of ₹ 1.60 crore towards the cost of Information, Computer and Telecommunications Equipment.

Taking into account the savings of $\ref{thm:taking}$ of the grant and surrenders of $\ref{thm:taking}$ 1.40 crore from revenue section of the grant this will not entail additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 64

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(कंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 92 देखिये) (See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 92 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(1.9	13 / (III \ CIOI	C3/
		भारित	स्वीकृत	जॏड़	
		Charged	Voted	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		13183.86	13183.86	
पूंजी	Capital		37.87	37.87	
जोड़	Total	•••	13221.73	13221.73	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
प्ंजी	Capital		•••		
जोड़	Total		0.01	0.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
प्ंजी	Capital				
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		13221.75	13221.75	
राजस्व	Revenue		13183.88	13183.88	
पूंजी	Capital		37.87	37.87	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	न दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under		ad:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत सब्सिडी (21.00 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु एसांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

Subsidies (₹ 21.00 crore) under Labour Welfare Scheme
Taking into account the savings available in the same section of the
Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 65

विधि और न्याय LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 93 देखिये) (See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 93 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

•	,	भारित		(₹ करॉड़) (In ₹ crores)
		**	स्वीकृत	ज <u>ो</u> ड़ Tetel
	L OBIONIAL OBANT	Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		2230.65	2230.65
पूंजी	Capital	•••	1944.78	1944.78
जोड़	Total	•••	4175.43	4175.43
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		3609.85	3609.85
पूंजी	Capital		618.08	618.08
जोड़	Total	•••	4227.93	4227.93
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	***	286.93	286.93
पूंजी	Capital	***		•••
जोड़	Total	•••	286.93	286.93
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	***	8690.29	8690.29
राजस्व	Revenue	•••	6127.43	6127.43
पूंजी	Capital	•••	2562.86	2562.86
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unde	r the following Major H	lead	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice		0.01	(कa) 0.01
2015-चुनाव	2015-Elections		286.92	(평b) 286.92
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		286.93	286.93

प्रक अनुदानें निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क) कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन - अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 के आयोजन के लिए भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई) के सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से निकाली गई अग्रिम राशि की पुन:पूर्त (रु. 1.00 करोड़)) और (ii) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना (0.52 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) चुनाव संबंधी व्यय की लंबित देनदारियों को निपटाने के लिए पेशेवर सेवाओं के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) re-coupment of advance withdrawn from the Contingency Fund of India for meeting additional expenditure under Grant-in-aid General of Indian Law Institute (ILI) to organize the Commonwealth Legal Education Association – Attorney Generals and Solicitor General Conference 2024 (₹ 1.00 crore) and (ii) providing additional Grants for creation of Capital Assets to National Judicial Academy (₹ 0.52 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure under Professional Services for clearing the pending liabilities towards election related expenditure

The above expenditure will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 66

निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 95 देखिये) (See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 95 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(, , , ,	¢ / (t c. c. c.)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		312.00	312.00
पूंजी	Capital		28.00	28.00
जोड़	Total		340.00	340.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		73.67	73.67
पूंजी	Capital		28.09	28.09
जोड़	Total	***	101.76	101.76
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital		24.28	24.28
जोड़	Total	•••	24.28	24.28
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		466.04	466.04
राजस्व	Revenue		385.67	385.67
पूंजी	Capital		80.37	80.37
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under		d:	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यो पर प्ंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		24.28	24.28

यह प्रक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आईआईआईडीईएम कैम्पस के निर्माण के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार न्यायिक अधिनियम की शेष राशि के भुगतान (18.60 करोड़ रुपये) और (ii) आईआईआईडीईएम कैम्पस के निर्माण के संबंध में लंबित देयताओं को पूरा करने (5.68 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure on (i) payment of balance amount of arbitration award as per the directions of Hon'ble High Court of Delhi in connection with the construction of IIIDEM campus (₹ 18.60 crore) and (ii) clearing the pending liabilities of the CPWD in connection with the construction of IIIDEM campus (₹ 5.68 crore). The above expenditure will entail cash outgo.

संख्या NO. 67 (विनियोग)(APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय

SUPREME COURT OF INDIA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 96 देखिये) (See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 96 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

				(1 971)	, (III CIUI es)
		भारित	₹	-वीकृत	जॊड़
		Charged	•	/oted	Total
।.विनियोगः	I. ORIGINAL APPROPRIATION:				
राजस्व	Revenue	407.15			407.15
पूंजी	Capital	30.00			30.00
जोड़	Total	437.15			437.15
पूरक विनियोग:	SUPPLEMENTARY APPROPRIATION::				
राजस्व	Revenue	25.69			25.69
पूंजी	Capital	18.44			18.44
जोड़	Total	44.13			44.13
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue	26.44			26.44
पूंजी	Capital	9.56			9.56
जोड़	Total	36.00			36.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>517.28</i>			517.28
राजस्व	Revenue	<i>459.28</i>			459.28
पूंजी	Capital	58.00			58.00
	II. इस प्रक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत f	देखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Appropriations will be accounted for u		ing Major H	eads:	
		भारित	₹	वीकृत	जॊड़
		Charged	•	/oted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	26.44	(कa)		26.44
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3 4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4075-Capital Outlay on Miscellaneous General Services	9.56	(खb)		9.56
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	36.00	. ,		36.00
	· ·· • • • • • • • • • • • • • • • • •				

पूरक अनुदानें/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) वस्तु शीर्षों (i) वेतन (5.88 करोड़ रुपये), (ii) रिवार्ड (0.24 करोड़ रुपये), (iii) मेडिकल उपचार (2.80 करोड़ रुपये), (iv) भ्रते (4.13 करोड़ रुपये), (v) छुट्टी यात्रा रियायत (0.50 करोड़ रुपये), (vi) प्रशिक्षण संबंधी व्यय (0.03 करोड़ रुपये), (vii) विदेश यात्रा व्यय (1.25 करोड़ रुपये), (viii) कार्यालय व्यय (7 करोड़ रुपये), (ix) विज्ञापन और प्रचार (0.03 करोड़ रुपये) और (x) पेशेवर सेवाएं (4.58 करोड़ रुपये) के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

(ख) वस्तु शीर्षों (i) मोटर वाहन (0.14 करोड़ रुपये), (ii) सूचना, कम्प्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपस्कर (8.49 करोड़ रुपये) और (iii) अन्य नियत आस्तियां (1.44 करोड़ रुपये के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 0.51 करोड़ रुपये की बचत को समायोजित करने के पश्चात उपर्य्क्त व्यय में 9.56 करोड़ रुपये का निवल नकद व्यय होगा। The supplementary Grants/Appropriations are required for:

meeting additional expenditure under the Object Heads (i) Salaries(₹ 5.88 crore), (ii) Rewards (₹ 0.24 crore), (iii) Medical Treatment (₹ 2.80 crores), (iv) Allowances (₹ 4.13 crore), (v) Leave Travel Concession (₹ 0.50 crore), (vi) Training Expenses (₹ 0.03 crore), (vii) Foreign Travel Expenses (₹ 1.25 crore), (viii) Office Expenses (₹ 7 crore), (ix) Advertising and Publicity (₹ 0.03 crore) and (x) Professional services (₹ 4.58 crore).

The above expenditure will entail cash outgo.

meeting additional expenditure under the Object Heads (i) Motor Vehicle (₹ 0.14 crore), (ii) Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹ 8.49 crore) and (iii) Other Fixed Assets (₹ 1.44 crore).

After adjusting savings of \ref{thmos} 0.51 crore available under the same Section of the Grant, the above expenditure will entail a net cash outgo of \ref{thmos} 9.56 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 68

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 97 देखिये) (See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 97 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

	,	भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोंड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	21543.43	21543.43
प्ंजी	Capital		594.52	594.52
जोड़	Total		22137.95	22137.95
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.03	0.03
पूंजी	Capital	***	0.01	0.01
जोड़	Total	•••	0.04	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	***	0.02	0.02
पूंजी	Capital	***		
जोड़	Total	•••	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	22138.01	22138.01
राजस्व	Revenue		21543.48	21543.48
प्ंजी	Capital		594.53	594.53
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर	र्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for und		Head	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(कa) 0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02	0.02

पूरक अनुदानें निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के तहत एनईआर सब्सिडी (50.00 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक

की मांग की जाती है।

(ख) (i) प्रधानमंत्री रोजगार स्जन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत सब्सिडी (208.22 करोड़ रुपये) (ii) राष्ट्रीय अनुस्चित जाति/ अनुस्चित जनजाति हब केंद्र के तहत सामान्य सहायता अनुदान (24.75 करोड़ रुपये) (iii) खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) के तहत सब्सिडी (20.00 करोड़ रुपये)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grants are required for:

(a) Subsidies NER(₹ 50.00 crore) under the scheme Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i)Subsidies (₹ 208.22 crore) under Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), (ii) Grant-in-Aid General (₹ 24.75 crore) under National Scheduled Caste/Scheduled Tribe Hub Centre, (iii) Subsidies (₹20.00 crore) under Procurement and Marketing Support (PMS)

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 69

खान मंत्रालय

MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 99 देखिये) (See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 99 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

			(190	(15) (III (CIOI es)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		2234.48	2234.48
पूंजी	Capital		77.12	77.12
जोड़	Total	•••	2311.60	2311.60
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		821.42	821.42
प्ंजी	Capital			
जोड़	Total		821.42	821.42
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3133.04	3133.04
राजस्व	Revenue	•••	3055.91	3055.91
पूंजी	Capital	•••	77.13	77.13
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिख	वाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the f		d:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	2853-Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries		821.42	821.42

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास निधि के लोक खाते को भारत की संचित निधि से निधियों का अंतरण

उपरोक्त व्यय में 821.42 करोड़ रूपये का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

Transfer of funds from Consolidated Fund of India to Public Account of National Mineral Exploration Trust Fund.

The above expenditure will entail a cash outgo amounting to ₹821.42 crore;

मांग संख्या DEMAND NO 71

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 85 देखिये)

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(See page 85 of the Demands for Gr	ants of Central Government for the year 2023-	·2024)			
				(₹ करॉड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	_			
राजस्व	Revenue		17717.81		17717.81
पूंजी	Capital		11.65		11.65
जोड़	Total		17729.46		17729.46
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue				
पूंजी	Capital				
जोड़	Total				•••
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now				
	required:				
राजस्व	Revenue		0.01		0.01
प्ंजी	Capital		5.50		5.50
जोड़	Total		5.51		5.51
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	···	17734.97		17734.97
राजस्व	Revenue		17717.82		17717.82
प्ंजी	Capital		17.15		17.15
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेगाः	:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for	under the following N	/lajor Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2810-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	2810-New and Renewable Energy		0.01	(क a)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4810-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत	4810-Capital Outlay on New and Renewable		5.50	(खb)	5.50
परिव्यय	Energy				
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	···	5.51		5.51

(a)

पूरक अनुदानें निम्नलिखित हेत् अपेक्षित हैं:

(ख)

(क) सौर विद्युत ऑफ ग्रिड स्कीम के तहत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के क्रियान्वयन हेतु प्रजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के रूप में 20 करोड़ रुपये। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से संबंधित लंबित देयताओं के लिए कार्यालय

भवन संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए 5.50 करोड़ रुपये। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत की समतुल्य राशि को ध्यान में रखते हु एड्समें कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा। The supplementary Grants are required for:

₹ 20 Crore as grants for creation of capital assets for implementing Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) under Solar Power Off Grid scheme.

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

> ₹ 5.50 crore for meeting office building expenditure against pending liabilities related to Central Public Works Department.

Taking into account the equivalent amount of savings available in the revenue section of the Grant, this will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 74

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 101 देखिये) (See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 101 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जोद Charged Total Voted I. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 21.83 1910.19 1932.02 पूंजी Capital 202.55 275.72 73.17 जोड 2112.74 2207.74 Total 95.00 पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: राजस्व Revenue 1.98 260.36 262.34 पूंजी Capital 21.01 2.64 23.65 जोद Total 22.99 263.00 285.99 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: 0.03 Revenue 0.03 पूंजी Capital 40.07 40.07 जोड 40.10 40.10 Total जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 117.99 2415.84 2533.83 राजस्व 2170.58 Revenue 23.81 2194.39 पूंजी Capital 94.18 245.26 339.44 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head जॊड़ स्वीकृत Total Charged Voted राजस्व भाग **REVENUE SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं 2052-Secretariat-General Services 0.01 0.01 (कa) (खb) 0.01 ... 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं 2070-Other Administrative Services 0.01 (गc) 0.01 जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.03 0.03 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 4055-पुलिस पर प्ंजीगत परिव्यय 4055-Capital Outlay on Police 30.47 (घd) 30.47 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय 4059-Capital Outlay on Public Works 9 60 9 60 (še) जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 40.07 40.07 ... 40.10 40.10 The supplementary Grants are required for: Grants in aid Salaries-DoPT (₹ 0.03 crore).

जोड़ (प्रक)	Total (Supplementary)	
पूरक अनुदानें 1	निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The
(क)	वेतन सहायता अनुदान-डीओपीटी (0.03 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(a)
(ख)	अन्य राजस्व व्यय- सीबीआई (2 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(b)
(ग)	क) सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रसार- सामान्य सहायता अनुदान (0.50 करोड़ रुपये) ख) प्रवेशकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम: लबासना के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं (2 करोड़ रुपये) और ग) डोमेन विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम: लबासना के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं (2 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांग को जाती है।	(c)
(ঘ)	सीबीआई के लिए समग्र आधुनिकीकरण और भूमि खरीद/कार्यालय का निर्माण/आवासीय परिसर (30.47 करोड़ रुपये) अनुदानके राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;	(d)
(ঙ্গ)	आवश्यक सेवा अवसंरचना सुधार और उन्नयन हेतु लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (लबासना) (9.60 करोड़ रुपये)	(e)
	अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए,	

उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Other Revenue Expenditure - CBI (₹ 2 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

a) Propagation of Right to Information Act - Grants in aid General (₹ 0.50 Crore), b) Induction Training Programme: Professional Services under LBSNAA (₹ 2 Crore) and c) Domain Specific Training Programme: Professional Services under LBSNAA (₹ 2 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Comprehensive Modernisation and purchase of land/ construction of office/ residence buildings for CBI (₹ 30.47 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo:

Improvement of Infrastructure and upgradation of essential facilities (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration) (₹ 9.60 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO 78

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 97 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 106-107 देखिये) (See page 97 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 106-107 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

				ر ۱۸۱۶	(111 (6101)	<i>C3</i> /
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		1530.53		1530.53	
पूंजी	Capital		1198.21		1198.21	
जोड़	Total	•••	2728.74		2728.74	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	Revenue		96.85		96.85	
पूंजी	Capital		94.55		94.55	
जोड़	Total		191.40		191.40	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now					
	required:					
राजस्व	Revenue					
पूंजी	Capital		1.42		1.42	
जोड़	Total		1.42		1.42	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2921.56		2921.56	
राजस्व	Revenue		1627.38		1627.38	
पूंजी	Capital		1294.18		1294.18	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for und					
		भारित	स्वीकृत		ऒड़	
		Charged	Voted		Total	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
5051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजीगत परिव्यय	5051-Capital Outlay on Ports and Light Houses		0.01	(कa)	0.01	
5052-पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	5052-Capital Outlay on Shipping		0.01	(खb)	0.01	
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए पूंजीगत	5475-Capital Outlay on Other General Economic		1.40	(गc)	1.40	
परिव्यय	Services			/		
जोड़ (प्ंजी भाग)	Total (Capital Section)		1.42		1.42	
	·					

पूरक अनुदानें निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) लाइट हाउस और लाइट शिप के तहत 'मशीनरी और उपस्कर' (3.60 करोड़ रुपये)
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) (i) पोत परिवहन महानिदेशालय में 'सूचना, कम्प्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपस्कर' के तहत पोत परिवहन महानिदेशालय, एमएमडी मुंबई और पोत परिवहन मुख्य कार्यालय, मुंबई के लिए कम्प्यूटर और प्रिंटरों की खरीद (1.00 करोड रुपये)।
 - (ii) पोत परिवहन महानिदेशालय में 'भवन और संरचना' के तहत एमएमडी, वाईजैग के लिए नए कार्यालय भवन आधारशिला का निर्माण और एमएमडी, मैंगलोर के लिए भवन संबंधी कार्य (3.74 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक
- (ग) सचिवालय- आर्थिक सेवाएं में 'सूचना, कम्प्यूटर और दूरसंचार (आईसीटी) उपस्कर' के तहत विद्यमान वीसी प्रणाली का उन्नयन और अन्य आईटी उत्पादों जैसे पीसी, प्रिंटर की खरीद (1.40 करोड़ रुपये)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए, और अनुदान के उसी अनुभाग के भीतर बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grants are required for:

- a) 'Machinery & Equipment' under Light Houses and Light Ships (₹ 3.60 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) procurement of computers and printers for DG Shipping, MMD Mumbai and Shipping Master office, Mumbai under 'Information, Computer, Telecommunication (ICT) Equipment' in Director General of Shipping (₹ 1.00 crore).
 - (ii) construction of new office building base for MMD, Vizag and construction of building work for MMD Mangalore under 'Building and Structure' in Director General of Shipping (₹ 3.74 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 - up-gradation of existing VC system and procurement of other IT products viz PC, Printers under 'Information, Computer and Telecommunication (ICT) Equipment' in Secretariat-Economic Services (₹ 1.40 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 79

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 98 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 108 देखिये) (See page 98 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 108 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

	110 your 2020 2021)			(₹ करोड़) (In ₹ crores
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		21794.52	21794.52
पूंजी	Capital		16.80	16.80
जोड़	Total	•••	21811.32	21811.32
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	10.00	0.02	10.02
पूंजी	Capital		1927.67	1927.67
जोड़	Total	10.00	1927.69	1937.69
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now required	i :		
पूरक अनुमान:				
राजस्व	Revenue		30.00	30.00
प्ंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		30.01	30.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10.00	23769.02	23779.02
राजस्व	Revenue	10.00	21824.54	21834.54
प्ंजी	Capital	•••	1944.48	1944.48
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के :	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for u		nd	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2801-विद्युत	2801-Power		30.00	(कa) 30.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	•••	30.01	30.01
		ों में नीचे दर्शाई गयी वस्लियों को १	शामिल नहीं किया गय	॥ है जिन्हें व्यय में से घटाकर
	Note: The above estimates of additional requirement	s do not take into account the	e recoveries showr	n below, which are
	adjusted in reduction of expenditure.			•
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			

पूरक अन्दानें निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

2801-विदय्त

(ख)

(क)

(i) जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों हेतु संयुक्त वियुत विनियामक आयोग की स्थापना के लिए वेतन सहायता अनुदान के रूप में 0.38 करोड़ रुपये;

(ii) स्मार्ट ग्रिड (वियुत प्रणालियों का शुद्धीकरण) और वियुत प्रणाली विकास निधि के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में क्रमश: 8.49 करोड़ रुपये और 86.88 करोड़ रुपये; (iii) सुधार संबद्ध वितरण स्कीम के अधीन प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के लिए पूंजीगत आस्तियों के स्जन हेतु अनुदान के रूप में 50 करोड़ रुपये। (iv) केंद्रीय वियुत विनियामक आयोग (सीईआरसी) स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के स्जन हेतु सामान्य सहायता अनुदान के रूप में 17 करोड़ रुपये और अनुदानों के रूप में 13 करोड़ रुपये जिसे सीईआरसी निधि से पूरा किया जाएगा।

2801-Power

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए और सीईआरसी निधि से प्राप्त वस्तियों की समतुल्य राशि से मिलान करने हेतु 30 करोड़ रुपये, इसमें कोई नकद टयय शामिल नहीं होगा।

स्थापना-सचिवालय के अंतर्गत आईसीटी (सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार) के लिए 0.70 करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त व्यय।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grants are required for:

Additional expenditure of (i) ₹ 0.38 crore as grants-in-aid salary for setting up of Joint Electricity Regulatory Commission for UT of Jammu & Kashmir and Ladakh; (ii) ₹ 8.49 crore and ₹ 86.88 crore as grants-in-aid general for Smart Grids (Strengthening of Power Systems) and Power System Development Fund (PSDF) respectively; (iii) ₹ 50 crore as grants for creation of capital assets towards Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) under Reform Linked Distribution Scheme (iv) ₹ 17 crore as grants-in-aid general and ₹ 13 crore as grants for creation of capital assets under the scheme Central Electricity Regulatory Commission (CERC) which will be met from CERC Fund.

(-)30.00

(-)30.00

Taking into account the savings available in the same section of the Grant and ₹ 30 crore to be matched by equivalent amount of recoveries from CERC Fund, it will not entail any cash outgo.

Additional expenditure amounting to ₹ 0.70 crore towards ICT (Information, Computer, Telecommunication) under Establishment-Secretariat.

Taking into account the savings available in same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 81

लोक सभा **LOK SABHA**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 100 देखिये)

(See page 100 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	•		\$) (III \ CI OI C S)
	भारित	स्वीकृत	जॏड़
	Charged	Voted	Total
I. ORIGINAL GRANT:			
Revenue	1.10	785.41	786.51
Capital	***	35.49	35.49
Total	1.10	820.90	822.00
SUPPLEMENTARY GRANT:			
Revenue			
Capital			
Total			•••
Supplementary Estimate of the amount now required:			
Revenue		0.01	0.01
Capital			
Total		0.01	0.01
Total (Original plus Supplementary)	1.10	820.91	822.01
Revenue	1.10	785.42	786.52
Capital	•••	35.49	35.49
II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिर	खाया जायेगा:		
		ad:	
	भारित	स्वीकृत	जॏड़
	Charged	Voted	Total
REVENUE SECTION			
MAJOR HEAD			
2011-Parliament/State/Union Territory Legislatures		0.01	0.01
	Revenue Capital Total SUPPLEMENTARY GRANT: Revenue Capital Total Supplementary Estimate of the amount now required: Revenue Capital Total Total (Original plus Supplementary) Revenue Capital II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिव	Charged I. ORIGINAL GRANT: 1.10 Revenue 1.10 Capital 1.10 SUPPLEMENTARY GRANT: Revenue Capital Total Supplementary Estimate of the amount now required: Revenue Capital Total (Original plus Supplementary) 1.10 Revenue 1.10 Capital Total (Original plus Supplementary) 1.10 Revenue 1.10 Capital II. इस प्रूक अनुदानका हिसाब निम्निलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heat *** REVENUE SECTION MAJOR HEAD	LORIGINAL GRANT:स्वीकृत (Charged)पotedI. ORIGINAL GRANT:1.10785.41Revenue1.10785.41Capital35.49Total1.10820.90SUPPLEMENTARY GRANT:RevenueCapitalTotal0.01Supplementary Estimate of the amount now required:0.01Capital0.01Total0.01Total (Original plus Supplementary)1.10820.91Revenue1.10785.42Capital35.49II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्निलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:स्वीकृत VotedREVENUE SECTION MAJOR HEAD

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस) (₹ 0.60 करोड़) और लोकसभा कर्मचारी संघ (एलएसईए) (₹ 0.03 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure under Grant-in-Aid-General of Institute of Constitutional and Parliamentary Studies (ICPS) (₹ 0.60 crore) and Lok Sabha Employees Association (LSEA) (₹ 0.03 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 83

उप-राष्ट्रपति का सचिवालय

SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 102 देखिये)

(See page 102 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॉड़ Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदान: राजस्व 9.10 Revenue 9.10 पूंजी Capital 0.21 0.21 जोड़ Total 9.31 9.31 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: राजस्व Revenue पूंजी Capital जोड़ Total इस समय आवश्यक रकम का पूरक अन्मान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 0.50 0.50 Revenue पूंजी Capital 0.15 ... जोड़ 0.65 Total 0.65 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 9.96 9.96 राजस्व Revenue 9.60 9.60 ... पूंजी Capital 0.36 0.36 II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head स्वीकृत जॊड भारित Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2012-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों 2012-President, Vice President/Governor, Administrator of 0.50 (**क**a) 0.50 का प्रशासक Union Territories पुंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 4075-Capital Outlay on Miscellaneous General Services 0.15 (खb) 0.15 Total (Supplementary) जोड़ (पूरक) 0.65 0.65

(b)

पूरक अन्दानें निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(ख)

कार्यालय व्यय के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (क) उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

सूचना, कम्प्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरणों के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय

को पूरा करने के लिए

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grants are required for:

meeting additional expenditure under Office Expenses. (a)

The above expenditure will entail cash outgo.

meeting additional expenditure under Information, Computer,

Telecommunication (ICT) Equipment.

The above expenditure will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 85

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 104-105 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 112-114 देखिये)

(See page 104-105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 112-114 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

Supplementary Bernande for Grant				(₹ करॉड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	433.10	330567.42		331000.52
पूंजी	Capital	219.29	440409.78		440629.07
जोड़	Total	<i>652.39</i>	770977.20		771629.59
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue	82.10			82.10
पूंजी	Capital	619.54	69.83		689.37
जोड़	Total	701.64	69.83		771.47
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01		0.01
पूंजी	Capital	***	0.01		0.01
जोड़	Total		0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1354.03	771047.05	,	772401.08
राजस्व	Revenue	<i>515.20</i>	330567.43	;	331082.63
पूंजी	Capital	838.83	440479.62		441318.45
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों वे	h अंतर्गत दिखाया जायेगा	:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted fo				जৗड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3075-अन्य परिवहन सेवाएं	3075-Other Transport Services		0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5 5002-भारतीय रेलवे - वाणिज्यिक लाइन पर	5002-Capital Outlay on Indian Railways -		0.01	(खb)	0.01
पूंजीगत परिव्यय	Commercial Lines				
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.02		0.02

पूरक अनुदानें निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क) सामारिक लाइनों के संचालन पर घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए 2004.33 करोड़ रूपये के अतिरिकृत व्यय को पूरा करना।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय शामिल नहीं होगा।

(ख) उत्तर प्रदेश के रायबरेली में फोर्ज्ड व्हील प्लांट के अधिग्रहण के लिए 2300 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय शामिल नहीं होगा। The supplementary Grants are required for:

) meeting additional expenditure of ₹ 2004.33 crore for reimbursement of losses on operation of strategic lines.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this will not entail cash outgo.

meeting additional expenditure of ₹ 2300 crore for acquisition of Forged Wheel Plant at Raebareli, Uttar Pradesh.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this will not entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 86

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 106 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 115-116 देखिये

(See page 106 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 115-116 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड Chargeo Voted Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 23528.23 23528.23 पूंजी Capital 5.00 321293.78 321298.78 जोड़ Total 5.00 344822.01 344827.01 पूरक अनुदान: SUPPLEMENTARY GRANT: राजस्व 0.01 0.01 Revenue पूंजी Capital 0.020.02 जोड 0.03 0.03 Total इस समय आवश्यक रकम का पूरक अन्मान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व Revenue पूंजी Capital 0.02 0.02 जोड Total 0.02 0.02 जोड़ (मूल और पूरक) 344827 06 Total (Original plus Supplementary) 5 00 344822 06 Revenue 23528.24 23528.24 पूंजी Capital 321293.82 321298.82 5.00 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head जॊड भारित स्वीकृत Voted Total Charged पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों मेंं पूंजीगत परिव्यय 4552-Capital Outlay on North Eastern Areas 0.01 0.01 (कa) 5054-सड़क और पुलों के लिए पूंजीगत परिव्यय 5054-Capital Outlay on Roads and Bridges 0.01(खb) 0.01

(b)

पूरक अनुदानें निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

जोड़ (पूंजी भाग)

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यों के लिए सड़क स्कंध के तहत सड़क विकास कार्यों के लिए 'अंवसंरचनात्मक आस्तियां' जीबीएस द्वारा वित्तपोषित (600 करोड़ रुपये)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

Total (Capital Section)

- (ख) (i) वर्तमान वितीय वर्ष के दौरान टोल के संशोधित अनुमानित एकत्रण के आधार पर भारतमाला परियोजना के अधीन चालू कार्यों के लिए स्थायी पुल शुल्क निधि से वित्तपोषित के तहत 'निवेश' एनएचएआई (4193 करोड़ रुपये)।
 - (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि के तहत 'अंतर खाता अंतरण' (4193 करोड़ रुपये)
 - (iii) सड़क स्कंध के अधीन अन्य स्कीमों के तहत'अवसंरचनात्मक आस्तियां' (707 करोड़ रुपये)।
 - (iv) बाह्य सहायता प्राप्त स्कीमों के अधीन 'अवसरचनात्मक आस्तियां' मुख्य कार्यों के तहत जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी(500 करोड़ रुपये)।
 - (v) बाह्य सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए काउंटरपार्ट निधि हेतु 'अवसंरचनात्मक आस्तियां' - मुख्य कार्यों के तहत जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी(100 करोड़ उपरो)।
 - (vi) राष्ट्रीय राजमार्ग पूल कार्य के अंतर्गत अवसंरचनात्मक आस्तियां -जनदातीय उपयोजना - केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित (300 करोड रुपये)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) 'Infrastructural Assets' for Road Development Works under Roads
 Wing for Works in North Eastern Region Financed from GBS
 (₹ 600 crore).
 - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

0.02

0.02

- (i) 'Investment-NHAI' under Financed from Permanent Bridges Fees Fund for on-going works under Bharatmala Pariyojana on the basis of revised estimated collection of toll during the current financial year (₹ 4193 crore).
 - (ii) 'Inter Account Transfer' under Transfer to National Highways Permanent Bridges Fees Fund (₹ 4193 crore).
 - (iii) 'Infrastructural Assets' under Other Schemes for Works under Roads Wing (₹ 707 crore).
 - (iv) 'Infrastructural Assets' under Externally Aided Schemes-Japan International Cooperation Agency under Major Works (₹ 500 crore).
 - (v) 'Infrastructural Assets' for Counterpart Fund for Externally Aided Schemes Japan International Cooperation Agency under Major Works (₹ 100 crore).
 - (vi) 'Infrastructural Assets' under National Highways Original Works- Tribal Sub Plan financed from Central Road and Infrastructure Fund (₹ 300 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 87

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 107 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 117 देखिये) (See page 107 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 117 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

				(₹ व	ज्रोड़) (In ₹ crore		
		भारित	स्वीकृत		जॏड़		
		Charged	Voted		Total		
l. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व	Revenue		236541.48		236541.48		
पूंजी	Capital		3.52		3.52		
जोड़	Total		236545.00		236545.00		
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:						
राजस्व	Revenue		14524.34		14524.34		
पूंजी	Capital		0.12		0.12		
जोड़	Total		14524.46		14524.46		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now required:						
अनुमान:							
राजस्व	Revenue	***	23000.00		23000.00		
पूंजी	Capital						
जोड़	Total	***	23000.00		23000.00		
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	***	274069.46		274069.46		
राजस्व	Revenue	***	274065.82		274065.82		
प्ंजी	Capital		3.64		3.64		
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:					
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head						
		भारित	स्वीकृत		जॊड़		
		Charged	Voted		Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
2505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment	***	10798.28	(कa)	10798.28		
2515-अन्य ग्रामीण विकास	2515-Other Rural Development Programmes		0.01	(खb)	0.01		
कार्यक्रम							
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(गc)	0.01		
3054-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges		11732.17	(ਬd)	11732.17		
3601-राज्य सरकारों को सहायता	3601-Grants-in-aid to State Governments	***	0.01	(ਤ e)	0.01		
अनुदान							
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	***	469.52	(चf)	469.52		
को सहायता अनुदान							
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		23000.00		23000.00		
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में न	ीचे दर्शाई गयी वस्लियों व	हो शामिल नहीं किया ग	ाया है जिन्हें	च्यय में से		
	घटाकर समायोजित किया जाता है !						
	Note: The above estimates of additional requirements do	not take into account	the recoveries show	wn below, v	vhich are		
	adjusted in reduction of expenditure.						

पूरक अन्दानें निम्नलिखित हेत् अपेक्षित हैं:

राजस्व भाग

2505-ग्रामीण रोजगार

(क)
(i) महात्मा गांधी राषट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को 6,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निधि अंतरण। तदनुसार, वर्ष 2023-24 (प्रथम पूरु सहित) के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत राष्ट्रीय रोजगार गारंटी को 26,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निधि अंतरण; (ii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के स्जन हेतु (4842.66 करोड़ रुपये), जिसे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से समतुल्य वस्ती से पूरा किया जाएगा। तदनुसार, वर्ष 2023-24 (प्रथम पूरु सहित) के दौरान राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरी की जाने वाली अतिरिक्त निधि 20985.52 करोड़ होगी।

REVENUE SECTION

2505-Rural Employment

The supplementary Grants are required for:

(i) Transfer of additional funds worth ₹ 6,000 crore to National Employment Guarantee Fund under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Accordingly, additional funds transferred to National Employment Guarantee Fund under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme during 2023-24 (including 1st Supplementary) would amount to ₹ 26,000 crore; (ii) Towards grants for creation of capital assets under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (₹ 4842.66 crore) which will be met with equivalent recoveries from National Employment Guarantee Fund. Accordingly, additional funds during 2023-24 (including 1st Supplementary) to be met from National Employment Guarantee Fund would amount to ₹ 20985.52 crore.

(-)5000.90

(-)5000.90

इसमें 10,798.28 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा और शेष की पूर्ति अनुदान के इसी भाग में उपलबध बचत में से की जाएगी।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद से संबंधित (। व्यय को पूरा करने के लिए 43.91 करोड़ रुपये अपेक्षित है।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए इसमें नकद व्यय शामिल नहीं होगा।

(ग) प्रधानमंत्री ग्राम सइक योजना के तहत प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) को पूंजीगत आस्तियों के स्जन के लिए अनुदानों के रूप में 10.00 करोड़ रुपये। (ii) प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण हेतु अतिरिक्त व्यय के रूप में 300 करोड़ रुपये।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, इसमें नकद व्यय शामिल नहीं होगा।

(घ) कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि को 12,000 करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त अंतरण।

इसमें 2256.66 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा और शेष की पूर्ति अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत में से की जाएगी।

(इ) (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1157.34 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जिसे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से समतुल्य वस्िलयों से पूरा किया जाएगा। (ii) प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) – ग्रामीण के तहत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) को प्रजीगत आस्तियों के स्जन के लिए 630.04 करोड़ रुपये का अनुदान, और (iii) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) को प्रजीगत आस्तियों के स्जन के लिए 90.00 करोड़ रुपये का अनुदान। (iv) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के वितपोषण के लिए कृषि अवसरचना और विकास आरक्षित निधि को (1813.80 करोड़ रुपए) का अंतरण।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, इसमें नकद व्यय शामिल नहीं होगा।

(च)

- (i) प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) ग्रामीण के तहत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) को पूंजीगत आस्तियों के स्जन के लिए 0.01 करोड़ रुपये का अनुदान।
- (ii) प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के वित्तपोषण के लिए कृ। अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि को (1813.80 करोड़ रुपए) का अंतरण।

इसमें 469.52 करोड़ रुपये का जिकद व्यय होगा और शेष की पूर्ति अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत में से की जाएगी। This will entail cash outgo of ₹ 10,798.28 crore and the balance will be met out of the savings available in the same section of the grant

 ${\mathfrak T}$ 43.91 crore is required for meeting expenditure related to National Institute of Rural Development and Panchayati Raj, Hyderabad.

Taking into account the savings available under same section of grant, this will not entail cash outgo.

(i) ₹ 10.00 crore as grants for creation of capital assets towards Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna. (ii) ₹ 300 crore as additional expenditure towards Pradhan Mantri Awas Yojana - Rural

Taking into account the savings available under same section of grant, this will not entail cash outgo.

Additional transfer to Agriculture Infrastructure and Development Reserve Fund amounting to ₹ 12,000 crore.

This will entail cash outgo of ₹ 2256.66 crore and balance will be met out from savings available under same section of the grant.

(i) Meeting additional funds ₹ 1157.34 crore for meeting the statutory requirement of implementation of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme which will be met with equivalent recoveries from National Employment Guarantee Fund; (iii) ₹ 630.04 crore as grants for creation of capital assets towards Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) under Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY)- Rural; and (iii) ₹ 90.00 crore as grants for creation of capital assets towards Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna; (iv) Transfers to Agriculture Infrastructure and Development Reserve Fund (₹ 1813.80 crore)towards financing of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna.

Taking into account the savings available under same section of grant, this will not entail cash outgo.

(i) ₹ 0.01 crore as grants for creation of capital assets towards Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) under Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY)-Rural; (ii)) Transfers to Agriculture Infrastructure and Development Reserve Fund (₹ 170.59 crore) towards financing of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna.

This will entail cash outgo of ₹ 469.52 crore and balance will be met out from savings available under same section of the grant.

मांग संख्या DEMAND NO 88

भूमि संसाधन विभाग

DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 108 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 119 देखिये) (See page 108 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 119 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

	•			(₹ करोड़) (In ₹ crore.		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़		
		Charged	Voted	Total		
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		2417.97	2417.97		
प्ंजी	Capital		1.26	1.26		
जोड़	Total	•••	2419.23	2419.23		
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	Revenue	17.42	0.02	17.44		
पूंजी	Capital		***	***		
जोड़	Total	17.42	0.02	17.44		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now required:					
अनु मान:						
राजस्व	Revenue		1200.95	1200.95		
पूंजी	Capital					
जोड़	Total		1200.95	1200.95		
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	17.42	3620.20	3637.62		
राजस्व	Revenue	17.42	3618.94	3636.36		
प्ंजी	Capital		1.26	1.26		
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	ा दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	the following Major He	ead			
		भारित	स्वीकृत	जॏड़		
		Charged	Voted	Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-Special Programmes for Rural Development		58.26	(कа) 58.26		
2506-भूमि स्धार	2506-Land Reforms		0.01	(खb) 0.01		
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		1118.36	(गс) 1118.36		
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		24.32	(घd) 24.32		
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		1200.95	1200.95		
		चे दर्शाई गयी वस्लियों को	ो शामिल नहीं किया ग	या है जिन्हें व्यय में से		
	Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are					
	adjusted in reduction of expenditure.	Tot take into account to		20.011, 11.11.01. 4. 0		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-Special Programmes for Rural Development		(-)212.35	(-)212.35		
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		(-)1491.29	(-)1491.29		
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		(-)35.91	(-)35.91		
को सहायता अन्दान						

ये पूरक अनुदानें निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क) प्रधानमंत्री कृष**ि सिंचाई योजना -वाटरशेड विकास घटक के तह**त कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि को 212.35 करोड़ रुपये का अंतरण

> अनुदान के सी भाग में उपलब्ध बचत और अतिरिक्त वसूली प्राप्त होने के कारण इसमें अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा

(ख) (i) डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत सर्वेक्षण/पुनर्सवेक्षण,भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, रिकॉर्ड रूम का आधुनिकीकरण, आरओआर का कंप्यूटीकरण इत्यादि की लागत के लिए राज्यों हेतु सामान्य सहायता अनुदान के रूप में 44.48 करोड़ रुपये अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अतिरिकत नकद वयय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

) ₹ 212.35 crore towards transfer to Agriculture Infrastructure and Development Reserve Fund under Watershed Development Component-Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana.

Taking into account savings available in same Section of the Grant and additional recoveries this will not entail additional cash outgo.

₹ 44.48 crore as grants-in-aid general for States, being the cost of survey/resurvey, digitisation of land records, modernisation of record room, computerisation of RoR, etc. under 'Digital India Land Records Modernisation Programme.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, it will not entail additional cash outgo.

(ग)	प्रधानमंत्री कृष ि सिंचाई योजना -वाटरशेड विकास घटक के त हत कृषि (c)	₹ 1491.29 crore towards transfer to Agriculture Infrastructure and
	अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि को 1491.29 करोड़ रुपये की राशि का	Development Reserve Fund under Watershed Development
	अंतरण।	Component-Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana.
	वसूली के समतुल्य राशि प्राप्त होने के कारण इसमें अतिरिक्त नकद व्यय नहीं	As this will be matched by equivalent amount of recoveries, so it
	होगा	will not entail additional cash outgo.
(ঘ)	प्रधानमंत्री कृष ि सिंचाई योजना -वाटरशेड विकास घटक के तहत कृषि (d)	₹ 35.91 crore towards transfer to Agriculture Infrastructure and
	अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि को 35.91 करोड़ रुपये की राशि का	Development Reserve Fund under Watershed Development
	अंतरण।	Component-Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana.
	वसूली के समतुल्य राशि प्राप्त होने के कारण इसमें अतिरिक्त नकद व्यय नहीं	As this will be matched by equivalent amount of recoveries, so it
	होगा	will not entail additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 89

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 109 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 120 देखिये) (See page 109 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 120 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

			(y / (t c. c. c.
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		7843.95	7843.95
पूंजी	Capital		88.30	88.30
जोड़	Total		7932.25	7932.25
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue			•••
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		7932.28	7932.28
राजस्व	Revenue		7843.97	7843.97
पूंजी	Capital		88.31	88.31
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	र्गित दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for und		Head:	
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनु संधान पर	5425-Capital Outlay on Other Scientific and		0.01	0.01
पूंजीगत परिव्यय	Environmental Research			

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सचिवालय व्यय के 'सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' में ₹ 4.33 करोड़ के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 4.33 करोड़ में से ₹ 3.90 करोड़ की राशि भारत की आकस्मिकता निधि से ली गई अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति के लिए है)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure to the tune of $\ref{thmspace}$ 4.33 crore in 'Information, Computer Telecommunications (ICT) equipment' of Secretariat Expenditure (including $\ref{thmspace}$ 3.90 crore for recoupment of advance drawn from the Contingency fund of India).

मांग संख्या DEMAND NO 90

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 110 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 121 देखिये) (See page 110 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 121 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

			(, ,	1.4 / (1.1 1 0.0.00)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	2683.86	2683.86
पूंजी	Capital			•••
जोड़	Total	•••	2683.86	2683.86
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital	***	***	***
जोड़	Total	•••	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	***	0.01	0.01
पूंजी	Capital			•••
जोड़	Total	•••	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2683.88	2683.88
राजस्व	Revenue		2683.88	2683.88
पूंजी	Capital	***		•••
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	र्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for und	er the following Major Head	d:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनु संधान	3425-Other Scientific Research		0.01	0.01

यह प्रक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

i. स्वायत अनु संधान एवं विकास संस्थानों को सहायता के तहत प्रतिबद्धताओं के लिए सामान्य सहायता अनुदान (18.76 करोड़ रुपये) और ii. ग्लोबल-बायो 2023 कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जैव प्रौचोगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) को प्रतिबद्धताओं के लिए सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त 2 करोड़ रुपये।

अनु दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards Grants-in-aid General for (i) commitments under Support to Autonomous R&D Institutions (₹ 18.76 crore) and (ii) commitments to Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC) for conducting Global-Bio 2023 (₹ 2 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 92

कौशल विकास और उदयमशीलता मंत्रालय

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 112 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 123 देखिये) (See page 112 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 123 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जॊड Charged Voted Total I. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 3418.07 3418.07 पूंजी Capital 99.24 99.24 जोड़ 3517.31 3517.31 Total SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदान: राजस्व 0.02 0.02 Revenue पूंजी Capital 0.01 0.01 जोड Total 0.03 0.03 इस समय आवश्यक रकम का Supplementary Estimate of the amount now required: पूरक अनुमान: राजस्व 1476.20 1476.20 Revenue पूंजी Capital जोड 1476.20 1476.20 Total जोड़ (मूल और पूरक) 4993.54 4993.54 Total (Original plus Supplementary) राजस्व 4894.29 4894.29 Revenue पूंजी Capital 99.25 99.25 II. इस पुरक अनुदान का हिसाब निम्निलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: स्वीकृत जॊड भारित Charged Voted Total REVENUE SECTION राजस्व भाग मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2230-श्रम, रोजगार और कौशल 2230-Labour, Employment and Skill Development 1476.20 1476.20 विकास टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दुर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग REVENUE SECTION

2230-श्रम, रोजगार और कौशल 2230-Labour, Employment and Skill Development

विकास

The supplementary Grant is required for:

Transfer of ₹ 2333.33 crore to Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh (MUSK)

(-)1733.33

(-)1733.33

Taking into account the recoveries amounting to ₹ 1733.33 crore available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

यह पूरक अन्दान निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयू एसके) को 2333.33 करोड़ रूपये का

अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध 1733.33 करोड़ रूपये की वसूली राशि को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं

मांग संख्या DEMAND NO 94

दिव्यांगजन संशक्तिकरण विभाग

DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 125 देखिये) (See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 125 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(\ 7)	(17) (111 (610165)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		1224.09	1224.09
पूंजी	Capital	***	1.06	1.06
जोड़	Total	•••	1225.15	1225.15
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	***	0.01	0.01
पूंजी	Capital		•••	
जोड़	Total	•••	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1225.17	1225.17
राजस्व	Revenue		1224.11	1224.11
पूंजी	Capital	***	1.06	1.06
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	र्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for und		d:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare		0.01	0.01

यह प्रक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) राष्ट्रीय संस्थानों के तहत सामान्य सहायता अनुदान (20.00 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय संस्थानों के तहत प्रंजीगत आस्ति के स्जन के लिए अनुदान (20.00 करोड़ रुपये) (ख) सहायक सामग्री और वस्तुओं की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता के अधीन सामान्य सहायता अनुदान (30.00 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

(a) Grant in aid General under National Institutes of (₹ 20.00 crore) and Grants for Creation of Capital Asset under National Institutes of (₹ 20.00 crore) (b) Grant in aid General under Assistance to Disabled Persons for Purchase/fitting of Aids and Appliances (₹ 30.00 crore) .

मांग संख्या DEMAND NO 95

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 126 देखिये) (See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 126 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

Demands for Grants for the year 20	023-2024)			
				(₹ करोंड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मू ल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.60	6186.50	6187.10
पूंजी	Capital	0.40	6356.41	6356.81
जोड़	Total	1.00	12542.91	12543.91
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		586.32	586.32
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total	***	586.33	586.33
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:		
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total	•••	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.00	13129.26	13130.26
राजस्व	Revenue	0.60	6772.83	6773.43
प्ंजी	Capital	0.40	6356.43	6356.83
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for	under the following Majo	r Head	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
- 3402-अंतरिक्ष अनु संधान	3402-Space Research		0.01	(कa) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
्र मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5 5402-अंतरिक्ष अनु संधान पर पूंजीगत परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research	***	0.01	(खb) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	•••	0.02	0.02
• • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			

यह पूरक अनुदानें निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं :

(क) सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (0.09 करोड़ रु.), इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स (आई.पी.आर.सी.) (रु. 0.04 करोड़), मुख्य नियंत्रण सुविधा (एम.सी.एफ.) (0.03 करोड़ रु.), राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एन.आर.एस.सी.) (0.50 करोड़ रु.), भारतीय सुदूर संवेदन केंद्र (एन.आर.एस.सी.) (0.02 करोड़ रु.), भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आई.आई.आर.एस.) (0.02 करोड़ रु.) के तिए और समाल सैटलाइट लॉच विहीक्ल (एस.एस.एल.वी.) के तहत नए सेवा उपकरण (सामग्री एवं आपूर्ति – 0.20 करोड़ रु., वृतिक प्रभार- 0.10 करोड़ रु.) और इनसैट-3 उपग्रह (सामग्री एवं आपूर्ति – 1.00 करोड़ रु., वृतिक प्रभार- रु.1.50 करोड़ रु.) के व्यय पूरा करने हेनु अनुदान के राजस्व खंड (स्वीकृत) को संवर्धित करने के लिए 0.01 करोड़ रु. के सांकेतिक अनुपूर्क अनुदान (सांकेतिक) की आवश्यकता है।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) (i) जी.एस.एल.वी. मार्क-III सातत्य कार्यक्रम (चरण-1) (5 करोड़ रु.) के लिए और (ii) जी.एस.एल.वी. मार्क-II सातत्य कार्यक्रम (चरण-1) के अंतर्गत नई उपकरण सेवा-भवन एवं संरचनाएं (रु. 2.75 करोड़) और (iii) मुख्य नियंत्रण सुविधा (एम.सी.एफ.)-अवसंरचनागत आस्तियों (1.00 करोड़ रु.) के व्यय के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग जाती है। The supplementary Grants are required for:

meeting expenditure towards Grant in Aid General of Satish Dhavan Space Centre (₹ 0.09 crore), ISRO Propulsion Complex (IPRC) (₹ 0.04 crore), Master Control Facility (MCF) (₹ 0.03 crore), National Remote Sensing Centre (NRSC) (₹ 0.50 crore), Indian Institute of Remote Sensing (IIRS) (₹ 0.02 crore) and for Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) (Materials & Supplies - ₹ 0.20 crore, Professional Charges - ₹ 0.10 crore) and INSAT 3 Satellites (Materials & Supplies - ₹ 1 crore, Professional Charges - ₹ 1.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards (i) Machinery and Equipment for GSLV Mk-III Continuation Programme (Phase-1) (₹ 5 crore) (ii) Buildings & Structures for GSLV Mk-III Continuation Programme (Phase-1) (₹ 2.75 crore) and (iii) Infrastructural Assets for Master Control Facility (MCF) (₹ 1 crore).

मांग संख्या DEMAND NO 98

वस्त्र मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 130 देखिये) (See page 118 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 130 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोंड़) (In ₹ crores)

			, , ,	., , ()
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	4362.53	4362.53
पूंजी	Capital	***	26.81	26.81
जोड़	Total	•••	4389.34	4389.34
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	0.04	0.04
पूंजी	Capital		0.02	0.02
जोड़	Total		0.06	0.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	d:		
राजस्व	Revenue	***	0.01	0.01
पूंजी	Capital	***		***
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4389.41	4389.41
राजस्व	Revenue		4362.58	4362.58
पूंजी	Capital		26.83	26.83
	II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		d:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	0.01
••				

यह प्रक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

रेशम उद्योग के विकास के तहत वेतन सहायता अनुभाग (4.94 करोड़ रुपये)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

Grants-in-Aid Salaries (₹ 4.94 crore) under the Development of Silk Industries

मांग संख्या DEMAND NO 100

जनजातीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 120 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 132 देखिये) (See page 120 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 132 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

Demands for Grants for the year 202	3-2024)			
				(₹ करोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	-		
राजस्व	Revenue	4905.91	7509.04	12414.95
पूंजी	Capital		46.93	46.93
जोड़	Total	4905.91	7555.97	12461.88
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.01	0.02	0.03
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	0.01	0.02	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4905.92	7556.02	12461.94
राजस्व	Revenue	4905.92	7509.08	12415.00
प्ंजी	Capital	•••	46.94	46.94
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	त दिखाया जायेगा	:	
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be acco	unted for unde	r the following Majo	or Heads:
		भारित	स्वीकृत	जॉड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat-Social Services		0.01	(कa) 0.01
2225-अनु सूचित जाति, अनु सूचित जनजाति,	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes,		0.01	(खb) 0.01
अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Other Backward Classes and Minorities			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.01	0.02	0.03

यह पूरक अनुदाने विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) गैर-योजना "सचिवालय" के तहत 'वेतन' (₹0.42 करोइ), 'चिकित्सा उपचार' (₹0.10 करोइ), 'भ्रते' (₹0.27 करोइ), 'घरेलू यात्रा व्यय' (₹0.20 करोइ) 'कार्यालय व्यय' (₹1.60 करोइ), और 'लघु सिविल और इलेक्ट्रिक वर्क्स' (₹0.15 करोड).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) व्यय हेतु अतिरिक्त आवश्यकता-1. 'प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन)' योजना के तहत जीआईए-जनरल (₹10.00 करोइ), 'अनु स्चित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता' (₹0.95 करोइ) 2. "एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना के तहत वेतन सहायता अनुदान (₹0.19 करोइ) 3. 'एसटी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप और छात्रवृति' योजना के तहत छात्रवृति (₹30.00 करोइ), 'राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृति योजना' (₹0.04 करोइ)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ग) व्यय के लिए अतिरिक्त आवश्यकता- 1. "एसटी के लिए पोस्ट मेंट्रिक छात्रवृति" योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹401.79 करोइ) 2. पूंजीगत संपति के निर्माण के लिए अनुदान 'प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन)' (₹ 100.00 करोइ) [इसमें भारत की आकस्मिकता निधि (सीएफआई) से स्वीकृत अग्रिम की वस्त्री के लिए ₹100.00 करोइ शामिल हैं]

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) Meeting the additional requirement for expenditure towards 'Salaries' (₹ 0.42 crore), 'Medical Treatment' (₹ 0.10 crore), 'Allowances' (₹ 0.27 crore), 'Domestic Travel Expenses' (₹ 0.20 crore) 'Office Expenses' (₹ 1.60 crore), and 'Minor Civil and Electric Works' (₹ 0.15 crore) under the Non- scheme "Secretariat" Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Additional requirement for expenditure-1. GiA-General under the scheme 'Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) ' (₹ 10.00 crore), 'Aid to Voluntary Organization working for the welfare of Scheduled Tribes' (₹ 0.95 crore) 2. GiA Salaries under the scheme "Eklavya Model Residential School (EMRS) (₹0.19 crore) 3. Scholarship under the scheme 'National Fellowship and Scholarship for Higher Education of ST Students' (₹30.00 crore), ' National Overseas Scholarship Scheme' (₹0.04 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Additional requirement for expenditure- 1. Grants in aid General under the scheme " Post Matric Scholarship for STs" (₹ 401.79 crore) 2. Grants for creation of capital assets 'Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) ' (₹ 100.00 crore) [This includes ₹100.00 crore for recoupment of advance sanctioned from the Contingency Fund of India (CFI)].

मांग संख्या DEMAND NO 101

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 121 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 133 देखिये) (See page 121 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 133 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

·		भारित	स्वीकृत	(₹ करॉड़) (In ₹ crores जॊड
		Charged	रवाकृत Voted	জাড় Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	Chargeu	Voled	IOIAI
1. नूस अनुदान. राजस्व	Revenue		25943.67	25943.67
पूंजी		***	5.08	5.08
भूजा जोड	Capital		25948.75	
•	Total		25948.75	25948.75
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue		0.04	0.04
पूंजी	Capital		6.00	6.00
जोड़	Total		6.04	6.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	red:		
राजस्व	Revenue		0.03	0.03
पूंजी	Capital	***		•••
जोड़	Total		0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		25954.82	25954.82
राजस्व	Revenue		25943.74	25943.74
पूंजी	Capital	•••	11.08	11.08
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षी	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for		Head	
	,	<i>भारित</i>	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare		0.01	(कa) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अन्दान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(गc) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.03	0.03

(क)	(i) राष्ट्रीय महिला आयोग (0.90 करोड़ रु.), (ii) मिशन वात्सल्य (1.50 करोड़ रु.) (iii) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (6.70 करोड़ रु.) के तहत
	सामान्य सहायता अनुदान
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
(ख)	(1) सामान्य सहायता अनुदान (i) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (42.83 करोड़ रुपये), (ii) मिशन शक्ति - सामर्थ्य (शक्ति सदन - 5.00 करोड़ रुपये), (iii) राष्ट्रीय महिला आयोग (रु.0.20 करोड़) (2) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (i) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 - पीएम-जनमन के एसटी घटक के लिए (14.16 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक
	मांगा जाता है।

ये पूरक अनुदानें निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(ग) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 - पीएम-जनमन के एसटी घटक के तहत पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (111.84 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

(a) Grants-in-aid General under (i) National Commission for Women (₹ 0.90 crore), (ii) Mission Vatsalya (₹ 1.50 crore) (iii) National Commission for Protection of Child Rights (₹ 6.70 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (1)Grants-in-aid General under (i) Saksham Anganwadi & Poshan 2.0 (₹ 42.83 crore) (ii) Mission Shakti - Samarthya (Shakti Sadan - ₹ 5.00 crore), (iii) National Commission for Women (₹ 0.20 crore) (2) Grants for Creation of Capital Assets (i) Saksham Anganwadi & Poshan 2.0 - ST Component under PM-JANMAN (₹14.16 crore)

Taking into account the savings available in the same section of

the Grant, a token supplementary is sought.

Grants for Creation of Capital Assets under Saksham Anganwadi & Poshan 2.0 - ST Component for PM-JANMAN (₹ 111.84 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 102

युवा मामले और खेल मंत्रालय TRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPO

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 122 और वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 135 देखिये) (See page 122 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2023-2024 and page 135 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2023-2024)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

				(र कराड़	') (In ₹ crores	5)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		3389.56		3389.56	
पूंजी	Capital	***	7.76		7.76	
जोड़	Total		3397.32		3397.32	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	Revenue		0.01		0.01	
पूंजी	Capital					
जोड़	Total	***	0.01		0.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		3.71		3.71	
पूंजी	Capital					
जोड़	Total	•••	3.71		3.71	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	***	3401.04		3401.04	
राजस्व	Revenue		3393.28		3393.28	
प्ंजी	Capital		7.76		7.76	
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	न दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under	the following Major H	Head			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2204-खेल और युवा मामले	2204-Sports and Youth Services		3.70	(कa)	3.70	
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb)	0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		3.71		3.71	

ये पूरक अनुदानें निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क)

(i) (1)राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम(सामान्य श्रेणी के तहत 8 करोड़ रुपये, अनुस्चित जाति श्रेणी के तहत 0.64 करोड़ रुपये और अनुस्चित जाति श्रेणी के तहत 0.64 करोड़ रुपये और अनुस्चित जाति श्रेणी के तहत 0.41 करोड़ रुपये), (2) राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम (सामान्य श्रेणी के तहत 0.41 करोड़ रुपये), अनुस्चित जाति श्रेणी के तहत 0.94 करोड़ रुपये औरअनुस्चित जानजाति श्रेणी के तहत 0.42 करोड़ रुपये) (3) खेलों में मानव संसाधन विकास (1 करोड़ रुपये) और (4) खेलों इंडिया (66.30 करोड़ रुपये) स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान, (ii) जम्मु और कश्मीर में खेल सुविधा के संवर्धन के तहत पूंजीगत आस्तियों के स्जन के लिए अनुदान (5 करोड़ रुपये), (iii) (1) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) (15 करोड़ रुपये), (ए) राष्ट्रीय सेवा स्कीम (2 करोड़ रुपये) और (3) खेलों इंडिया (1.80 करोड़ रुपये), (ए) राष्ट्रीय सेवा स्कीम के तहत विज्ञापन और प्रचार (1 करोड़ रुपये), (ए) (1) राष्ट्रीय सेवा स्कीम (2 करोड़ रुपये) और (2) खेलो इंडिया (2.20 करोड़ रुपये) के तहत व्यवसायिक सेवा, (एi) राष्ट्रीय सेवा स्कीम के तहत विज्ञास निधियों के तहत अंशदान (30 करोड़ रुपये) और (vii) राष्ट्रीय सेवा स्कीम के तहत कार्यालय व्यय (7 करोड़ रुपये)

अनुदान के पूंजी अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए, और अनुदान के उसी अनुभाग के भीतर बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

(ख) (1) राष्ट्रीय सेवा स्कीम (अनुस्चित जनजाति श्रेणी के तहत 1 करोड़ रूपये), (2) राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम (0.60 करोड़ रूपये) और 3 राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (1.80 करोड़ रूपये) स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान।

अनु दान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

ne supplementary

(i) GIA General under the scheme (1) National Programme for Youth and Adolescent Development (₹8 crore under General category, ₹0.64 cr. under SC category & ₹0.41 cr. under ST category), (2) National Young Leaders Programme (₹4.04 crore under General category, ₹0.94 cr. under SC category & ₹0.42 cr. under ST category), (3) Human Resource Development in Sports (₹1 cr.) and (4) Khelo India (₹66.30 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets under Enhancement of Sports Facility at J&K (₹5 crore), (iii) Other Revenue Expenditure under the scheme (1) International Cooperation (IC) (₹15 crore), (2) National Service Scheme (₹2 crore) and (3) Khelo India (₹1.80 cr.), (iv) Advertising and Publicity under the National Service Scheme (₹1 crore). (v) Professional Service under (1) National Service Scheme (₹2 crore) and (2) Khelo India (₹2.20 cr.), (vi) Contribution under the National Sports Development Funds (₹30 crore) and (vii) Office Expenses under the National Service Scheme (₹7 crore)

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(i) GIA General under the scheme (1) National Service Scheme (₹1 crore under ST category), (2) National Young Leaders Programme (₹0.60 crore) and (3) National Programme for Youth and Adolescent Development (₹1.80 cr.)

अनुलग्नक /Annexure

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय Ministry of Health & Family Welfare मांग संख्या 46 – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Demand No. 46 – Department of Health & Family Welfare वर्ष 2023-24 के दौरान जहां पुनर्विनियोजन स्वीकृत सीमा से अधिक है, संसद को प्रस्तुत करने हेतु वांछित मदों संबंधी रिपोर्ट को दर्शाने वाला विवरण

Statement showing items requiring Report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits during 2023-24

(करोड़ रूपए Rs. in Crore)

						(करोड़ रूपए Rs. in Crore)
1	2	2	3	4	5	6
क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का	Name of the	लेखा का उपशीर्ष/ वस्तु	बजट	पुनर्विनियोजन	टिप्पणियां
Sl.	नाम	Scheme/ Programme	शीर्ष	अनुमान	की राशि	Remarks
No.			Sub Head/ Object	Budget	Amount of	
			Head of Account	Estimates	Re-	
				2023-24	appropriation	
1	आरसीएच और स्वास्थ्य	Flexible Pool for	3601.06.101.16	11580.09	2000.24	अधिक मांग के कारण
	प्रणाली सुददीकरण,	RCH & Health				Due to more demand.
2	राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम	System	3602.06.102.04	3.53	12.11	अधिक मांग के कारण
	और शहरी स्वास्थ्य	Strengthening,				Due to more demand.
3	मिशन के लिए तन्यक	National Health	3602.06.789-72	41.69	83.12	अधिक मांग के कारण
	पूल	Programme and				Due to more demand.
4		Urban Health Mission	3602.06.796.66	6.95	31.38	अधिक मांग के कारण
						Due to more demand.
5			2210.06.001.11.00.13	7.88	8.56	अधिक मांग के कारण
						Due to more demand.
6	अवसंरचना संबंधी	Infrastructure	3601.06.101.17	2646.88	85.01	अधिक मांग के कारण
	रखरखाव	Maintenance				Due to more demand.
			3602.06.101.82	134.81	19.67	अधिक मांग के कारण
						Due to more demand.
7	एफडब्ल्यू - अवसंरचना	FW – Infrastructure	3601.06.789.05	1628.13	237.39	अधिक मांग के कारण
	संबंधी रखरखाव	Maintenance				Due to more demand.
8	एफडब्ल्यू - अवसंरचना	FW – Infrastructure	3601.06.789.85	1300.00	600.00	फंडिंग पैर्टन में परिवर्तन
	संबंधी रखरखाव	Maintenance (PMSSN)				के कारण
	(पीएमएसएसएन)					Due to change in funding
						pattern.
9	एफडब्ल्यू - अवसंरचना	FW – Infrastructure	3601.06.796.05	689.64	217.09	अधिक मांग के कारण
	संबंधी रखरखाव	Maintenance (TSP)				Due to more demand.
	(टीएसपी)					
10	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा	Rashtriya Swasthya	3601.06.101-19	100.00	81.20	अधिक मांग के कारण
	योजना (आरएसबीवाई)-	Bima Yojana (RSBY)				Due to more demand.
	आरएसएसवाई - राष्ट्रीय	– RSSY – National				
	स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	Health Protection				
4.5		Scheme	2601.06.101.21.04			
11	राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य	National Programme	3601.06.101.21.04	3.00	5.24	अधिक मांग के कारण
4.5	सुरक्षा कार्यक्रम	for Health Care for	2602 101 16 00 21			Due to more demand.
12		the Elderly	3602.101.16.09.31	0.35	0.61	अधिक मांग के कारण
						Due to more demand.

णेयां arks
arks
क्रं कारण
lemand.
न कारण
lemand.
न कारण
lemand.
h कारण
lemand.
र्म कारण
lemand.
ने कारण
lemand.
न कारण
lemand.
र्म कारण
lemand.
iemand.
र्म कारण
lemand.
h कारण
lemand.
h कारण
lemand.